महानगर नई दिल्ली गुरुवार 1 अगस्त, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

एक देश एक कानून की ओर पहला कदम है तीन तलाक कानून

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तीन तलाक विरोधी विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिलने को केंद्र सरकार की बड़ी सफलता करार देते हुए कहा कि यह एक देश एक कानून की ओर पहला कदम है।

तीन तलाक को किसी भी सभ्य समाज के लिए एक जघन्य अपराध करार देते हुए नकवी ने कहा कि तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाने वाले मुसलिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण कानून) को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी दिला कर सरकार ने जनता से किया अपना वादा पूरा किया है। इस मुद्दे पर विपक्ष के विरोध को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज 'हेडलेस' तो है ही, वह 'माइंडलेस' भी हो गई है। 'जनसत्ता बारादरी' में बुधवार को शिरकत बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता बारादरी

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, तीन तलाक जघन्य अपराध

'जनसत्ता बारादरी' में बुधवार को शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाना जनता से हमारी पिछली सरकार का वादा था जिसे नई सरकार के गठन होने के तुरंत बाद पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के राज्यसभा में पारित होने को लेकर तमाम किस्म की आशंकाएं जाहिर की गई थीं, लेकिन इन सबको गलत साबित करते हुए सरकार ने अपना वादा निभाया।

विस्तृत बातचीत पढ़ें पेज 7 पर रविवार को

फोटो : अरुष चोपड़ा

सीमा पार दो चौकियां तबाह, छह पाकिस्तानी जवान ढेर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

नियंत्रण रेखा पर भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान।
पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल महिला की अस्पताल में मौत।
गोलाबारी के कारण एलओसी के पास 70 भारतीय गांवों में शिक्षण संस्थान बंद।

पाकिस्तानी सैनिकों ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी की और मोर्टार के गोले दागे। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक, भारतीय सैनिकों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना की दो चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा और कई पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए हैं। सेना के अधिकारियों के मुताबिक, भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में मारे गए सैनिकों की संख्या कम से कम छह है। ये सैनिक अखनूर और गुरेज सेक्टर में मंगलवार और बुधवार को की गई कार्रवाई में मारे गए हैं।

दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल हुई 50 वर्षीय महिला ने बुधवार को अस्तपाल में दम तोड़ दिया।

एक अधिकारी ने बताया कि रहमी बेगम ने तड़के एसएमएचएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कई सेक्टरों में संघर्ष विराम का उल्लंघन करने के बाद मंगलवार को सीमा पार गोलाबारी में महिला घायल हो गई थी। इस घटना में स्वास्थ्य विभाग की एक कर्मचारी भी घायल हो गई थी। उसका अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी हालत अब स्थिर है।

पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलाबारी के मद्देनजर मच्छल, तंगधार, जमगुंड, करनाह और बुडनाम के अंतर्गत आने वाले करीब 70 गांवों में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है।

रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता के मुताबिक, 'पाकिस्तान सेना ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास छोटे हथियारों से गोलीबारी करके और मोर्टार के गोले दाग कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया।' पुंछ और राजौरी जिलों में नियंत्रण रेखा के साथ-साथ असैन्य क्षेत्रों को निशाना बनाकर पाकिस्तान सेना द्वारा की जाने वाली गोलीबारी और गोलाबारी का यह लगातार चौथा दिन है, जिनमें अब तक एक बच्चे और एक जवान की जान जा चुकी बाकी पेज 8 पर

जम्मू कश्मीर में ईडब्लूएस वर्ग को 10 फीसद आरक्षण मंजूर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियों व शैक्षणिक संस्थाओं में 10 फीसद आरक्षण संबंधी विधेयक को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी गई। इसे मंजूरी मिलने से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियों व शैक्षणिक संस्थाओं में 10 फीसद आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सकेगा। सूचना और प्रसारण बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री ने 2022 तक सबको आवास की प्रतिबद्धता दोहराई

नई दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली 'प्रगति' बैठक में 2022 तक सभी के लिए आवास की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को इस दिशा में मेहनत करने और रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने को कहा है। प्रधानमंत्री बुधवार को आइसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म 'प्रगति' की 30वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को इस दिशा में मेहनत करने और रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने को कहा

इस दौरान प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत और सुगम भारत अभियान जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने राज्यों से मानसून के दौरान जल संरक्षण पर अधिकतम ध्यान देने की अपील की।

आयुष्मान भारत की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री को बताया गया कि करीब 35 लाख लाभान्वित अस्पताल में दाखिले की सुविधा का लाभ ले चुके हैं। अब तक 16,000 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं।

उन्होंने कहा कि योजना के लाभों और सकारात्मक प्रभाव के बारे में एक अध्ययन किया जाना चाहिए। वहीं योजना के दुरुपयोग और जालसाजी होने बाकी पेज 8 पर

प्रधान न्यायाधीश ने पत्र पेश करने में देरी पर मांगी रिपोर्ट

कहा, चिट्ठी मेरे सामने नहीं आना दुर्भाग्यपूर्ण, कोर्ट सेक्रेटरी जनरल सफाई दें

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार पीड़ित द्वारा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखे पत्र का बुधवार को संज्ञान लेते हुए इसे प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश करने में हुए विलंब पर अपने सेक्रेटरी जनरल से रिपोर्ट मांगी है। बलात्कार पीड़ित इस लड़की ने इस पत्र में अपनी जान को खतरे की आशंका व्यक्त की थी और कुछ घटनाओं का भी इसमें जिक्र किया था।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने बुधवार को कहा-दुर्भाग्यवश, यह पत्र अभी तक सामने नहीं आया है लेकिन समाचार पत्रों में ऐसी खबर प्रकाशित हुई है कि मानो मैंने इस पत्र को पढ़ लिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस के पीठ ने कहा कि समाचार पत्रों ने ऐसे पेश किया है कि मानो प्रधान न्यायाधीश ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

जजों ने कहा-हम इस अत्यधिक विस्फोटक स्थिति के बारे में कुछ करेंगे। पीठ ने ये टिप्पणियां उस वक्त कीं जब बच्चों से बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ वकील वी गिरि ने उन्नाव बलात्कार प्रकरण सुनवाई के लिए शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। शीर्ष अदालत ने इस मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़ित से संबंधित दुर्घटना के बारे में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने इस महिला से करीब दो साल पहले उन्नाव में अपने आवास पर कथित रूप से बलात्कार किया था। यह महिला बाकी पेज 8 पर

उन्नाव कांड

शीर्ष अदालत ने इस मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से पीड़ित से संबंधित दुर्घटना के बारे में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है।

प्रधान न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में दावा किया गया है कि 7-8 जुलाई को भाजपा विधायक सेंगर से कथित रूप से संबंध रखने वाले कुछ व्यक्तियों ने पीड़ित के परिवार को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी थी। पत्र पर पीड़ित, उसकी मां और चाची के हस्ताक्षर हैं।

पत्र के अनुसार सात जुलाई को बलात्कार मामले में एक आरोपी के बेटे नवीन सिंह, शशि सिंह, मनोज सिंह, (एक अन्य आरोपी कुलदीप सिंह के भाई) और कन्नू मिश्रा उनके घर आए थे और उन्हें धमकी दी थी।

सीबीआइ ने सेंगर व नौ अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

सीबीआइ ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के सड़क दुर्घटना मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ हत्या के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों के मुताबिक, मामले की जांच करने के लिए गठित विशेष टीम रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज इलाके में हादसा स्थल पर पहुंची। सीबीआइ प्रवक्ता के मुताबिक, 'मामले के त्वरित और सुचारू जांच के लिए सीबीआइ ने एक बाकी पेज 8 पर

प्रवर्तन निदेशालय ने फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के मामले के सिलसिले में बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की।

अधिकारियों के मुताबिक, फारूक अब्दुल्ला ईडी के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में अधिकारियों के समक्ष पेश हुए। उनका बयान धनशोधन रोकथाम कानून के तहत दर्ज किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन का मामला सीबीआइ की एक प्राथमिकी और आरोप पत्र के आधार पर दर्ज किया था। फारूक अब्दुल्ला और तीन अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पिछले साल जुलाई में दायर किया गया था। आरोप पत्र उस अनुदान से 43 करोड़ रुपए के कथित गबन के लिए दायर किया गया था, जो बीसीसीआइ द्वारा 2002-2011 के बीच जेकेसीए को दिया गया था।

सीबीआइ ने अब्दुल्ला के अलावा जेकेसीए के तत्कालीन महासचिव मोहम्मद सलीम खान, तत्कालीन कोषाध्यक्ष अहसन अहमद मिर्जा और जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारी बशीर अहमद मिसगर के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और आपराधिक अमानत में खयानत के लिए रनबीर दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया है।

आइएस से जुड़ा केरल का युवक अफगानिस्तान में मारा गया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

अफगानिस्तान के खोरासान में 18 जुलाई को अमेरिकी ड्रोन हमले का शिकार हुआ

आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) में शामिल हुआ केरल निवासी एक आतंकी 18 जुलाई को अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया है।

वह अक्तूबर, 2017 में आइएस में शामिल हुआ था और तब से भारत से लापता था। वह मल्लपुरम के इडप्पल का रहने वाला था। मुहम्मद मोहसिन नामक केरल मूल के इस आतंकी के बारे में उसके घर वालों को सूचना मंगलवार की रात वॉट्सऐप संदेश के जरिए मिली। उसके घर वालों ने बुधवार को वह संदेश पुलिस और आइएस के केरल मॉड्यूल की जांच कर रहे राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) के अधिकारियों को भेजा।

एनआइए के मुताबिक केरल के मलप्पुरम का रहने वाला मुहम्मद मोहसिन अफगानिस्तान के खोरासान बाकी पेज 8 पर

सिद्धार्थ का शव मिला, कारोबार जगत स्तब्ध

चिकमगलूर में अंत्येष्टि, सैकड़ों लोगों ने दी विदाई

मंगलुरु/बंगलुरु, 31 जुलाई (भाषा)।

देश के सबसे बड़े कॉफी चेन 'कैफे कॉफी डे' (सीसीडी) के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ के सोमवार को लापता होने के दो दिन बाद एक नदी से उनका शव बरामद किया गया। उनके गृह जिले चिकमगलूर स्थित उनके एस्टेट में बुधवार को उनकी अंत्येष्टि की गई, जहां सैकड़ों लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।

सिद्धार्थ की मौत ने कारोबार जगत को स्तब्ध कर दिया है। दरअसल, उनकी मौत के बारे में

तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। एक ओर जहां पुलिस इसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या के तौर पर देख रही है, वहीं दूसरी ओर कर अधिकारियों की प्रताड़ना को उनकी कथित आत्महत्या का एक संभावित कारण बताया जा रहा है।

भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी व गमगीन माहौल में सिद्धार्थ के बेटे अमर्त्य ने उन्हें मुखाग्नि दी।वोक्कालिगा समुदाय की परंपराओं के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया गया। वह इसी समुदाय से थे।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी सहित कई नेता भी अंत्येष्टि स्थल पर मौजूद थे। सिद्धार्थ के ससुर व कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता एसएम कृष्णा और उनकी सास प्रेमा भी कई बार अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। सिद्धार्थ के परिवार में उनकी पत्नी मालविका और दो पुत्र-अमर्त्य व बाकी पेज 8 पर

ईडी ने कार्ति चिदंबरम से आवास खाली करने को कहा

नई दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को जोर बाग का अपना आवास खाली करने का निर्देश दिया। आईएनएक्स मीडिया मामले में इस आवास को कुर्क किया गया है।

दरअसल

मदर्स मिल्क बैंक खोलने का मुद्दा उठा | कोई अजूबा नहीं | महाराष्ट्र, राजस्थान और वाराणसी में खुले

नौनिहालों को चाहिए देश भर में दूध बैंक

लखनऊ, 31 जुलाई (भाषा)।

नवजात बच्चों के लिए जीवन अमृत माने जाने वाले मां के दूध के अभाव में शिशुओं की मौतों को रोकने के लिए पूरे देश में मदर्स मिल्क बैंक खोलने की मांग की गई है। मदर्स मिल्क बैंक देश में शिशु मृत्यु दर घटाने के लिहाज से बेहद कारगर उपाय हो सकता है। इससे हर साल एक लाख 60 हजार नवजात बच्चों को बचाया जा सकेगा।

देश भर में मदर्स मिल्क बैंक की स्थापना की मांग करने वाले स्तनपान संवर्द्धन समिति के अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह ने बताया कि यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार मां का दूध न मिल पाने के कारण हिंदुस्तान में हर साल लगभग एक लाख 60 हजार नवजात जान गंवा देते हैं। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से साफ है कि इस सिलसिले को रोकने का एक ही रास्ता है कि वाराणसी की तर्ज पर पूरे देश में जगह-जगह मदर्स मिल्क बैंक स्थापित किए जाएं। गुरुवार एक अगस्त को शुरू हो रहे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक से ऐन पहले उनकी मांग है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए।

बचेगी लाखों बच्चों की जान

देश भर में मदर्स मिल्क बैंक की स्थापना की मांग करने वाले स्तनपान संवर्द्धन समिति के अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह ने बताया कि यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार मां का दूध न मिल पाने के कारण हिंदुस्तान में हर साल लगभग एक लाख 60 हजार नवजात जान गंवा देते हैं।

सिंह ने बताया कि कई बार ऐसी स्थिति पेश आती है कि शिशु को अपनी मां का दूध नहीं मिल पाता। खासकर मां के गंभीर रूप से बीमार हो जाने, दूध उत्पन्न न हो पाने या बच्चे के जन्म के बाद मां की मृत्यु हो जाने पर नवजात बच्चे मां के दूध से वंचित रह जाते हैं।

उन्होंने बताया कि जन्म के फौरन बाद मां का दूध नहीं मिल पाने के कारण डायरिया, निमोनिया और कुपोषण आदि अनेक कारणों से हर साल हजारों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। मां का दूध शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास को सही गति देता है। मां का दूध शिशु का प्रथम टीकाकरण भी है। मां के दूध पर पोषित होने वाले शिशु बहुत कम बीमार पड़ते हैं।

पूर्वांचल में हर साल सैकड़ों की जान लेने वाले इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन की दिशा में काम कर चुके डॉक्टर सिंह का सुझाव है कि देश में शिशुओं की सेहत और जिंदगी की सलामती के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा, लिहाजा हर ब्लॉक और जिले स्तर पर मदर्स मिल्क बैंक खोले जाएं। इससे नवजात बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I Yash Pal S/o Pramod Kumar residing at H. No. E-523, Prem Gali No-4, East Babarpur, Delhi-110032 inform that name of my mother has been wrongly written as Priti in my 10th and 12th educational documents. That actual name of my mother is Pinki respectively which may be amended accordingly. 0040505589-8

I,Yogesh Kumar S/O Naresh Kumar R/O-E-240, Naraina Vihar New Delhi-110028 Have Changed My Name To Yogesh Kalra for all purposes. 0040505521-1

I,Ranjeet Kumar S/o Manikant R/o-A-1833, Phase-2, Metro-Vihar Holambi-Kalan Delhi-82. Informs that father's name wronglyWritten Jai Parkash my Voter-card but correct name Manikant. 0040505574-7

I,Navinkumar Rameshchandra Soni S/o Rameshchandra Radhakishanji Soni R/o Flat.No.-O-1204A,13th Floor,Pan Oasis Apartment, Plot.No.GH-01,Sector-70, Noida, U.P.,have changed my minor son name from Swanik to Swanik NavinKumar Soni for all the future purposes. 0040505575-1

I, Vikas S/O- Ram Kishan R/O-Vpo Gumar, Sonipat, Haryana-131101 Have Changed My Name To Vikas Pahal 0040505589-4

I, Vibhu Srivastava S/o Sunil Kumar Srivastava R/o MP-39, 2nd-Floor, Pitampura, Delhi-110034 have changed my name to Saksham Srivastava permanently. 0040505574-4

I, Surjeet Mathru S/O Pyara Singh R/O 11/30, S/F, Subhash Nagar, Delhi-110027, have changed My Name To Surjeet Singh. 0040505593-1

I, Sunita W/o Sanjay R/o:H-101, Dakshinpuri, New Delhi-110062, have changed my name from Sunita Balmiki to Sunita, for all purposes. 0040505490-1

I, Sunita Narula W/O Naresh Kumar R/O A-1/117-B, Janta Flats, Paschim Vihar, Delhi-63 Have Changed My Name To Sunita. 0040505589-5

I, Sunil Singh Bhati,R/o-D-269, Sector-47, Noida,Gautam Budh Nagar(U.P.),have changed my Son name From Ayush Singh Bhati to Shivam Singh Bhati. 0040505575-3

I, Sunil Singh Bhati R/o-D-269, Sector-47,Noida, Gautam Budh Nagar(U.P.),have changed my Son name From Himanshu Bhati to Shikhar Singh Bhati. 0040505575-2

I, Srihari Dalmia S/o Late Raju Dalmia R/o-D-146, Third Floor, East of Kailash, New Delhi-65. Have Changed My Name To Shrihari Dalmia. 0040505592-1

I, Simrin Malhotra@Simrin Arya, W/o Sh.Manu Arya, R/o-N-181, Panchsheel-Park, New Delhi-110017.have changed my name to Simrin Arya post marriage, for all purposes. 0040505566-1

I, Shama Khan W/O Noashad Ahmad, H.No-81, Batla-House, Jamianagar, Okhla, New Delhi-110025, Changed My Name To Samina Arshi. 0040505593-3

I, Shaheen Begum W/O Mansoor Ali R/O X-32b, Block-X, New Ranjeet Nagar, New Delhi-110008. Changed My Name To Shaheen Bano 0040505593-4

I, Saurabh Rathi, S/o Raj Kumar Rathi, r/o-26-A,Sadhna-Enclave, Malviya Nagar, ND-17 have changed the name of my minor daughter Tavisha S Rathi aged 5-Years to Tavisha Rathi. 0040505574-5

I, Sagar Malik S/o Madan Lal R/o I-5/80 Near-RJ Palace Sector-16 Rohini Delhi-110089.changed my name to Sagar Madaan. 0040505574-8

I, Sandhya Barman, W/o Late Shri Sukhendu Barman, R/o RZ-2514B/27, Tughlakabad Extn. New Delhi-110019, have changed my name from Sandhya Barman to Celin Barman for all purposes. 0040505497-1

I, Rakesh S/o Sukhdev Singh R/o H.No.817, Sector-5, R.K. puram, N.Delhi-110022,have changed my name to Rakesh Thakur. 0040505575-4

I, Rajesh Kumar S/o Late Surendra Kumar Srivastava R/o 448/20 Kha Thakurgunj Nagaria Lucknow Inform that Rajesh Kumar and Rajesh Kumar Srivastava are one and the same person. 0060068436-2

I TANUJA W/o SHALABH KAPOOR R/O F-41, 1st Floor, Sector-54, Suncity, Gurgaon, Haryana have changed my name to TANUJA KAUSHAL. 0040505521-4

I Ripika Bhatia D/o Harish Kumar Bhatia R/o House No.C-11 Nehru Ground Nit-1 Faridabad have changed my name to Rippika Bhatia. 0040505589-1

I Rahul S/O Satish Kaushal R/O Flat No-1047, Sector-C, Pocket-1, Vasant Kunj, Delhi-110070 Have Changed my Name to Rahul Kaushal. 0040505521-3

व्यक्तिगत

I, Rajaram Pandurang Rokade S/o Shri Pandurang Rokade, Present Address is R/o EEE Sub Group (21 SIG GP) C/O 56 APO-918393, inform that in my service record my daughter's name wrongly mentioned as Anushka Rokade and DOB 23.06.2013. But my daughter's correct name is Anushka Rajaram Rokade and DOB is 09.06.2013 0040505540-1

I, RENUKA KADAKOL w/o 153347171Y L/NK Dundappa Kadakol R/O Vpo-Mole, Teh-Athani, Distt-Belagavi, Karnataka-59130 Have Changed My Name From Renuka Kadakol To Renuka Dundappa Kadakol,For All Future Purposes. 0040505589-3

I, Praveen Sharma/Praveen Bala W/O Manoj Kumar Sharma R/O-A-283, Prashant Vihar, Sector-14, Rohini, Delhi-110085. Changed my Name to Anu Sharma. 0040505589-7

I, Piyush Arora S/o Sh.D.K. Arora R/o 32, United India Apartment, Mayur Vihar, New Delhi-110091 have changed the name of my minor daughter from Tisya Arora to Amaira Arora for all purposes. 0040505491-1

I, Parvesh Lakra S/O Om Prakash R/O H.No.11 Village-Ranholla, Nangloi, New Delhi-110041. Changed My Name To Parvesh Kumar. 0040505566-6

I, Parasuram S/o Vishwanathan R/o 131 PKT-B-8, Sector-4, Rohini, Delhi 110085 have changed my name to K. V. Parasurama Sastrigal 0040505513-1

I, Param Kumar R/o H.no. 1/26, Gali Mangal Sen, New Basty, Mp Road, Tundla, Dist. Firozabad-283204, have changed my minor daughter's name from Himanshi to Himanshi Pal for all purposes. 0040505329-2

I, Param Kumar R/o H.no. 1/26, Gali Mangal Sen, New Basty Mp Road, Tundla, Dist. Firozabad-283204, have changed my minor daughter's name from Nupur to Nupur Pal for all purposes. 0040505324-2

I, Nitu Martin, W/o Sandeep Gupta, R/o R-1102, Prateek Wisteria, Sector-77, Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh 201301, have changed my name to Nitu Gupta for all purposes. 0070667548-1

I, Nikki D/o Sh.Mahender Sharma R/o House No.48, Gali No.1, Sangam Vihar (Santoshi Vihar), Loni, Distt. Ghaziabad, U.P., have changed my name to Navya Sharma for all purposes. 0040505491-3

I, Manish Gupta R/O-54, Bhagirathi-Apptt. Sec-9, Rohini, Delhi-85, Changed My Minor Child's Name Ankush Gupta To Dhruv Gupta. 0040505589-6

I, Mamta Kapoor W/O Deepak Sarin R/O Flat No-2, Vaishali Apts, Vikaspuri Delhi-110018 Have Changed My Name To Sonia Sarin. 0040505521-2

I, Kundan Singh, R/o H No-1368, 2nd Floor, Sector 17C, Gurgaon 122001, have changed my name to Kundan Singh Bisht. 0070667572-1

I, Km Bimlesh W/O Sunil Kumar R/O-Rz-31/4, Gali No-1, Durga-Park, Naseerpur, New Delhi-110045. Changed My Name To Bimlesh Sharma. 0040505593-2

I, Kanchan Bala Arora W/o Prithvi Pal Chauhan R/o F-286-A, Nandgram, Ghaziabad, UP, have changed my name to Kanchan Chauhan. 0040505574-2

I, Kamta Prasad S/o Suresh Chand Goel R/o-64A Block-E-2 Shastri-Nagar Ashok-Vihar Delhi-110052 changed my name to Kamta Parshad Goel. 0040505574-6

I, Kabta Kirti D/o Harnam Singh R/o 2884, Second Floor, J Block, Sainik Colony, Faridabad, Haryana-121001, have changed my name to Kirti Kabta for all future purposes. 0040505498-1

I, Juganu Nigahat Paraveen/ Nigahat Paraveen W/o Waris Ali Khan R/o-B-9, Agahpur, Sector-41, Noida have changed my name to Jugnu Khan. 0040505574-1

I, Jaya Kumari Sinha @ Jaya Sinha @ Jaya Srivastava D/o Late Sh. Bindeshwari Prasad Sinha W/o Sh.Vijay Kumar Srivastava R/o E-32, Brahma Apartments, Plot No.7, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075, have changed my name to Jaya Srivastava for all purposes. 0040505491-2

I, Jai Gopal Gupta S/O Bhagwan Dass R/O T-329, Galino.2, Shivaji-Nagar Narela, Delhi-110040. Changed My Name To Jai Gopal. 0040505566-5

I, Irshad Ahmed S/o Mohd Anwarul Haq R/o 198/B-4, Basant Lane,Railway Colony, Paharganj, New Delhi-55, wrongly mention my father name in my service record Mohd Yunus. Mohd Yunus and Mohd Anwarul Haq both are same and one person. 0040505590-1

I Yogesh Chutani S/o Howan Lal R/o H.No. E-301 Iero Uptown Sector-66 Gurgaon have changed my name to Yogesh Kumar. 0040505589-2

I Tarun Kumar S/o Ramesh Sharma R/o 17/18 Housing Board Colony, Faridabad, Haryana have changed my name to Tarun Sharma 0040505496-1

मैं, कु. सीमा कुमारी शर्मा, पत्नी महेश कुमार दाधीच, निवासी प्रोफेसर क्वार्टर नं. १३, बीपीएस महिला विश्वविद्यालय परिसर, खानपुर कलां, सोनीपत, हरियाणा ने अपना नाम बदलकर सीमा दाधीच कर दिया है।

I, Dhanvati D/o Late Natthan Singh W/o Satish Kumar R/o-4/2289 Gali No.3, Bihari Colony, Shahdara Delhi-110032,have changed my name to Anju after marriage 0040505521-7

I, Chander Prakash Gupta S/o Mukut Behari Gupta R/o-311, Pocket-K, Sarita-Vihar, New Delhi-110076.have changed my name to Chandra Prakash Gupta. 0040505574-3

I, Babita Subhash Chandar Saraswat W/O, Subhash Chandar Saraswat R/o 2102, Tower-6, Tata Primanti Garden Estate Sec-72, Gurgaon-122101, have changed my name to Babita Subhash Saraswat. 0040505501-1

I, Ashu Guta S/O Jai Gopal R/O T-329,Galino.2, Shivaji Nagar, Narela, Delhi-110040. Changed My Name To Ashu Gupta. 0040505566-4

I, Arun Kumar S/o Sh. Kasturi Lal Ajmani R/o I-112, Kirti Nagar, New Delhi-110015 have changed my name to Arun Kumar Ajmani. 0040505502-1

I, Anuksha Hooda D/o Mr. Rajiv Hooda R/o Flat No.603, Block-5, Eastend Apartment, Ahinsa Khand-2, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201014, have changed my name to Anushka Hooda. 0040505536-1

I, Ankita Mittal W/o Shri Vijay Kumar Agarwal R/o T-24/10, Second Floor, DLF Phase-3 Gurugram, Haryana- 122010 have changed my name from Ankita Mittal to Ankita Mithal for all purposes. 0040505520-1

I, Anita Aggarwal W/O Subhash R/O A-266, Vikas Puri, Delhi-110018. Have Changed My Name To Anita. 0040505566-2

I, Amit Kumar Bhagra, Son Of, Gopal Chand Bhagra R/O.Flat No.507, 1st-Floor, Pocket-5, Mayur-Vihar, Phase-I, Delhi-110091,Have Changed My Name To Amit Bhagra, For All Purposes. 0040505566-3

I, Abid S/o Mohd. Jahid, R/o P-1/201, Gali No.12, Sultan Puri, Delhi-110086, have changed my name to Mohd. Abid. 0040505553-1

I, Karam Veer Yadav S/o Brhamjeet Yadav R/o H.No.622, Paryavaran Complex, South Delhi-110030 have changed my name to Karam Veer for all purposes. 0040505616-1

I hitherto known as Sonam Madan W/o Sh.Deepak Grover R/o.H.No.57, N-Block, South City-1, Sector-40, Gurgaon, Haryana-122001 have changed my name and shall hereafter be known as Sonam Grover. 0040505589-9

I Hitherto known as Sanjay Chaudhary S/o Tejveer Singh R/o-46/2A Gali No.17,East Azad Nagar, Delhi-110051 have changed my name & shall hereafter be known as Sanjay Singh 0040505521-6

I Gulshan Kumar Aggarwal S/O-Daulat Ram Aggarwal R/O-2a/603 Rang Rasayan-Apartment Sector-13 Rohini Delhi-110085.Have Changed My Name To Gulshan Aggarwal. 0040505574-9

I Bahadur Singh Bharaj S/o Mohan Singh R/o.H.no.A-24, Gali no.23, Vikas-Vihar, Nilothi-Extn., Delhi-110041. have changed my name to Bahadur Singh. 0040505566-7

I Surinder Singh S/O Sh.Suba R/O.Plot No.393/H-180/S Chand Nagar Vishnu Garden Delhi-18. Have Changed My Name to Sawandar Singh. 0040505593-5

I, Raju Rathore S/o Shri Virendar Kumar R/o-E-348,New Ashok Nagar,Delhi-110096,have changed my name from Raju to Rathore for all purposes. 0040502499-6

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुव्वकिल श्री ओम प्रकाश सागर पुत्र स्वर्गीय श्री गुलाब सिंह निवासीः-700A, गणेश नगर-II, शकरपुर, दिल्ली व इनकी पत्नी श्रीमती मीरा सागर अपने पुत्र श्री दीपक सागर @ आशु एवं उसकी पत्नी श्रीमती भारती सागर को कहना न मानने, समाज में प्रतिष्ठा धूमिल करने व मेरे मुवक्किल को तरह-तरह से परेशान/प्रताड़ित करने के कारण अपनी समस्त चल और अचल सम्पत्ति से बेदखल करते हुए अपने सभी पारिवारिक सम्बन्ध समाप्त करते है। भविष्य में अपने कार्यों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

Deepak Jain (Advocate)
410, Gali No.2, Ganesh Nagar-II,
Shakar Pur, Delhi-92

PUBLIC NOTICE

My client Bhagwati Devi W/o Naresh Kumar Sharma R/0 RZ-90-A, Gali No.-8, New Uttam Nagar, New Delhi-110059 has disowned her son Manoj Sharma and has debarred him from inheriting any movable and immovable properties owned by my above said client. She has also severed all kind of relations with Manoj Sharma. Any person dealing with Manoj Sharma will do so at his/her own risk. Sd/-

Pradeep Kumar (Advocate)

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client Shri Deepak Sharma S/o Sh. Budh Prakash Sharma R/o H.No.-818, Taga Saray-2, Hapur, U.P.-245101 has purchased property bearing No.C-5/227, Parvatiya Anchal, Sant Nagar, Burari, Delhi-110084 in the name of his wife and the said property was purchased by Shri Deepak Sharma for the welfare and use of his family. My client has come to know that someone is trying to sale this property without consent of my client. In case anybody deals with the said properties in any manner, he or she shall be responsible for the same and the said deal shall have no legal binding and force upon my aforesaid client.

Sandeep Garg (Advocate)
D-68A, Aruna Park, 3rd Floor,
Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-92

खोया+पाया

I, Pratima Deshpande D/o Sh. Ramu Deshpande, have lost my 10th, 12th-class CBSE marksheet and Certificate 10th Roll No. 6113351 year-2004 and 12th Roll No. 6207733 year-2006, finder contact-8374793597. 0040505519-1

I, Shristi kapoor D/o VINOD Kapoor R/o-H-59 B new lahore colony Shastri-nagar Delhi.Have lost my original-certificate class-10th Year-2017 Rollno-8615672 cbse-Delhi 0040505521-10

I, Subhash Sharma S/o Khacheru Ram R/o-1/9512 St.No.8,West Rohtas Nagar,Shahdara Delhi-110032,have lost my original certificate Class-12th Year-1985 Roll No.303298 CBSE Delhi. 0040505521-8

It is notified for information that General Power of Attorney of Daljit Singh Grover S/O Sh. Kartar Singh Grover issued by Punjab & Sind Bank, New Delhi on 27.08.2004 vide MF No. 4543 has actually been lost. If found please contact on Ph. No. 9811041934 or Punjab & Sind Bank, Head Office, Bank House, 6th Floor, 21, Rajendra Place, New Delhi-8. 0050152460-1

It is notified for the information that my original-qualifying examination certificate of main secondary examination of 2013 and roll.no.8674296 issued by CBSE has been actually lost. Rupali D/o-Summeri Lal R/O-H.no.219/80, Gali.no-5, Rameshwar-Nagar, AzadPur, Delhi-110033. 0040505593-7

I, Komal S/o Bijender singh R/o-490, Rajnagar, Delhi-94. have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8639247 CBSE-Delhi. 0040505566-9

I, ANJALI D/o Kuldeep R/o.H.No-231 bhudanpuri majar Delhi-110081. Have lost my original certificate class-10th year-2017 Roll No.8676272 CBSE, Delhi. 0040505521-9

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Smt. Anita W/o Late Sunil Kumar Sahdeva R/o H. No. A-188, Nand Ram Park, Uttam Nagar, D.K. Mohan Garden, New Delhi-110059 has disowned her son Hemant Kumar and Daughter-in-law Jyoti wife of Hemant Kumar from all their moveable /immovable properties/assets due to their misconduct and misbehavior towards my client and my client has severed all their relations with them, if any body deals with them will do so at his/her/their own risk and responsibilities my client, shall not be held responsible for any kind of act done by them.

Naveen, Advocate
Ch. No. 13, Patiala House Courts, New Delhi-110001
M. No. 8800826566

PUBLIC NOTICE

That it may be known to all that my client Shankar S/o Ram Singh R/o-16/870-H, Pyare Lal Road, Bapa Nagar, Karol Bagh , New Delhi-110005 has severed all his family relations with his brothers Om Prakash, Mahinder Singh @Jayanti his wife Baby and sons Sanjay, Kapil their due to unsocial nature and ill behavior. That my client apprehends that his brothers and their family in conspiracy may get him killed or implicated in some false criminal cases and therefore and has also disowned and debar him from all his moveable and immoveable properties and anybody dealing with them in any manner shall be solely responsible for the same.

Sd/-
Umesh Kumar Choubey
Advocate
Enl. No.- D/2056/2008

SALE NOTICE

Notice is hereby given that Hon'ble Court of Ld. CMM, Dwarka Courts, New Delhi vide his order dated 03.10.2015 directed Avinash Singh Jawa to sell his below mentioned properties:
1. Shop bearing Nos F-207 to 212, Ashish Plaza, Plot No2, Pocket-7, Sector-12, Dwarka, New Delhi
2. Property bearing No.89/44, khasra No.89/34, 91,93 situated at village Jeewali Tonk, Rajasthan.
3. Property bearing Khasra No 532/6 (10-0) situated at village Jeewali Tonk, Rajasthan.
4. Property bearing Khasra No 752(0.24 Hec), 1056/752 (0.12 Hec), 1057/752 (0.12 Hec) situated at Village Khedki Mukkad, Tehsil Kotputli, Distt. Jaipur (Rajasthan).
Contact Person: Avinash Singh Jawa: 9393503000

BROSIS BARRISTERS INDIA

PUBLIC NOTICE

My client Shri Arbind Das age 57 S/o Late Amul Das R/o C-137, Bhumin camp, N.D. 19, has debarred and disowned his sons namely, Sh. Amit Das@ Bablu age 26 years, form his moveable or immovable properties and also severed all their relations with them as he is out of control, disobedient and insincere. If anybody deals with them, he will do so at his own risk, cost and consequences. My client shall not be held responsible for any of his acts and deeds.

Manoj Johnson (Advocate)
Ch. No. 301, Patiala House Courts, New Delhi
Mob: 9871607094

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I, Anant Narain Haksar, son of Late Shri Ajit Narain Haksar, R/o B-26, Maharani Bagh, New Delhi, am the owner and in physical possession of Property bearing Plot No.B-26 (Old Plot No. C-13), in Block No C, measuring 800 Sq. Yds. in the lay out plan of Maharani Bagh Co-operative House Building Society Ltd., situated at Maharani Bagh, New Delhi, and have applied for conversion from lease hold into freehold of said plot in D.D.A. The original Perpetual Sub-Lease Deed, Sanction Letter, Sanction Plan, "D" Form, Completion Certificate etc. of said plot, has been lost. An F.I.R./NCR to this effect has been lodged.

Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents may write/contact with above named person at above address within 15 days from the date of publication of this notice.

Anant Narain Haksar
(Senior Advocate)
B-26 Maharani Bagh
New Delhi-110065

पब्लिक नोटीस

मेरे मुव्वकिल **बाबू लाल पुत्र श्री जगन नाथ निवासी 6155 कूचा शिव मन्दिर खारी बावली दिल्ली-110006 ने अपने पुत्र सुमित कुमार पुत्रवधु आशी** को गलत व्यवहार आचरण के कारण अपनी चल अचल सम्पति से बेदखल कर सभी सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। भविष्य में यह कोई लेन देन करते हैं तो उसके जिम्मेदार खुद होंगे मेरे मुव्वकिल व उनका परिवार दीवानी और फौजदारी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

RAJIV KUMAR
(ADVOCATE)
Enroll. D/3560/09
Ch./Seat No. 112, Old Court
Kashmeri Gate Delhi-110006

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that My client Sh. Amarjit Singh S/o Shri Joginder Singh R/o WZ-17, Third Floor, Mukherjee Park, Tilak Nagar, New Delhi have severed all their relations with his son namely **Sh. Ravinder Pal Singh & his family** and Disowned him from all their movable and immovable properties with immediate effect and he is residing separately from my client and also being disobedient and my client shall not be responsible for his any acts deed.

Sd/-
SAHIL GOEL (ADVOCATE)
R-135,
Model Town-3 Delhi-09

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my clients Sh. Anil Kumar Bansal S/o Sh. Vinod Kumar Bansal and his wife Smt. Shobha Bansal Both R/o 4214, 2nd Floor, Main Road, Pahari Dheeraj, Sadar Bazar, Delhi-110006, have severed their all relations with their son Sulabh Bansal and his wife Archana Bansal, R/o 4214, 3rd Floor, Main Road, Pahari Dheeraj, Sadar Bazar, Delhi-110006 and debarred them from their movable and immovable properties/assets. My clients shall not be liable for their any act or deeds in any manner whatsoever. Anybody dealing with them will be at his own cost and risk.

Sd/-
(VARUN JAIN)
ADVOCATE
Ch. No. 625-A, W. Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Be it known to public at large that my clients (1) Sh. Anil Kumar manchanda s/o Munni Lal Manchanda & (2) Smt. Babita W/o Sh. Anil Kumar Manchanda both R/o D-1745, Jahangir Puri, Delhi has severed their relationship with their son Gaurav Manchanda and daughter-in-law Preeti and completely debarred and disowned them from their moveable and immoveable properties and other things of benefits because of bad treatment meted out to my aforesaid client by them. If anybody deals with them they will do so at their own risk, cost and consequences for which my above client shall not be responsible in any manner.

Sd/-
SANJAY KUMAR AGGARWAL (Advocate)
Ch. No. 345, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

This is to inform to the General Public that my client Smt. Neeta Gambhir w/o late Sh. Raj Kumar Gambhir R/o 99, vidya vihar Apartments, Sector-9, Rohini, Delhi, has severed all her relations with her son Deepankar Kr Gambhir and daughter in law Esha Chugh Gambhir and have further disowned and debarred them from all her moveable and immoveable properties. Anybody dealing with them, shall do so at his/ her own cost, risk and consequences. My clients shall not be responsible for their any act or conduct in any manner whatsoever.

Sd/-
YASHVANT SINGH
ADVOCATE
Ch. No. 1104,
ROHINI COURTS DELHI-110085

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that under instruction from and on behalf of "My Client **SMT. MEENA DEVI W/O LATE SH CHAMAN LAL R/O GROUND FLOOR, RZ-38, GALI NO. 2, DURGA PARK, NASIR PUR, NEW DELHI,** has disowned her son namely **MR DEEPAK SHARMA S/O LATE SH CHAMAN LAL R/O FIRST FLOOR, RZ-38, GALI NO. 2, DURGA PARK, NASIR PUR, NEW DELHI,** from all her movable, immovable assets & ceased all relations with him. Anybody dealing with him will do so at his/her/their own risks. My client will not be responsible for his any act, transaction in any manner.

Sd/-
R. B. Singh Advocate
Delhi High Court

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I AFSANA W/O AFTAB, residing at A-342, Transit Camp, Govind Puri, Kalkaji, Delhi-110019 declare that name of mine has been wrongly written as GUDIYA in my minor son JAHIR KHAN aged 14 years in his School Records. The actual name of mine is AFSANA, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

That my client Prem Nath Dogra S/o Sh. Sailo Ram and Smt. Kamlesh W/o Prem Nath Dogra both R/o H. No. 92-C, Block-L, Saket, New Delhi-17, have severed all their relation from their son Ravi Dogra because of his uncontrolled attitude and behaviors and have debarred him from our moveable and immoveable property, my clients shall not be responsible for any of his activities.

Sd/-
(Yoginder Singh Tomar) Advocate
Chamber No. 708, Patiala House
Court New Delhi.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, **PARVEEN** son of Shri **ISHWAR LAL**, residing at H. No. 669, Subhash Camp, Dakshinpuri Ext., Dr. Ambedkar Nagar, New Delhi-110062, declare that the name of mine has been wrongly written as **PARVEEN KUMAR/ PRAVEEN KUMAR/ PARVEEN CHAUHAN/ PARVEEN KUMAR CHAUCHAN** in my Aadhaar Card, Passport, PAN Card and in my minor daughter **ISHIKA CHOUHAN** aged 16 and minor son **KRISH** aged 13 years Birth Certificate and School Record. The actual name of mine is **PARVEEN**, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I SANTOSH W/O SURJEET R/O 1052, BAHU AKBARPUR ROHTAK, HARYANA-124001. Declare that name of mine written as SANTOSH KUMARI in my Passport (Passport no.K7269174) is my maiden name. The actual name of mine is SANTOSH. This may be amended accordingly. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection

अदालती सूचना

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)

In the Court of **Sh. Laxmi Kant Gaur,** LD. ADJ-05, (Central), Room no 102, Tis Hazari Courts, Delhi
CS No. 687/17
ICICI Bank Ltd. V/s Anil Kumar
To
Anil Kumar S/o Sh. Ramesh Chand H. No. 88/1, Mithapur Village, Near Aggarwal Dharamshala, Post Office Badar Pur, Delhi-110044

Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **05.08.2019** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the Court, this **18.04.2019.**

ADJ-05, (Central), Delhi

भारत फिर से बनेगा विश्व गुरु : भागवत

सिमडेगा, 31 जुलाई (भाषा)।

- सर संघचालक भागवत ने बुधवार को सिमडेगा के पावन रामरेखा धाम में पूजा-अर्चना की।
- हर साल धाम में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं की उमड़ती है भीड़।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बुधवार को यहां कहा कि भारत एक दिन फिर विश्व गुरु बनेगा।

यहां पावन रामरेखा धाम में दर्शन पूजन के बाद उन्होंने अपने अभिनंदन कार्यक्रम में कहा कि पहले यूरोप व इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बदलने के बाद अंग्रेजों की नजर एशिया पर थी लेकिन वह यहां भारत को नहीं बदल पाए। यही भारत की विशेषता है।

इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने बुधवार को सिमडेगा के पावन रामरेखा धाम में पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने धाम परिसर में आयोजित अभिनंदन समारोह में कहा कि वे रामरेखा धाम की महिमा के बारे में पूर्व में भी सुनते रहे हैं लेकिन यहां आने का सौभाग्य उन्हें आज प्राप्त हुआ। उन्होंने धाम विकास समिति, हिंदू धर्म रक्षा समिति व विहिप के पदाधिकारियों को संबोधित किया।

भागवत ने सभी से कहा कि वे निस्वार्थ भाव से अपना काम करते रहें। धाम को ध्वजा-पताका से सजाया गया था। गुफा मंदिर के अंदर भी फूल-मालाओं से सजावट की गई थी। रामरेखा धाम के महंत उमाकांतजी ने कुछ माह पूर्व रांची में मुलाकात कर सरसंघ चालक मोहन भागवत को रामरेखा धाम आने का निमंत्रण दिया था। अब रामरेखा धाम को राज्य सरकार ने राज्य स्तर का धार्मिक पर्यटन स्थल का दर्जा देते हुए उसके विकास कार्य का जिम्मा लिया है।

मान्यता के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में वनवास काल के दौरान अपनी पत्नी सीता व भ्राता लक्ष्मण के साथ यहां कुछ दिन बिताए थे। यहां विशालकाय गुफा में भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता समेत अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। यहां हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जो धाम परिसर में बने नैसर्गिक धनुष कुंड में स्नान कर गुफा मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं।

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my clients **Sita Ram Tripathi** son of Ram Raj Tripathi & **Sulochna Devi** wife of Sita Ram Tripathi both residents of B-54, Hastsal Vihar, Vasundhara Public School, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have disowned/ debarred their Daughters namely **RANI** wife of Dharmender Sharma and **RENU TRIPATHI** wife of Manish Sharma from their movable and immovable properties due to their disrespectful behavior, out of control and have severed their relations with them for all intents and purposes with immediate effect. Anybody he/they deals with them will do so at his/her/their own risk and responsibility.

Ashok Kumar Tyagi & Associates
Advocates
A-3, Main Najafgarh Road, Uttam Nagar, New Delhi- 110059

PUBLIC NOTICE

This is for information of general public that my Client Smt. Neelam Kumari W/o Sh. Kanwal Singh Malik R/o A-16, Double Storey, Ramesh Nagar, New Delhi-15 has debarred & disowned her son Ajay Malik from all her movable & immovable properties because he is out of control of my client. Anybody dealing with him shall do so at his own risk & responsibility.

Adv. Virender Kumar
227, Authority Building, Janakpuri

राज्यसभा ने मोटर यान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा)।

राज्यसभा ने देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से बुधवार को सड़क सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधानों वाले मोटर यान (संशोधन) विधेयक-2019 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया। विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया।

यह विधेयक पिछले सप्ताह लोकसभा में पारित हुआ था। किंतु विधेयक में 'मुद्रण की कुछ मामूली त्रुटि' रह जाने के कारण सरकार को उसे ठीक करने के लिए तीन संशोधन लाने पड़े। इन संशोधनों के कारण अब यह विधेयक फिर से लोकसभा में जाएगा। उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि सरकार का मोटर यान संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यों के अधिकार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। इसके प्रावधानों को लागू करना राज्यों की मर्जी पर निर्भर है और केंद्र की कोशिश राज्यों के साथ सहयोग करने, परिवहन व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने और दुर्घटनाओं को कम करने की है।

Classifieds
EXPRESS EDUCATION

KSG
An Institute For IAS Exam...
The power of general studies at KSG
NEXT FOUNDATION BATCH
BHOPAL M.P. Nagar, ZONE II 5th AUGUST 7509975361
INDORE Bhawar Kuan 17th AUGUST 9893772941
DELHI NORTH 19th AUGUST 9717380832
DELHI CENTRAL 2nd SEPTEMBER 9811293743
SPECIAL FOCUS ON ANSWER WRITING SKILL DEVELOPMENT
www.ksgindia.com | DELHI- JAIPUR- BHOPAL- INDORE- PATNA- BENGALURU

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

प्रेशर बम की चपेट में आने से जवान शहीद

रायपुर, 31 जुलाई (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले में प्रेशर बम की चपेट में आने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का एक जवान शहीद हो गया है। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यहां बताया कि बस्तर जिले के मारडूम पुलिस थाना क्षेत्र के बोदली गांव के जंगल में प्रेशर बम की चपेट में आने से सीआरपीएफ की 195वीं बटालियन के जवान रोशन कुमार (नालंदा, बिहार) शहीद हो गए।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ के पुशपाल शिविर से मंगलवार रात को सीआरपीएफ का दल गश्त के लिए निकला था। दल बुधवार सुबह बोदली गांव के करीब था, जहां सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। दल के जवान जब क्षेत्र में थे, तभी रोशन कुमार का पैर प्रेशर बम पर पड़ गया। इसके बाद बम में विस्फोट हो गया और कुमार शहीद हो गए।

महाराष्ट्र में चार विपक्षी विधायक भाजपा में शामिल

मुंबई, 31 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र में विपक्षी एकता को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस का एक और राकांपा के तीन विधायक बुधवार को सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए। इन विधायकों ने एक दिन पहले विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। भगवा पार्टी के सूत्रों ने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा चारों को मैदान में उतार सकती है। राकांपा के जिन तीन विधायकों ने अपना पाला बदला है, वे सतारा से शिवेंद्र राजे भोंसले, नवी मुंबई के एरोली से संदीप नाईक और अहमदनगर जिले के अकोले से वैभव पिचड़ हैं। इनके अलावा भाजपा का दामन थामने वालों में मुंबई के वडाला से कांग्रेस के विधायक कालिदास कोलंबकर भी शामिल हैं।

SBI भारतीय स्टेट बैंक

आर.ए.सी.पी.सी.- प्रथम तल, स्थानीय मुख्यालय, मोती महल मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-226001

कब्जा नोटिस {नियम 6(1) के तहत चल सम्पत्ति}

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी **भारतीय स्टेट बैंक** द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनः संरचना तथा प्रतिभूति हित का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 (अधिनियम नं. 54, 2002) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा-13(2) एवं 13(12) सहपठित नियम 8 व 9 के अर्न्तगत निम्नलिखित खातेदार को उनके सम्मुख अंकित तिथि को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अन्दर नोटिस में वर्णित राशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/ज़मानतदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सहपठित नियम 9 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित खातों में बंधक सम्पत्ति/वाहन का उनके सम्मुख अंकित तिथि को कब्जा प्राप्त कर लिया है। अतः इस सम्पत्ति के सम्बंध में किसी भी प्रकार का सौदा/व्यवहार **भारतीय स्टेट बैंक** के अतिरिक्त किसी अन्य से न करें। ऐसा कोई भी सौदा व्यवहार **भारतीय स्टेट बैंक** को देय राशि व तत्सम्बंधित ब्याज, जैसा कि खाते में उल्लिखित किया गया है, के अधीन हो। **ऋणी को सुरक्षित परिसम्पत्ति के आधार पर धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधान के अन्तर्गत दिये गये समय में आमंत्रित कर रहे हैं। सम्पत्तियों का विवरण जिसका कब्जा लिया गया है:**

ऋण-ग्रहिता का नाम एवं पता/खाता संख्या/शाखा	चल सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि 13(2) के अनुसार	मांग सूचना की तिथि / कब्जा तिथि
ऋणीः- श्री अजय जायसवाल, मकान नं. 188/11, दुर्गा प्रसाद हाता, मसक गंज, लखनऊ। खाता सं.- 37474547018 (Car Loan) शाखा-निशातगंज	Vehicle Regn. No.- UP-32-JM-9537 Asset/Vehicle Make- HYUNDAI EON Engine No.-G3HAHM540536 Chasis No.-MALA251ALHM587640	रू. 3,47,489/- दिनांक 12.02.2019 तक + ब्याज व अन्य खर्च	12.02.2019 / 29.07.2019

दिनांकः 01.08.2019 स्थानः लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

बैंक की छत ढही, एक की मौत

महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के करमाला में 'बैंक ऑफ महाराष्ट्र' के शाखा की छत ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। (भाषा)

राष्ट्र की पहेली और पहचान के सवाल पर बात

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

हंस के 34वें प्रेमचंद जयंती समारोह में 'राष्ट्र की पहेली और पहचान का सवाल' पर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहा कि विभिन्न पहचानों के बाद एक समर्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। हर पहचान को अपना कुछ छोड़ना होगा तभी समृद्ध और आधुनिक राष्ट्र का निर्माण होगा। फैंटेसी में आप कभी भी कुछ हो सकते हैं, बन सकते हैं पर असल जिंदगी में आप क्या हैं और क्या दिखना पसंद करते हैं उसी पर राष्ट्र का निर्माण निर्भर करता है। विविधता में एकता के सूत्र खोजना यह कोई कोरी फैंटेसी नहीं थी। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि यह कोई यूरोप और अमेरिका में खोजी हुई बात नहीं थी। अगर ऐसा होता तो 16वीं सदी में लिखी गई जायसी का 'पद्मावत' या प्रेमचंद का 'रंगभूमि' इतने ख्यात और जीवन को समझने की कुंजी नहीं बनते। भविष्य की क्या रूपरेखा हो सकती, किस प्रकार की स्मृति को संजोए रखने में हमारी दिलचस्पी है, यहीं राष्ट्रवाद को समझने की जरूरत है। हमसे जुनैद और उन्नाव की घटना पर दुखी होने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता और यही संविधान में लिखा है और यही राष्ट्रवाद है।

पत्रकार हरतोष सिंह बल ने कहा कि एक नागरिक के रूप में उनकी क्या पहचान हो सकती है यह तय करने का अधिकार किसे हो सकता है। दंगाई कोई भी हो सकता है और उसकी कोई परिभाषा और मापदंड नहीं होता। अगर ऐसा होता तो 84 का दंगा आपके सामने उदाहरण के रूप में है। भारतवासी कहते हैं तो इसका क्या मतलब है। इस समय यही समझने की जरूरत आन पड़ी है। सिद्धांतों पर बैठा हुआ स्वरूप गणतंत्र है। गणतंत्र न कभी राष्ट्र था न होगा। सामाजिक अध्येता अनन्या वाजपेयी ने मॉब लिचिंग पर बात की तो संविधान के जानकार फैजान मुस्तफा ने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का वर्गीकरण किया। मकरंद परांजपे ने सहिष्णुता और अहिष्णुता को राष्ट्रवाद से जोड़ा। हंस के संपादक संजय सहाय ने कार्यक्रम की रूपरेखा रखी और संचालन प्रियदर्शन ने किया। कार्यक्रम में रचना वर्मा के अलावा लिखने-पढ़ने वाले कई लोग मौजूद थे।

'हंस' की संगोष्ठी में अपनी बात रखते संजय शाह।

RAMAKRISHNA TEACHERS TRAINING INSTITUTE
M-Block, Vikaspuri, New Delhi-110018
Ph. : 25550497, 25529748
ADMISSION NOTICE
Management Quota seats are available for those who applied for admission to D.El.Ed./D.P.S.E course to SCERT as per SCERT norms & guidelines for the session **2019-2021**, may apply on the prescribed admission form available in the institute w.e.f.**29.07.2019 to 13.08.2019 between 9.00 a.m. to 4.00 p.m.**
Manager

'गोविंदा आला रे'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण एवं शिक्षा प्रचार समिति द्वारा जन्माष्टमी पर्व पर दिल्ली में लगातार 16वीं बार आयोजित होने वाला सर्वाधिक लोक प्रिय मटकी फोड़ कार्यक्रम 'गोविंदा आला रे' को इस वर्ष उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के झील पार्क, वेलकम मेट्रो स्टेशन के सामने आयोजित किया जाएगा।

इसे इस वर्ष गत वर्षों की अपेक्षा और अधिक भव्यतापूर्वक आयोजित किए जाने की योजना संस्था ने तय की है। जिसके तहत संस्था द्वारा इस वर्ष विश्व प्रसिद्ध कथा वाचक गौरव कृष्ण गोस्वामी महाराज की श्री मद् भागवत कथा भी आयोजित की गई है। यह जानकारी संस्था के संस्थापक, यूनाईटेड हिंदू फ्रंट के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जय भगवान गोयल ने संस्था पदाधिकारियों की आयोजित एक बैठक के बाद दी गई।

उन्होंने बताया कि इस साल भी मटकी फोड़ने वाली टीमों में लड़कियों की टीमें भी शामिल होंगी। 24 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व को बड़ी धूम-धाम के साथ मनाया जाएगा।

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
पंजी. एवं प्रधान कार्यालय: 87, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुम्बई-400 001
CIN No.: L99999MH1919GOI000526, आईआरडीए पंजी. सं.: 190
टेली.: +91 22 22708263, फैक्स: +91 22 22652811
ईमेल: investors@newindia.co.in; वेबसाईट: www.newindia.co.in
शेयर प्रमाण पत्रों के गुम होने की सूचना
कम्पनी के निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) के गुम हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) के धारकों ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र (त्रों)को जारी करने के लिये कम्पनी से अनुरोध किया है।
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर कम्पनी को कोई वैध दावा प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी नीचे वर्णित व्यक्ति (यों) को डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। उसका डुप्लिकेट्स जारी करने के उपरांत मूल शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) के संदर्भ में कम्पनी किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगी।

शेयरधारक का नाम	फोलियो नं.	प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट सं.		शेयरों की सं.
			से	तक	
के सदासिवन	0000014	24	1647999929	16479999964	36

यदि किसी व्यक्ति का उक्त शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई दावा हो तो वे उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के पास सभी समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल करें। यदि इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर कोई मान्य एवं वैधानिक दावे प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी उपरोक्त व्यक्ति को डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करेगी। आगे, किसी भी अन्य व्यक्ति (यों) के दावे पर विचार नहीं किये जाएंगे।
दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड के लिए
पंजीकृत कार्यालय:
87, एमजी रोड, फोर्ट, मुम्बई-400001
तिथि: 31 जुलाई, 2019
हस्ता./-
जयश्री नैयर
कम्पनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी

डीयू ने जारी की छठी कटऑफ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए बुधवार को छठी कटऑफ जारी कर दी। यह कटऑफ सिर्फ आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए जारी की गई है। इस कटऑफ के आधार पर एक से तीन अगस्त तक दाखिला लिया जा सकता है। छठी कटऑफ में सबसे अधिक श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) में ईडब्लूएस वर्ग की 97.25 फीसद रही है। आरक्षित श्रेणी के लिए जारी इस कटऑफ के मुताबिक अधिकतर स्थानों पर अभी अवसर उपलब्ध हैं। डीयू से संबद्ध नॉन कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड ने बुधवार को चौथी कटऑफ जारी कर दी।

एक्सप्रेसकर्मी सेवानिवृत्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

इंडियन एक्सप्रेस समूह में वरिष्ठ टाइम कीपर के पद पर कार्यरत शरद नारायण घाडगे कंपनी की करीब 31 वर्षों की सेवा के बाद बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने 1988 से सेवा शुरू की थी। उनके विदाई कार्यक्रम में साथियों ने उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना की।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय : जीपीओ पोस्ट बैग नं. 23, सरोजनी नगर, लखनऊ-226008
फोन नं.-0522-2476242, सीआईएन L25111UP1972GOI003599
सूचना
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 33 के साथ पठित विनियम 47 (1) के अनुपालन में मैसर्स स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) ने 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अपरीक्षित वित्तीय परिणाम के बारे में विचार करने और स्वीकार करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक **शुक्रवार, 09 अगस्त, 2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे बोर्ड रूम, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ** में होगी।
निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
हस्ताक्षर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
स्थान: लखनऊ
दिनांक: 25 जुलाई, 2019

IDBI BANK
आईडीबीआई बैंक लि., गोमती नगर, लखनऊ-226010, फोन: 0522-4918801/ वेब: www.idbibank.in
CIN: L65190MH2004GOI148838
अंचल कार्यालय: यूपीसीबी बिल्डिंग, 2, एम.जी. रोड, लखनऊ, पिन-226001
सूचना
आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित लॉकर खाताओं से जुड़े हमारी गोमती नगर शाखा के लॉकर धारक हमारी विभिन्न सूचनाओं तथा उनसे की गई मांगों के बावजूद काफी लंबे समय से निर्धारित लॉकर किराये का भुगतान करने में विफल रहे हैं तथा भुगतान की अनदेखी की है। लॉकर धारक द्वारा स्वीकृत नियमों एवं शर्तों के अनुसार किराये का भुगतान नहीं करने की स्थिति में बैंक उक्त लॉकर को तोड़कर खोलने के लिए स्वतंत्र है। तदनुसार, औपचारिकताओं का निर्वहन कर 07.08.2019 को उक्त लॉकर को तोड़ कर खोलने का प्रस्ताव किया गया है तथा लॉकर धारकों से आग्रह है कि उक्त कार्रवाई से बचने के लिये नियत तिथि से पूर्व शाखा में सम्पर्क करें तथा बकाये का निपटारा करें। लॉकर तोड़कर खोलने के प्रभारों का वहन रेन्टरों को करना होगा तथा बैंक के पास बकाये किराये/ अन्य चार्जेज आदि के साथ उसकी वसूली करने के लिये कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।

नं.	लॉकर नं.	तिथि से बकाया	नाम एवं पता
1.	जी-24	01.04.2016	श्री सुनील कुमार अग्निहोत्री, बी-1/39, सेक्टर-जी, जानकीपुरम, लखनऊ, पिन- 226021 (उ.प्र.)

स्थान: लखनऊ
तिथि: 31.07.2019
प्राधिकृत अधिकारी
(आईडीबीआई बैंक लिमिटेड)

SpiceJet
SpiceJet Limited
CIN: L51909DL1984PLC288239
Regd. Office: Indira Gandhi International Airport, Terminal 1D, New Delhi-110 037
Website: www.spicejet.com; email: investors@spicejet.com;
T: +91 124 3913939; F: +91 124 3913844
NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 09th day of August, 2019 to consider and approve the unaudited standalone and consolidated financial results of the Company for the first quarter ended June 30, 2019.
The notice to the stock exchange communicating the above is available on the website of the stock exchange where the shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com and on the Company's website viz. www.spicejet.com.
For SpiceJet Limited
Sd/-
Chandan Sand
Sr. VP (Legal) & Company Secretary
Date : July 31, 2019
Place : Gurugram

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय
ध्यान दें
आपका सहयोग
रामलीला, दशहरा, दुर्गा पूजा और मेलों के आयोजक।

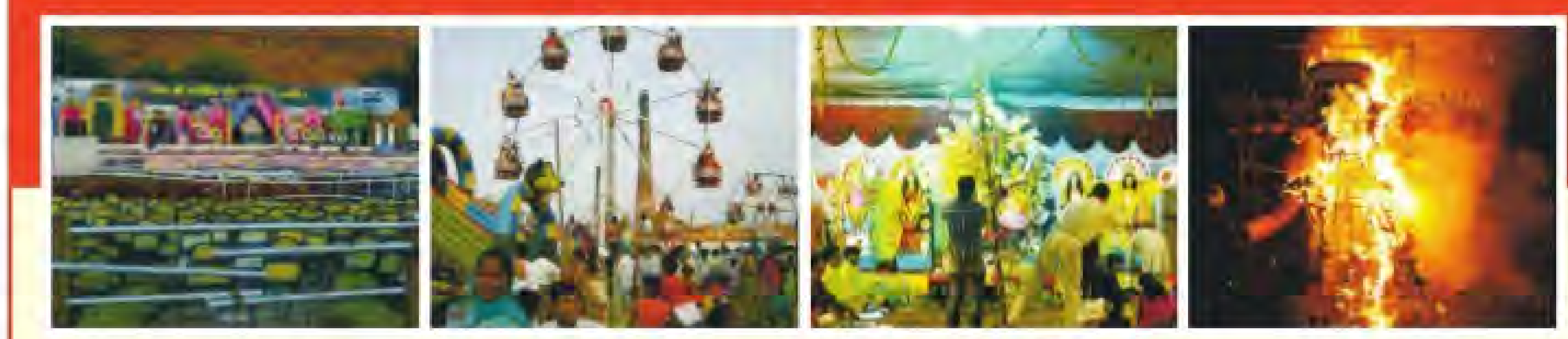

अपने लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें और अन्तिम समय में भागा-दौड़ी से बचें
आवेदन पत्र व अपेक्षित दस्तावेज हमारी वेबसाइट: www.delhipolicelicensing.gov.in पर पंजीकरण व आवेदन करके जमा किए जा सकते हैं
आवेदन प्रपत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि:
31 अगस्त, 2019
यदि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने में आपको कोई कठिनाई होती है, आप हमारी वेबसाइट से फार्म डाउनलोड कर सकते हैं और भरे हुए आवेदन प्रपत्र तथा अपेक्षित दस्तावेजों के साथ लाइसेंसिंग शाखा, पुलिस थाना डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली में विशेष सहायता डेस्क से संपर्क करें। हमारे अधिकारी आपके आवेदन की प्रोसेसिंग में आपकी मदद करेंगे। आप सहायता के लिए 26251025 पर भी कॉल कर सकते हैं।
'सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों (सिनेमा घरों के अलावा) और सार्वजनिक मनोरंजन कार्यक्रमों के नियंत्रण एवं लाइसेंसिंग संबंधी नियम 1980' के तहत प्रदर्शन लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
किसी भी स्पष्टीकरण के लिए लाइसेंसिंग सहायता डेस्क से 26251025 पर संपर्क करें अथवा ई-मेल करें: addlcp.lic-dl@nic.in
DP/9130/19

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम)
कॉनकॉर CONCOR Think Container Think CONCOR
पंजीकृत कार्यालय एवं निवेशक सम्पर्क केन्द्र : कॉनकॉर भवन, सी-3, मथुरा रोड, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110076
सीआईएन: L63011DL1988GOI030915
फोन: 011-41673093/94/95/96 फैक्स: 011-41673112
ई-मेल: co.pro@concorindia.com वेबसाइट: www.concorindia.com
शेयर ट्रांसफर एजेंट एवं रजिस्ट्रार :मैसर्स बीटल फाइनेंसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. 99, मदनगीर (लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे),दादा हरसुख दास मंदिर, नई दिल्ली-110062
फोन: 011-2996128 फैक्स: 011-29961284
ई-मेल: beetal@beetalfinancial.com.

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	एकल परिणाम				समेकित परिणाम			
		समाप्त तिमाही के लिए			समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त तिमाही के लिए			समाप्त वर्ष के लिए
		30 जून, 2019 (अलेखापरीक्षित)	31 मार्च, 2019 (लेखापरीक्षित)	30 जून, 2018 (अलेखापरीक्षित)	31 मार्च, 2019 (लेखापरीक्षित)	30 जून, 2019 (अलेखापरीक्षित)	31 मार्च, 2019 (लेखापरीक्षित)	30 जून, 2018 (अलेखापरीक्षित)	31 मार्च, 2019 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	1,638.93	1,834.29	1,568.27	6,881.91	1,654.76	1,849.54	1,597.19	6,956.06
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व)	324.97	483.65	350.02	1,688.88	325.34	479.14	343.83	1,648.97
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	324.97	483.65	350.02	1,688.88	325.34	479.14	343.83	1,648.97
4	कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	227.83	352.31	252.37	1,215.41	242.51	360.02	257.39	1,224.59
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय {अवधि (कर पश्चात) के लिए लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल}	227.70	349.57	253.79	1,213.55	242.28	357.21	258.75	1,222.66
6	इक्विटी शेयर पूंजी	304.65	304.65	243.72	304.65	304.65	304.65	243.72	304.65
7	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाए गए अनुसार				10,063.22				10,025.25
8	अर्जन प्रति शेयर (रु. 5/- प्रत्येक) (अनवरत और समाप्त परिचालनों के लिए)								
	1. मूल (रु.)	3.74	5.78	4.14	19.95	3.98	5.91	4.22	20.10
	2. तनुकृत (रु.)	3.74	5.78	4.14	19.95	3.98	5.91	4.22	20.10

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और 31 जुलाई, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
टिप्पणी: उपरोक्त परिणाम, सेबी (सूचीयन एवं अन्य प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किए गए 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट **www.nseindia.com, www.bseindia.com** और कम्पनी की वेबसाइट **www.concorindia.com** पर उपलब्ध है।
निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से
हस्ता./-
(मनोज कुमार दूबे)
निदेशक (वित्त)
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31 जुलाई, 2019

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	34.5 डि.से.	34.5 डि.से.	31.8 डि.से.	34.4 डि.से.
न्यूनतम	27.8 डि.से.	27.8 डि.से.	27.7 डि.से.	27.8 डि.से.

बिजली शुल्क की नई दरों का एलान

घरेलू उपभोक्ताओं को राहत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने उपभोक्ताओं के लिए बिजली के तय शुल्क में कमी की है और नई बिजली दरों का एलान किया है, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को बिल कम भरना पड़ेगा। आयोग ने मनोवैज्ञानिकों व फिजियोथैरेपिस्ट को भी घरेलू श्रेणी में रखा है।

आयोग ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कही है साथ ही ई-रिक्शा के लिए भी बिजली टैरिफ में राहत दी है। यह राहत तय शुल्क व टैरिफ के बदलाव से संभव हुआ है। बिजली उपभोक्ता लंबे समय से डीईआरसी से तय शुल्क में कमी करने की मांग कर रहे थे। आयोग ने लघु दुकानदारों की सुविधा के लिए 3 किलोवॉट की एक श्रेणी बनाई है। इस श्रेणी में उपभोक्ताओं पर बिजली का शुल्क कम किया गया है।

ये भी किए गए हैं प्रावधान

- आयोग ने विलंब भुगतान अधिभार को 1.5 फीसद से 1.8 फीसद तय किया गया है
- 8 फीसद के अधिभार में कोई बदलाव नहीं किया गया है
- डिस्कॉम काउंटर पर 4000 रुपए तक ही नकद जमा होगा
- 50 हजार तक के बिल बैंक शाखाओं में ही जमा होंगे
- उपभोक्ताओं को 3.8 फीसद का पेंशन अधिभार देना होगा

दूसरी ओर, प्रदूषण से लड़ने के लिए सड़कों पर उतारे गए ई-वाहनों के लिए अब बिजली सस्ती होगी। इन वाहनों के लिए बने चार्जिंग स्टेशन पर 5.50 रुपए प्रति किलोवॉट की दर से भुगतान देना होता था। अब इन वाहनों को 4.50 रुपए की दर से यह भुगतान देना होगा। मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि श्रेणी से अलग से बदलाव किया गया है। मशरूम खेती को निश्चित शुल्क को 200 रुपए प्रति किलोवॉट और 6.50 रुपए कर दिया गया है।

तय शुल्क पूरी तरह वापस लिया जाए : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्षों हारुन युसूफ, देवेंद्र यादव और राजेश लिलोठिया ने बिजली बिलों पर लिए जाने वाले तय शुल्क को पूर्ण रूप से वापस लेने की मांग की। तीनों नेताओं ने आरोप लगाया कि डेढ़ वर्ष में तय शुल्क और पेंशन फंड के नाम पर दिल्लीवासियों को लूटा जा रहा है। उन्होंने मांग की कि बिजली की दरों में कटौती की घोषणा को डेढ़ वर्ष से लागू करना चाहिए। कार्यकारी अध्यक्षों ने कहा कि बिलों पर लगाए गए शुल्कों को पूर्ण रूप से वापस लिया जाए और इसके द्वारा वसूले गए करोड़ों रुपए उपभोक्ताओं को वापस लौटाए जाएं या उपभोक्ताओं के अगले 6 महीने के बिलों में समायोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि दिवंगत पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित के नेतृत्व में जब प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिला था, तब यह मांग की गई थी कि बिजली उपभोक्ताओं से जो 7401 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों ने तय शुल्क और पेंशन फंड के नाम पर वसूला है उसे तुरंत वापस किया जाए।

देश के दूसरे राज्यों में बिजली के बढ़े दामों को सिसोदिया ने बताया घोटाला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पिछले पांच साल से दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़े हैं जबकि दूसरे राज्यों में दाम अधिक हैं। दूसरे राज्यों में बिजली के दामों में बढ़ोतरी को दिल्ली सरकार ने घोटाला बताया है और इसकी सीबीआइ जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार में दाम बढ़ाए नहीं बल्कि घटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगातार बिजली की दरों को कम किया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 2010 में 539 रुपए का बिल आता था। 2013 में 928 रुपए का। 2018 में 660 रुपए हुए और अब यह 408 रुपए हो जाएगा। दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां पर बिजली के दामों में कमी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने चार माह पहले फिक्स चार्ज कम करने घोषणा की थी। इससे हर वर्ग को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में दाम कम हो सकते हैं और कटौती की कमी हो सकती है तो बाकी राज्यों में भी हो सकती है। देश के सभी राज्यों में दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली है। गुरुग्राम-हरियाणा, नोएडा-गाजियाबाद, राजस्थान जैसे राज्यों में बिजली के दाम काफी अधिक हैं। इन राज्यों में बिजली के बड़े घोटाले कर रखे हैं। इस घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस टैरिफ में छोटे दुकानदारों को राहत दी गई है। तीन किलोवॉट के व्यावसायिक कमिर्शियल के रेट कम किए गए हैं। इसकी वजह से एक माह में करीब 2500 रुपए तक बचत होगी।

राजधानी में 24 घंटे उपलब्ध रहती है बिजली : मुख्यमंत्री

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

पांचवे साल भी लगातार बिजली के टैरिफ में कोई बदलाव न करते हुए 'आप' सरकार ने दिल्ली वालों को खुश किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली सरकार ने बिजली की दरों में लगातार कमी की है। देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वालों को उपलब्ध कराने का केजरीवाल ने दावा किया है। साथ ही 24 घंटे बिजली उपलब्ध होने की बात भी कही।

खबरों में शहर

दो दिन बाधित रहेगी पानी की आपूर्ति

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

दिल्ली जल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास प्रमुख लाइनों को जोड़ने का कार्य शुरू कर रहा है। इस तकनीकी कार्य की वजह से 2 व 3 अगस्त को कुछ क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम दवाब पर रहेगी। इस वजह से आइजी स्टेडियम, दिल्ली सचिवालय, प्रगति मैदान, राजीव चौक, बंगाली मार्केट, भगवान दास रोड, तिलक मार्ग, पंडारा रोड, काका नगर, रबिंद्र नगर, भारती नगर, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड व आसपास के क्षेत्र प्रभावित होंगे। बोर्ड ने जनता को आवश्यकतानुसार पानी भरकर रखने की सलाह दी है। पानी की किल्लत होने पर जल बोर्ड के केंद्रीय कक्ष 1916 व 1800117118 पर संपर्क कर टैंकर मंगाए जा सकते हैं।

हाजी ताज मोहम्मद आम आदमी पार्टी में शामिल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

कांग्रेस नेता हाजी ताज मोहम्मद बुधवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। प्रदेश संयोजक गोपाल राय व पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिलीप पांडे की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। गोपाल राय ने कहा कि हाजी ताज मोहम्मद, मुस्तफाबाद विधानसभा से जुड़े रहे हैं। अब तक दो बार निगम पार्षद, जिला महासचिव व हज समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। उनका दिलीप पांडे ने पार्टी की टोपी पहनाकर स्वागत किया। हाजी ताज मोहम्मद ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बेहतरीन कार्य कर रही है और इस वजह से 'आप' सरकार का देश भर में नाम हो रहा है। इसलिए उन्होंने पार्टी की सदस्यता लेने का फैसला लिया।

ई-रिक्शा चालक को बेहोश कर लूटा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

भलस्वा डेयरी में ई-रिक्शा चालक को शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। चालक को जब होश आया तब वह अस्पताल में था। पुलिस ने चालक के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित प्रेम बच्चन तिवारी स्वरूप विहार में रहता है। उन्होंने पुलिस को बताया कि शाम साढ़े सात बजे वह अपना ई-रिक्शा लेकर गुज्जर चौक भलस्वा डेयरी पर खड़ा कर सवारी का इंतजार कर रहा था। आरोपी उसके पास आया दो गिलास में कॉल्ड ड्रिंक लाया। एक उसने पी लिया और दूसरा पीड़ित को दिया। जब उसको होश आया तो वह बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती था।

सांसद ने भलस्वा झील की सफाई का मुद्दा संसद में उठाया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

उत्तर-पश्चिम दिल्ली सांसद हंस राज हंस ने बुधवार को लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र बादली विधानसभा के अंतर्गत स्थित भलस्वा झील की साफ-सफाई का मुद्दा उठाया। हंस ने कहा कि भलस्वा झील के चारो और गंदगी और खरपतवार उग आए हैं। झील के बीचों बीच जहां पहले साफ-सुथरा पानी हुआ करता था। देसी और विदेशी पक्षी मौसम के अनुरूप आया करते थे। यात्रियों और पर्यटकों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज वहां पर लंबी-लंबी घास और झाड़ियां उग आईं हैं।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र : हिंदी रत्न सम्मान समारोह, हिंदी भवन, आइटीओ सभागार, शाम पांच बजे।

प्रदर्शनी

इंडिया हैबिटेट सेंटर : नृत्य, स्टेन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड, शाम सात बजे।

दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को दिया तीन तलाक

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 31 जुलाई।

- देवर से हलाला करने का दबाव बनाने का आरोप
- दो थानों की पुलिस ने एक-दूसरे का मामला बताकर पीड़ित पक्ष को टहलाया

ग्रेटर नोएडा में तीन तलाक का मामला सामने आया। आरोप है कि पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को तलाक दे दिया। उसके बाद उस पर देवर से हलाला कराने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने बुधवार को इस मामले की शिकायत ग्रेटर नोएडा स्थित एसएसपी कार्यालय में दी है। आरोप लगाया है कि हलाला के लिए तैयार नहीं होने पर फांसी लगाकर जान से मारने का भी प्रयास किया गया। दादरी और दनकौर पुलिस इस मामले में पीड़ित को एक-दूसरे का थाना क्षेत्र बताकर टाल रही है।

ऊंची दनकौर के रहने वाले हाजी जहुर ने अपनी दो बेटी समीना व शबाना की शादी नई आबादी दादरी निवासी इकबाल व इदरीश से 29 मार्च 2005 में की थी। इकबाल कारोबारी है और इदरीश फेरी लगाने का काम करता है। पीड़ित हाजी जुहर का आरोप है कि शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी समीना का पति इकबाल व सास हनीफ, ससुर सीलम, देवर इकलाख व ननद नरगिस दहेज की मांग करने लगे। विरोध करने पर मारपीट करते थे। इसकी शिकायत दादरी पुलिस से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद कोर्ट से मुकदमा दर्ज करने के लिए मामला दायर किया। इस बीच ससुराल पक्ष के लोगों ने माफी मांगी और पंचायत कर समझौता कर लिया। आरोप है कि उसके बाद फिर ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर मारपीट शुरू कर दी।

बेटी के ससुराल पहुंचकर मारपीट का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट कर भगा दिया गया। 27 जुलाई 2019 में रात 8 बजे उनके दोनों बेटियों को बुरी तरह पीटा गया। इसके बाद इकबाल ने अपने परिवार के सभी लोगों की सलाह पर उनकी बेटी समीना को तीन तलाक दे दिया। उसके बाद समीना को घर में बंधक बनाकर रखा। दोबारा शादी करने के लिए देवर इकबाल से हलाला करने का दबाव बनाया गया। इसका विरोध करने पर गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। छोटी बहन ने इसका विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की।

तीन तलाक विधेयक पास होने पर भाजपा ने मनाया जश्न

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

तीन तलाक विधेयक पास होने का जश्न बुधवार को भाजपा में नजर आया। इस विधेयक के पास होने के बाद महिलाओं ने प्रदेश कार्यालय पर मिठाई बांटी और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि यह विधेयक केंद्र सरकार की अटल व अड़िग इच्छा शक्ति का प्रतीक है।

तमाम अड़चनों के बाद भी केंद्र सरकार ने यह विधेयक पारित किया है। सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह विधेयक एक ऐतिहासिक निर्णय है। तीन तलाक को तलाक असल मायने में आज मिला है। सदियों से यह प्रथा चली आ रही थी। सामाजिक असमानता के रूप में मुसलिम महिलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सहन करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को किसी तरह का कोई अन्याय नहीं सहना होगा क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है। वहीं, भाजपा नेता विजय गोयल ने अपने आवास पर मुसलिम महिलाओं के साथ इस विधेयक के पास होने पर खुशी जाहिर की।

जनता से वसूले सात हजार करोड़ लौटाए सरकार : भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

दिल्ली सरकार ने भाजपा के दबाव में आकर बिजली के दामों में कमी की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि अब तक बिजली कंपनियों ने दिल्ली वालों से 7 हजार करोड़ रुपए की वसूली की है। दिल्ली सरकार यह पैसा आजनता को लौटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करके दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों की लूट को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने इस कमी को दिल्ली सरकार का चुनावी हथकंडा बताया है। उन्होंने कहा कि इस कमी से साफ है कि दिल्ली सरकार टैरिफ की मदद से बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचा रही थी और इसकी आड़ में बड़ा बिजली घोटाला किया गया है।

वहीं, विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि फिक्स चार्ज घटवाने के लिए भाजपा का संघर्ष रंग लाया है। इस 28 माह के कार्यकाल में बिजली कंपनियों ने 10 हजार करोड़ रुपए की लूट की है। उन्होंने कहा कि इस पैसे का हिसाब दिया जाए और 28 माह में वसूली गई इस धनराशि को जनता को वापस लौटाया जाए।

युवक ने की आत्महत्या, ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 31 जुलाई।

सूरजपुर क्षेत्र के तिलपता गांव में रहने वाले युवक ने पत्नी व ससुराल पक्ष के लोगों के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव कमरे में लटका मिला। मृतक की पहचान नंद किशोर (26) के रूप में हुई है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में युवक ने पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर लिया है। युवक सूरजपुर क्षेत्र के तिलपता गांव में किराये पर रहता था। युवक की शादी पांच साल हुई थी। मंगलवार रात युवक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में ले लिया है।

अगस्ता घोटाले में फंसा पेच

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआई हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। एजंसी ने पुरी पर गवाहों को धमकाने का आरोप भी मढ़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने यह दावा पुरी की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान विशेष जज अरविंद कुमार के समक्ष किया। ईडी ने पूछताछ के लिए पुरी की हिरासत मांगी। अदालत ने अर्जी पर दलीलें अधूरी रहने के बाद पुरी को गिरफ्तारी से मिला अंतरिम संरक्षण गुरूवार तक बढ़ा दिया। एजंसी ने कहा कि यहां तक कि गत कुछ दिनों के दौरान जब उन्हें अदालत के आदेश के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण मिला हुआ था, वह सहयोग नहीं कर रहे थे। जब वह प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए तब उन्होंने कोई जबाव नहीं दिया। पुरी ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी में दावा किया कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं और एजंसी उन्हें राजनीतिक बदले की कार्रवाई के चलते गिरफ्तार करना चाहती है।

राजपथ पर सुतली बम से विस्फोट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

राजपथ पर बुधवार रात सिक्किम के एक युवक ने ताबड़तोड़ सुतली बम फोड़ना शुरू कर दिया। सुरक्षाकर्मियों ने उसे काबू किया और स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

संसद मार्ग थाना में आइबी, एनआइए और स्पेशल सेल सहित देश की अन्य प्रमुख सुरक्षा एजंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल कुमार मित्तल का कहना है कि हिरासत में लिया गया 29 साल के मिजोरम शुब्बा के हाथ में राष्ट्रीय झंडा और कुछ दस्तावेज भी थे। शुरुआती पूछताछ में युवक ने यह बयान दिया कि वह चाहता है कि राष्ट्रीय झंडा हर किसी को मुफ्त में वितरित किया जाए। इसके लिए उसने राजपथ पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया था। उसने राजपथ के सुनसान इलाके को चुना लेकिन भीड़ होने के कारण वह तुरंत नजर में आ गया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

हवाई अड्डे से 10 किलोग्राम हेरोइन के साथ महिला गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

मोजाम्बिक की एक महिला को दिल्ली हवाई अड्डे पर 10 किलोग्राम हेरोइन ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीमा शुल्क अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि महिला हेरोइन को पाइप में छुपाकर ले जा रही थी, जिसकी कीमत लगभग 45 करोड़ रुपए है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय के अनुसार विदेशी महिला इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से मंगलवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) के टर्मिनल-3 पहुंची थी, जहां उसे 'एयर इंटेलिजेंस यूनिट' और 'एयर कस्टम्स प्रिवेंटिव' के अधिकारियों ने रोका और उसके बैग की तलाशी लेने पर प्लास्टिक के बने दो पाइप में से हेरोइन बरामद हुई।

डॉक्टरों का विरोध जारी, आज हड़ताल की घोषणा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) बिल के खिलाफ दिल्ली में डॉक्टरों का विरोध जारी है। डॉक्टरों ने गुरुवार को हड़ताल करने की घोषणा की है। चिकित्सकों ने काली पट्टी बांध कर काम किया। बुधवार को असपताल खुले रहे। एम्स, एलएनजेपी, जीबीपंत में ओपीडी की पर्चियां बनीं और इलाज हुआ। हालांकि इस बाबत विरोध कम नहीं हुआ है। दिल्ली के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने इसके खिलाफ अब गुरुवार को हड़ताल का एलान किया है। एम्स में गुरुवार को सुबह आठ बजे से ये डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे।

स्वच्छता मिशन प्रारूप के तौर पर सेक्टर-50 बाजार में शुरू हुई सुविधा

महिलाओं के लिए बनेंगे छह गुलाबी शौचालय

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 31 जुलाई।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर के विभिन्न इलाकों में बने 80 शौचालयों में महिला और पुरुष, दोनों के लिए अलग व्यवस्था होने का भले ही दावा किया गया है लेकिन वास्तविक हालात ऐसे हैं कि ज्यादातर महिलाएं या युवतियां इनके इस्तेमाल से परहेज करती हैं। विषम परिस्थिति में जो महिलाएं इन्हें इस्तेमाल भी करती हैं, उनके साथ पुरुष साथी या परिजन को जाना पड़ता है। माना जा रहा है कि सड़क किनारे बने इन शौचालयों पर और उसके आसपास अधिकांश पुरुषों की मौजूदगी महिलाओं को असहज करती है। नोएडा की नवनियुक्त सीईओ रितु माहेश्वरी के निर्देश पर शहर में छह गुलाबी शौचालय बनाए जाएंगे। प्रारूप के तौर पर सेक्टर-50 बाजार में गुलाबी शौचालय चालू हो गया है। गुलाबी शौचालय का प्रयोग केवल महिलाएं करेंगी। इसके अलावा सेनेटरी नैपकिन, माताओं के लिए अपने बच्चों को स्तनपान कराने के लिए और महिला सुरक्षाकर्मी जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

फाइल फोटो

शहर के व्यस्तम बाजारों में इन्हें बनाया जाएगा। प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग ने गुलाबी शौचालयों के लिए सेक्टर-18 पुलिस बूथ के पास, गार्डन गलैरिया मॉल और डीएलएफ मॉल के बीच बने फुट ओवर ब्रिज के पास, सेक्टर-74 नॉर्थ आई इमारत के पास, इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन पार्किंग स्थल, सेक्टर-63 के मुख्य पार्किंग स्थल और सेक्टर-135 में चिह्नित किया है। गुलाबी शौचालयों का निर्माण वही निजी एजंसी करेगी, जिसने पिछले डेढ़ साल में मुख्य मार्गों और बाजारों के आसपास 80 सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं। सार्वजनिक शौचालय की तर्ज पर गुलाबी शौचालय बनाने वाली एजंसी विज्ञापन के जरिए निर्माण एवं रख-रखाव की धनराशि वसूल करेगी। 10 साल की अवधि के बाद इन शौचालयों को प्राधिकरण को सौंपना होगा। अगले दो महीने के भीतर इन शौचालयों को तैयार करने का दावा किया गया है।

- गुलाबी शौचालय में सेनेटरी नैपकिन, बच्चों के स्तनपान और महिला सुरक्षाकर्मी की होगी सुविधा
- सड़क किनारे और व्यस्त बाजारों में बने 80 सार्वजनिक शौचालय के इस्तेमाल से महिलाएं करती हैं परहेज

हरियाणा में भाजपा के खिलाफ महागठबंधन की तैयारी

फरीदाबाद, 31 जुलाई (जनसत्ता)।

पूर्व मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता विधायक करण सिंह दलाल ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ महागठबंधन बनाने के संकेत दिए हैं। गठबंधन की अगुआई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। दलाल ने ये ऐलान एक प्रेसवार्ता में किया। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ दल भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कांग्रेस कई पार्टियों के गठबंधन के सिद्धांत पर काम कर रही है। हरियाणा में भाजपा जो 75 पार का नारा दे रही है वो 75 किलोमीटर भी नहीं चल पाएगी। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के ठिकानों पर हुई छापेमारी पर दलाल ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रच रही है। भाजपा ने हरियाणा के 14 नेताओं की सूची तैयार कर रखी है, जिनके आवासों पर आने वाले दिनों में जांच एजंसियां छापेमारी करेंगी।

दलाल ने कहा कि कोई ये न समझे कि हम घर बैठे हैं। हम अपने काम पर लगे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि खिचड़ी पक रही है। हम किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में ऐसा गठबंधन सामने आएगा, जिसके बाद भाजपा कहीं टिक नहीं पाएगी। यह गठबंधन भाजपा को दफनाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन का चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। इस गठबंधन में कांग्रेस के साथ अन्य दलों को शामिल किया जाएगा। गठबंधन में कौन-सी पार्टियां शामिल होंगी, ये जल्द ही सामने आएगा। कांग्रेस विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे और कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ आयकर विभाग की हो रही कार्रवाई पर कहा कि भाजपा जांच एजंसियों की ओर से छापेमारी करवा रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे अगुआई

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. **Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.**

STERLING & WILSON

STERLING AND WILSON SOLAR LIMITED

Our Company was originally incorporated at Mumbai on March 9, 2017 as Rashmika Energy Private Limited, as a private limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation dated March 10, 2017 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai ("**RoC**"). Subsequently, the Solar EPC Division of Sterling and Wilson Private Limited was demerged into our Company pursuant to the order dated March 28, 2018 of the National Company Law Tribunal, Mumbai Bench with the appointed date for the transfer of such Solar EPC Division being April 1, 2017. Thereafter, to reflect the association of our Company with the Sterling and Wilson group, the name of our Company was changed to Sterling and Wilson Solar Private Limited pursuant to the resolution passed by our Shareholders at their extra-ordinary general meeting held on March 29, 2018 and the certificate of incorporation pursuant to change of name was issued by the RoC on April 24, 2018. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to the approval of our Shareholders at an extra-ordinary general meeting held on January 11, 2019. Consequently, the name of our Company was changed to Sterling and Wilson Solar Limited and a fresh certificate of incorporation consequent upon conversion from private company to a public company was issued by the RoC on January 25, 2019. For further details relating to changes in the registered office and name of our Company, see "*History and Certain Corporate Matters*" beginning on page 138 of the Red Herring Prospectus dated July 29, 2019 ("**RHP**").

Registered Office and Corporate Office: 9th Floor, Universal Majestic, P L Lokhande Marg, Chembur (West), Mumbai 400 043; **Telephone no.:** +91 22 2548 5300; **Website:** www.sterlingandwilsonsolar.com; **Contact Person:** Jagannadha Rao Ch. V., Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone no.:** +91 22 2548 5300; **E-mail:** ir@sterlingwilson.com; **Corporate Identity Number:** U74999MH2017PLC292281

OUR PROMOTERS: SHAPOORJI PALLONJI AND COMPANY PRIVATE LIMITED AND KHURSHED YAZDI DARUVALA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1 EACH ("EQUITY SHARES") OF STERLING AND WILSON SOLAR LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 31,250.00 MILLION, COMPRISING OF AN OFFER FOR SALE OF UP TO [•] EQUITY SHARES BY SHAPOORJI PALLONJI AND COMPANY PRIVATE LIMITED AGGREGATING UP TO ₹ 20,833.33 MILLION AND UP TO [•] EQUITY SHARES BY KHURSHED YAZDI DARUVALA AGGREGATING UP TO ₹ 10,416.67 MILLION (TOGETHER, THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS") AND SUCH EQUITY SHARES OFFERED BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS (THE "OFFERED SHARES") (THE "OFFER"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE [•]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

QIB Category: Atleast 75% of the Offer | **Retail Category: Not more than 10% of the Offer** | **Non Institutional Investor Category: Not more than 15% of the Offer**

Price Band: ₹ 775 to ₹ 780 per Equity Share of face value of ₹ 1 each.
The Floor Price is 775 times the face value of the Equity Shares and the Cap Price is 780 times the face value of the Equity Shares.
Bids can be made for a minimum of 19 Equity Shares and in multiples of 19 Equity Shares thereafter.

ASBA* | **Simple, Safe, Smart way of Application!!!**

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For details, check section on ASBA below.
Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

UPI-Now mandatory in ASBA for Retail Investors applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. Retail Investors also have the options to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account.

ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors.
For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" beginning on page 459 of the Red Herring Prospectus. The process is also available on the website of AIBI and Stock Exchanges in the General Information Document.
ASBA Forms can be downloaded from the websites of BSE and NSE and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. ICICI Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Offer, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number-18001201740 and Mail Id-ipo.upi@npci.org.in. For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link https://www.npci.org.in/upi-live-ipo.

Risks to Investors:

- **The six Global Coordinators and Book Running Lead Managers and two Book Running Lead Managers associated with the Offer have handled 48 public issues in the past three years out of which 18 closed below the issue price on listing date.**
- **The Price/ Earnings ratio based on diluted EPS for Fiscal 2019 for the Issuer at the upper end of the Price Band is as high as 19.57.**
- **The average cost of acquisition per Equity Share for our Promoter Selling Shareholders is Nil per Equity Share.[#] The Offer Price at the upper end of the Price Band is ₹780.**

[#]For details of build-up of Promoters' shareholding in our Company, please see 'Capital Structure - Build-up of the Promoters' shareholding in our Company' on page 80 of the RHP

BASIS FOR OFFER PRICE

The Offer Price will be determined by our Company and the Promoter Selling Shareholders, in consultation with the GCBRLMs and the BRLMs on the basis of assessment of market demand for the Equity Shares through the Book Building Process and on the basis of the following qualitative and quantitative factors. The face value of the Equity Shares is ₹1 each and the Offer Price is 775 times the face value at the lower end of the Price Band and 780 times the face value at the higher end of the Price Band. Investors should also refer to the sections "*Our Business*", "*Risk Factors*", "*Restated Consolidated Summary Financial Information*", "*Carved Out Combined Financial Statements*" and "*Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations*" on pages 115, 28, 192, 313 and 398 respectively, to have an informed view before making an investment decision.

Qualitative Factors

We believe the following are our competitive strengths:

• We were the largest global EPC solutions provider based on annual installations of utility-scale PV systems of more than five MWp in 2018 according to IHS Markit. • We are a comprehensive end-to-end EPC solutions provider with a global execution track record. • We have a dedicated design and engineering team focussed on innovation and developing efficient and cost effective engineering solutions. • We have a strong relationship with customers and other key stakeholders. • We benefit from the brand reputation, industry relationships and project management expertise of the SP group and the Sterling and Wilson group. • We have experienced strong growth and financial performance backed by an asset-light business model. • We have experienced key managerial personnel, project management and operational team with experience in the global solar EPC industry.

For further details, please see "*Our Business*" on page 115 of the RHP.

Quantitative Factors

Some of the information presented in this section relating to our Company for the period of March 9, 2017 to March 31, 2018 and Fiscal 2019 is derived from the Restated Consolidated Summary Financial Information. Some of the quantitative factors, which form the basis for computing the Offer Price, are as follows:

1. Basic Earnings Per Share (Basic EPS) & Diluted Earnings Per Share (Diluted EPS)

Financial Period	Basic EPS (₹)	Diluted EPS (₹)
Period of March 9, 2017 to March 31, 2018 (pertaining to our Company as derived from the Restated Consolidated Summary Financial Information)	29.97	29.97
Fiscal 2019 (pertaining to our Company as derived from the Restated Consolidated Summary Financial Information)	39.85	39.85

(1) *Basic EPS and Diluted EPS calculations are in accordance with Indian Accounting Standard 33 (Ind AS 33) - Earnings per share.*

(2) *Earning per share (Basic) = Restated Consolidated net profit after tax, available for equity shareholders / Weighted average number of equity shares outstanding during the period/Fiscal*

(3) *Earning per share (Diluted) = Restated Consolidated net profit after tax, available for equity shareholders / Weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the period/Fiscal*

(4) *Weighted average number of equity shares is the number of equity shares outstanding at the beginning of the period adjusted by the number of equity shares issued during the period multiplied by the time weighting factor. The time weighting factor is the number of days for which the specific shares are outstanding as a proportion of total number of days during the period.* (5) *The above statement should be read with significant accounting policies and notes on Restated Financial Information as appearing in the section titled "Restated Consolidated Summary Financial Information" beginning on page 192 of the RHP.*

2. Price Earning (P/E) Ratio in relation to the Price Band of ₹ 775 to ₹ 780 per Equity Share of ₹1 each

Financial Period	P/E ratio at the lower end of the Price Band (no. of times)	P/E ratio at the upper end of the Price Band (no. of times)
Based on Basic EPS for the period of March 9, 2017 to March 31, 2018 (pertaining to our Company as derived from the Restated Consolidated Summary Financial Information)	25.86	26.03
Based on Diluted EPS for the period of March 9, 2017 to March 31, 2018 (pertaining to our Company as derived from the Restated Consolidated Summary Financial Information)	25.86	26.03
Based on Basic EPS for Fiscal 2019 (pertaining to our Company as derived from the Restated Consolidated Summary Financial Information)	19.45	19.57
Based on Diluted EPS for Fiscal 2019 (pertaining to our Company as derived from the Restated Consolidated Summary Financial Information)	19.45	19.57

There are no listed entities in India whose business portfolio is comparable with that of our business.

3. Return on Net Worth (RoNW)

Financial Period	RoNW (%)
As of the end of the period of March 9, 2017 to March 31, 2018 (pertaining to our Company as derived from the Restated Consolidated Summary Financial Information)	118%
As of the end of Fiscal 2019 (pertaining to our Company as derived from the Restated Consolidated Summary Financial Information)	62%

Notes:

(1) *Return on Net Worth (%) = Restated Consolidated net profit after tax, available for equity shareholders divided by Restated net worth for the equity shareholders at the end of the period/Fiscal.*

(2) *Net worth for calculating ratios is Equity share capital plus other equity (including legal reserve, retained earnings and effective portion of cash flow hedge)*

4. Net Asset Value per Equity Share of face value of ₹1 each

(i) As of March 31, 2019, our net asset value per Equity Share was ₹ 63.79 as per the Restated Consolidated Summary Financial Information.

(ii) After the Offer:*

(a) At the Floor Price: ₹ 63.79

(b) At the Cap Price: ₹ 63.79

(iii) Offer Price:* ₹ [•]

*will be populated in the Prospectus.

Notes:

(1) *Offer Price per Equity Share will be determined on conclusion of the Book Building Process.*

(2) *Net Asset Value Per Equity Share = Restated net worth for the equity shareholders at the end of the period/ Weighted average number of equity shares outstanding during the period*

(3) *Net worth has been computed by aggregating share capital and reserves and surplus as per the restated financial information. There is no revaluation reserve or miscellaneous expenditure (to the extent not written off)*

(4) *Net worth for calculating ratios= Equity share capital + Other equity (includes Legal reserve, Retained earnings and Effective portion of cash flow hedge).*

5. Comparison of Accounting Ratios with Listed Industry Peers

There are no listed entities in India whose business portfolio is comparable with that of our business.

The Offer Price is [•] times of the face value of the Equity Shares.

The Offer Price of ₹ [•] has been determined by our Company and the Promoter Selling Shareholders in consultation with the GCBRLMs and BRLMs, on the basis of demand from investors for Equity Shares through the Book Building Process and, is justified in view of the above qualitative and quantitative parameters.

Investors should read the above-mentioned information along with "*Risk Factors*", "*Our Business*", "*Restated Consolidated Summary Financial Information*", "*Carved Out Combined Financial Statements*" and "*Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations*" on pages 28, 115, 192, 313 and 398 of the RHP, respectively, to have a more informed view. The trading price of the Equity Shares could decline due to the factors mentioned in the "*Risk Factors*" on page 28 of the RHP and you may lose all or part of your investments.

For further details, please see the chapter titled "Basis for Offer Price" on page 87 of the RHP.

BID/OFFER OPENS ON* AUGUST 6, 2019 | BID/OFFER CLOSES ON AUGUST 8, 2019

**Our Company and the Promoter Selling Shareholders may, in consultation with the GCBRLMs and BRLMs, consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bidding Date shall be one Working Day prior to the Bid/Offer Opening Date.*

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the respective websites of the GCBRLMs and BRLMs and at the terminals of the members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "**SEBI ICDR Regulations**"). The Offer is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations wherein not less than 75% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") (the "**QIB Portion**"), provided that our Company and the Promoter Selling Shareholders in consultation with the GCBRLMs and BRLMs may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis. One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. If at least 75% of the Offer cannot be Allotted to QIBs, the Bid Amounts received by our Company shall be refunded. Further, not more than 15% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not more than 10% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders, other than Anchor Investors, are mandatorily required to participate in the Offer through the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing details of their respective ASBA Accounts which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**") as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For details, see "*Offer Procedure*" beginning on page 459 of the RHP.

Bidders/Applicants should ensure that DP ID, PAN and the Client ID and UPI ID (if applicable, in case RIBs) are correctly filled in the Bid cum Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the DP ID, PAN, Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Bidders/Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder/Applicant may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for giving Allotment Advice or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to the Offer. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders/Applicants' sole risk.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects of our Company, investors are requested to see "*History and Certain Corporate Matters*" on page 138 of the RHP and Clause 3 of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, see "*Material Contracts and Documents for Inspection*" on page 509 of the RHP.

LIABILITY OF THE MEMBERS OF OUR COMPANY: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of the RHP, the authorised share capital of our Company is ₹ 500,000,000 divided into 500,000,000 Equity Shares of ₹ 1 and preference shares is ₹ 100,000,000 divided into 1,000,000 preference shares of ₹ 100 each, respectively. The issued, subscribed and paid-up share capital of our Company is ₹ 160,360,000 divided into 160,360,000 Equity Shares of ₹ 1 each. For details of the capital structure, see "*Capital Structure*" on page 75 of the RHP.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: The signatories to the Memorandum of Association are Ravi Ananthakrishnan, Aniruddha Choudhuri and Kalpathy Hariharan Parameswaran, who subscribed to 10 equity shares each respectively of our Company at ₹ 10 each as initial subscription. For details of the share capital and capital structure of the Company see "*Capital Structure*" on page 75 of the RHP.

LISTING: The Equity Shares offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the Stock Exchanges. Our Company has received 'in-principle' approvals from the BSE and the NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letters dated May 14, 2019 and May 23, 2019, respectively. For the purposes of the Offer, the Designated Stock Exchange shall be BSE Limited. A copy of the Red Herring Prospectus and the Prospectus shall be delivered for registration to the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus until the Bid/ Offer Closing Date, see "*Material Contracts and Documents for Inspection*" beginning on page 509 of the RHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): SEBI only gives its observations on the offer documents and this does not constitute approval of either the Offer or the specified securities or the offer document. The investors are advised to refer to page 433 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of SEBI.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (The Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Red Herring Prospectus has been cleared or approved by BSE Limited nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Red Herring Prospectus. The investor is advised to refer to the page 437 of the Red Herring Prospectus for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to page 438 of the RHP for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE'.

GENERAL RISKS: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "*Risk Factors*" beginning on page 28 of the RHP.

GLOBAL CO-ORDINATORS AND BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

ICICI Securities Limited
ICICI Centre, H.T. Parekh Marg
Churchgate, Mumbai 400 020
Telephone no.: +91 22 2288 2460
E-mail: swsl.ipo@icicisecurities.com
Investor grievance e-mail: customercare@icicisecurities.com
Website: www.icicisecurities.com
Contact Person: Payal Kulkarni/Rishi Tiwari
SEBI Registration No.: INM000011179

Axis Capital Limited
Axis House, Level 1, C-2 Wadia International Centre
Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai 400 025
Telephone no.: +91 22 4325 2183
E-mail: swsl.ipo@axiscap.in
Investor grievance e-mail: complaints@axiscap.in
Website: www.axiscapital.co.in
Contact Person: Mangesh Ghogle/Bhumika Gangar
SEBI Registration No.: INM000012029

Credit Suisse Securities (India) Private Limited
9th Floor, Ceejay House, Dr. Annie Besant Road,
Worli, Mumbai 400 018. **Telephone no.:** + 91 22 6777 3885
E-mail: list.sterlingwilsonsolaripo@credit-suisse.com
Investor grievance e-mail: list.igcellmer-bnkg@credit-suisse.com
Website: www.credit-suisse.com
Contact Person: Nipun Jain
SEBI Registration No.: INM000011161

Deutsche Equities India Private Limited
The Capital, 14th floor, C -70, G Block,
Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051
Telephone no.: +91 22 7180 4444
Email: swsl.ipo@db.com
Investor grievance e-mail: Complaints.Deipl@db.com
Website: www.db.com/India
Contact Person: Viren Jairath
SEBI Registration No.: INM000010833

IIFL Securities Limited[#]
10th Floor, IIFL Centre, Kamala City, Senapati
Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013
Telephone no.: +91 22 4646 4600
E-mail: sterlingwilson.ipo@iiflcap.com
Investor grievance e-mail: ig.ib@iiflcap.com
Website: www.iiflcap.com
Contact Person: Devendra Maydeo/ Aditya Agarwal
SEBI Registration No.: INM000010940

SBI Capital Markets Limited
202, Maker Tower 'E', Cuffe Parade
Mumbai 400 005
Telephone no.: +91 22 2217 8300
E-mail: swsl.ipo@sbicaps.com
Investor grievance e-mail: investor.relations@sbicaps.com
Website: www.sbicaps.com
Contact Person: Aditya Deshpande
SEBI Registration No: INM000003531

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

IndusInd Bank Limited
11th Floor, Tower 1, One Indiabulls Centre
841, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai 400 013
Telephone no.: +91 22 7143 2208; **E-mail:** joshi.rahul@indusind.com
Investor grievance e-mail: investmentbanking@indusind.com
Website: www.indusind.com; **Contact person:** Rahul Joshi
SEBI Registration No.: INM000005031

YES Securities (India) Limited
IFC, Tower 1&2, Unit No. 602 A, 6th Floor
Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West), Mumbai 400 013
Telephone no.: +91 22 3012 6776; **E-mail:** swsl.ipo@ysil.in
Investor grievance e-mail: igc@ysil.in
Website: www.yesinvest.in; **Contact Person:** Nikhil Bhiwapurkar / Ronak Shah
SEBI Registration No.: MB/INM000012227

REGISTRAR TO THE OFFER

Link Intime India Private Limited
C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S Marg
Vikhroli (West), Mumbai 400 083
Telephone no.: +91 22 4918 6200; **E-mail:** sterlingwilson.ipo@linkintime.co.in
Investor grievance e-mail: sterlingwilson.ipo@linkintime.co.in
Website: www.linkintime.co.in; **Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan
SEBI Registration No.: INR000004058

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Mr. Jagannadha Rao Ch. V.,
STERLING AND WILSON SOLAR LIMITED
9th Floor, Universal Majestic, P L Lokhande Marg, Chembur (West), Mumbai 400 043
Telephone no.: +91 22 2548 5300; **E-mail:** ir@sterlingwilson.com
Website: www.sterlingandwilsonsolar.com

Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer and/or the Registrar to the Offer, in case of any pre-Offer or post-Offer related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode.

[#]Pursuant to the transfer of merchant banker registration, issued under the SEBI (Merchant Bankers) Regulations, 1992, from IIFL Holdings Limited, as approved by SEBI vide its letter dated July 12, 2019, with continuance of registration number.

AVAILABILITY OF RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the "*Risk Factors*" beginning on page 28 of the RHP before applying in the Offer. A copy of the RHP is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the GCBRLMs at www.icicisecurities.com, www.axiscapital.co.in, www.credit-suisse.com, www.db.com/India, www.iiflcap.com and www.sbicaps.com, the websites of the BRLMs at www.indusind.com and www.yesinvest.in and the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORM: Bid cum Application Form can be obtained from the Registered Office of Company, **STERLING AND WILSON SOLAR LIMITED**, Telephone no.: +91 22 2548 5300; **GCBRLMs: ICICI Securities Limited**, Telephone no.: +91 22 2288 2460; **Axis Capital Limited**, Telephone no.: +91 22 4325 2183; **Credit Suisse Securities (India) Private Limited**, Telephone no.: + 91 22 6777 3885; **Deutsche Equities India Private Limited**, Telephone no.: +91 22 7180 4444; **IIFL Securities Limited**, Telephone no.: +91 22 4646 4600 and **SBI Capital Markets Limited**, Telephone no.: +91 22 2217 8300; **BRLMs: IndusInd Bank Limited**, Telephone no.: +91 22 7143 2208; **YES Securities (India) Limited**, Telephone no.: +91 22 3012 6776; **Syndicate Member: SBICAP Securities Limited**, Telephone no.: +91 22 4227 3300 and at selected locations of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, Designated RTA Locations and Designated CDP Locations for participating in the Offer. Bid cum Application Forms will also be available on the websites of the Stock Exchanges and at all the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the websites of the Stock Exchanges and SEBI.

SUB-SYNDICATE MEMBERS: ICICI Securities Limited, Achivers Equities Limited, Ajcon Global Services Limited, Almondz Global Securities Limited, Amrapali Capital & Finance Services Limited, Anand Rathi Share & Stock Brokers Limited, Anand Share Consultancy, Anil Dhulia, ANS Pvt Limited, Ashika Stock Broking Limited, Ashwani Dandia & Co, Axis Securities Limited, Bonanza Portfolio Limited, Centrum Broking Ltd, Choice Equity Broking Private Limited, Dalal & Broacha Stock Broking Pvt Limited, DB(International) Stock Brokers Ltd, Eureka Stock & Share Broking Services Limited, G Raj & Co. (Consultants) Limited, Inventure Growth & Securities Ltd., J M Financial Services Ltd, Jnaven Securities, Jobanputra Fiscal Services Pvt Ltd, Kalpataru Multiplier Limited, Kamlesh D Joshi, Karvy Stock Broking Limited, Keynote Capitals Limited, KJMC Capital Market Services Limited, Kotak Securities Limited, LKP Securities Limited, Marwadi Shares & Finance, Motilal Oswal Financial Services Limited, Motilal Oswal Securities Ltd, MSM Enterprise, Mukesh D Joshi, Ohm Securities, Patel Wealth Advisors Pvt Limited, Prabhudas Liladhar Pvt Ltd, Pravin Ratilal Share & Stock Brokers Limited, PRL Stock & Share Brokers Pvt Limited, RR Equity Brokers Pvt Limited, Safal Capital (India) Limited, Sbicap Securities Limited, Sharekhan Ltd, SMC Global Securities Limited, Tanna Financial Services, Trade Bulls Securities (P) Ltd, VCK Share & Stock Broking Services Limited, Way2wealth Brokers Pvt Limited and Zerodha Broking Limited.

ESCROW COLLECTION BANK (RESIDENT) AND SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited | **ESCROW COLLECTION BANK (NON-RESIDENT):** Axis Bank Limited | **PUBLIC OFFER ACCOUNT BANK AND REFUND BANK:** YES Bank Limited.

UPI: Retail Individual Bidders can also bid through UPI mechanism.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For **STERLING AND WILSON SOLAR LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: July 31, 2019

STERLING AND WILSON SOLAR LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed a RHP with the Registrar of Companies, Mumbai. The RHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and is available on the websites of the GCBRLMs at www.icicisecurities.com, www.axiscapital.co.in, www.credit-suisse.com, www.db.com/India, www.iiflcap.com and www.sbicaps.com and the websites of the BRLMs at www.indusind.com and www.yesinvest.in. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the section titled '*Risk Factors*' on page 28 of the Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the Draft Red Herring Prospectus filed with SEBI, for any investment decision.

These materials are not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. These materials are not an offer for the sale of the Equity Shares or other securities in the United States or elsewhere. The Equity Shares referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act") and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.

No public offering of the Equity Shares or other securities is being made in the United States.

CONCEPT

आजादी का दायरा

आखिर तीन तलाक निषेध विधेयक पर संसद की मुहर लग गई। इसे लेकर विपक्षी दलों ने विरोध में कई तर्क दिए, पर संसद सदस्यों का बहुमत इसके पक्ष में था। प्रधानमंत्री ने इस कानून को मुसलिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। इससे मुसलिम महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का हक मिल सकेगा। दरअसल, पिछले साल जब अनेक मामलों में देखा गया कि कुछ पुरुषों ने जुबानी या फिर मोबाइल फोन संदेश के जरिए तीन बार तलाक बोल कर अपनी पत्नी से छुटकारा पा लिया और फिर उन्हें अपने हाल पर छोड़ जाते हैं, तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी गंभीर चिंता जताई थी। तभी केंद्र सरकार ने इस मामले में सख्त कानून की रूपरेखा तैयार की, पर उसके कुछ पक्षों पर कई लोगों को एतराज था। इस कानून में मनमाने ढंग से तलाक देने वालों को तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। तलाकशुदा महिलाओं के भरण-पोषण का खर्च अब अदालतें तय करेंगी। इस पर कुछ मुसलिम नेताओं का कहना था कि मुसलिम समुदाय में शादी चूंकि एक अनुबंध होती है, इसलिए उस पर दंडात्मक प्रावधान नहीं लगाया जा सकता। फिर यह भी कि जब तलाक देने वाले पुरुष को तीन साल की कैद की सजा हो जाएगी, तो तलाकशुदा महिला और उसके बच्चों के भरण-पोषण का खर्च कौन उठाएगा! मगर इन तर्कों को संसद के बहुसंख्य सदस्यों ने अस्वीकार कर दिया।

यह ठीक है कि अलग-अलग धर्मों में विवाह की अलग-अलग रीतियां हैं, विवाह नामक संस्था को सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग सामाजिक नियम-कायदे हैं। पर हकीकत यह भी है कि अब विवाह संबंधों में विच्छेद के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मुसलिम समुदाय में चूंकि पति-पत्नी के अलग होने का नियम बहुत आसान है, इसलिए वहां इस मामले में अनेक मनमानियां भी देखी जाती हैं। हालांकि वहां भी तलाक का एक नियम है, पर कुछ लोग उसका इस कदर दुरुपयोग करते देखे गए कि उन्होंने निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझा। विचित्र है कि इस मामले में दखल देने वाले मौलवी वगैरह का रवैया भी पक्षपातपूर्ण ही देखा गया। इसकी वजह से तलाक का मतलब यह होता गया कि कोई भी व्यक्ति बस किसी भी तरह तीन बार तलाक बोल कर अपनी पत्नी से छुटकारा पा लेता है। इसमें कई ऐसे भी मामले देखे गए जब किसी व्यक्ति ने दूसरी महिला से संबंध होने के बाद अपनी पत्नी को तीन बार तलाक का संदेश भेज कर अपने को उससे अलग कर लिया। ऐसी मनमानी से उन महिलाओं पर क्या गुजरती होगी, जिन्हें उनके शौहर बेसहारा छोड़ गए, अंदाजा लगाया जा सकता है।

इसलिए कड़े कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी कि इस्लाम में तीन तलाक के प्रावधान का बेजा लाभ उठाने वालों पर नकेल कसी जा सके। उन महिलाओं को इंसाफ दिलाया जा सके, जिन्हें भरण-पोषण के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। अब ऐसे मामले दूसरे धर्मों की तरह अदालत में ही निपटाए जा सकेंगे। मजिस्ट्रेट तय करेंगे कि तलाकशुदा महिला को भरण-पोषण का खर्च कितना मिलना चाहिए। सिर्फ मेहर की रकम से उसका निपटारा नहीं माना जा सकता। ऐसा कानून कई इस्लामिक देशों में भी लागू है, इसलिए भारत में इसे किसी सियासी नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। इस कानून के बनने के बाद माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम बढ़ाने का रास्ता खुल गया है।

इंसाफ की राह

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बलात्कार पीड़ित युवती के साथ जिस तरह के वाकये हो रहे हैं, उससे जाहिर है कि इंसाफ की राह में किस-किस तरह की अड़चनें पैदा की जा सकती हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि एक तरफ बलात्कार के बाद युवती हर स्तर पर न्याय की गुहार लगा रही थी और दूसरी तरफ परिवार सहित उसे बेहद त्रासद हालात का सामना करना पड़ रहा था। आरोपी विधायक की ओर से लगातार मिलने वाली धमकियों के बाद हाल ही में थक कर युवती ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख कर मदद की गुहार लगाई थी। लेकिन चार दिन पहले जब कथित हादसे में उसके परिवार की दो महिलाएं मारी गईं और वह खुद बुरी तरह घायल होकर मौत से लड़ रही है, तब जाकर संबंधित पक्षों की सक्रियता दिख रही है। मामले के तूल पकड़ने के बाद अब केंद्र सरकार ने इस हादसे की जांच सीबीआइ को सौंप दी है, जिसने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

गौरतलब है कि पीड़िता जिस कार में सवार थी उसे रायबरेली जाते हुए जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी, उसकी नंबर प्लेट काले रंग से पुती होने और पीड़िता की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के न होने का ब्योरा सामने आया है। इससे यह शक स्वाभाविक है कि इसके पीछे साजिश हो सकती है। लेकिन हैरानी की बात है कि शुरुआती तौर पर पुलिस की ओर से इसे एक सामान्य हादसे के रूप में ही पेश करने की कोशिश की गई। जबकि युवती के खिलाफ होने वाले अत्याचार से लेकर अब तक जो भी हालात सामने रहे हैं, उनसे साफ है कि उसके लिए इंसाफ के रास्ते में बड़ी बाधाएं खड़ी करने की कोशिश हो रही है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार पर इस प्रकरण में नर्म रुख अख्तियार करने के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक ही विपक्षी दल आरोपी को संरक्षण देने और उसे बचाने की कोशिश के आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले जब युवती ने अपने बलात्कार का मामला सार्वजनिक किया था और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, तब पुलिस ने न केवल उचित कदम नहीं उठाए, बल्कि उसके पिता को हिरासत में ले लिया था, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में भी पुलिस पर यातना देने के आरोप लगे थे।

अफसोसनाक यह है कि निराशा में जब युवती ने मदद की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को पत्र लिखा, तो वह भी समय पर सही जगह नहीं पहुंच सका। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पीड़ित कमजोर पृष्ठभूमि से हो तो उसके लिए इंसाफ की राह में किस-किस तरह की अड़चनें सामने आ सकती हैं। स्वाभाविक ही मामले के संज्ञान में आने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के महासचिव से पूछा कि शीर्ष अदालत के नाम लिखी गई चिट्ठी उनके सामने अब तक क्यों पेश नहीं की गई। इस समूचे मामले में पीड़िता और उसके परिवार को तकलीफदेह त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है और इतना तय है कि इंसाफ की राह में इस मामले को एक कसौटी की तरह देखा जाएगा। इसलिए अब सरकार को पहल कर-के पीड़िता के हक में इंसाफ सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कितना भी सख्त कदम क्यों न उठाना पड़े।

कल्पमेधा

यदि मनुष्य सीखना चाहे तो प्रत्येक भूल उसे
कुछ न कुछ शिक्षा दे सकती है।
-चार्ल्स डिकेंस

चुनौती देती बीमारियां

अभिजीत मोहन

भारत की आधी से अधिक आबादी श्वास संबंधी रोगों और फेफड़ों से जुड़ी शिकायतों से ग्रस्त है। ऐसे में कहना गलत नहीं कि भारत दुनिया की सर्वाधिक बीमारियों का बोझ उठाने वाले देशों में शुमार हो चुका है और अगर बीमारियों पर काबू नहीं पाया गया तो वह दिन दूर नहीं जब विश्व में भारत की पहचान एक बीमारू देश के रूप में होगी।

यह तथ्य चिंतित करने वाला है कि देश में हृदयाघात से होने वाली मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है। एक आंकड़े के मुताबिक इस समय देश में चौवन लाख लोग दिल की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। दिल के मरीजों की तादाद हर साल बढ़ रही है। हृदयाघात की बीमारी कई अन्य गैर संचारी रोगों को जन्म दे रही है। पुणे स्थित चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन और नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जिनेमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी ने इस बात का खुलासा किया कि भारत की आधी से अधिक आबादी श्वास संबंधी रोगों और फेफड़ों से जुड़ी शिकायतों से ग्रस्त है और प्रतिदिन तकरीबन साढ़े तीन करोड़ लोग डॉक्टरों के पास स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के निदान के लिए पहुंच रहे हैं। यह निष्कर्ष आठ सौ से ज्यादा शहरों में व्यापक अध्ययन के बाद निकाला गया है।

अध्ययन में पता चला है कि देश की इक्कीस फीसद आबादी हृदय रोगों और उच्च रक्तचाप की चपेट में है। फेफड़ों की बीमारियों के अलावा दमा और ब्रांकाइटिस जैसी बीमारियों के मरीजों की तादाद बढ़ने का भी जिक्र इस अध्ययन में किया गया है। विश्व की कुल 7.3 अरब की जनसंख्या के मुकाबले भारत की 1.2 अरब की आबादी में दुनिया भर में होने वाली सालाना मौतों की अठारह फीसद मौतें भारत में होती है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक रिपोर्ट से यह भी उद्घाटित हो चुका है कि असंक्रामक बीमारियों (हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर) की वजह से आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2012 से 2030 के बीच इन बीमारियों के इलाज पर तकरीबन 6.2 खरब डॉलर (इकतालीस लाख करोड़ रुपए) खर्च होंगे। यह रिपोर्ट शहरी आबादी के स्वास्थ्य से विकास पर पड़ने वाले असर पर आधारित है।

बढ़ता शहरीकरण, कामकाज तथा जीवनशैली की स्थितियां ही घातक बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि सन 2014 से 2050 के बीच भारत में चालीस करोड़ से ज्यादा आबादी शहरों का हिस्सा बनेगी। इसके चलते भारत के शहरों में अनियोजित विकास की जो तस्वीर उभरेगी, वह सामाजिक व वातावरण के लिहाज से खतरनाक होगी। आंकड़ों पर गौर करें तो देश में सालाना होने वाली कुल मौतों में से छह फीसद लोगों की मौत कैंसर से होती है जो दुनिया भर में कैंसर से होने वाली कुल मौतों का आठ फीसद है। इसी तरह भारत में छह करोड़ से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। भारत की आधी से अधिक आबादी श्वास संबंधी रोगों और फेफड़ों से जुड़ी शिकायतों से ग्रस्त हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं कि भारत दुनिया की सर्वाधिक बीमारियों का बोझ उठाने वाले देशों में शुमार हो चुका है और अगर बीमारियों पर नियंत्रण नहीं लगा तो वह दिन दूर नहीं जब विश्व में भारत की पहचान एक बीमारू देश के रूप में होगी।

जनवरी 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूटीओ) ने खुलासा किया था कि विश्व में गैर संक्रामक रोगों से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुनिया भर में हर वर्ष डेढ़ करोड़ लोग कैंसर, मधुमेह और हृदयाघात जैसे गैर संक्रामक रोगों की वजह से मर जाते हैं। अगर समय से इलाज उपलब्ध हो तो इनमें से अधिकांश लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गैर संक्रामक रोगों से तीस से सत्तर साल के बीच लोगों के मरने की आशंका 26.2 फीसद से भी अधिक हो गई है। तुलनात्मक रूप से यह आंकड़ा दक्षिण एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों की तुलना में बेहद खराब है। डब्ल्यूटीओ के मुताबिक पी-5 देशों (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका) में केवल रूस की स्थिति (29.2 फीसद के साथ) भारत से अधिक खराब है। साल 2012 में भारत में 52.2 फीसद लोगों की मौत गैर संक्रामक रोगों से हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है कि गैर संक्रामक बीमारियों में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और सांस लेने में परेशानी संबंधी प्रमुख चार बीमारियां हैं।

कुछ साल पहले जब डब्ल्यूटीओ और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा लोगों की जीवनशैली में सुधार लाने के लिए व्यापक समझौते पर सहमति बनी थी तो उम्मीद जगी थी कि

गैरसंचारी रोगों का जोखिम कम होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दिशा में अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर गैरसंचारी रोगों पर नियंत्रण की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाया गया तो 2020 के अंत तक मरने वाले लोगों की तादाद छह करोड़ से पार पहुंच सकती है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मानना है कि इक्कीसवीं शताब्दी में गैरसंचारी रोगों पर नियंत्रण सबसे बड़ी चुनौती है। तेजी से बदल रही जीवनशैली, खानपान और शारीरिक कसरत की कमी के कारण आज जीवन पर खतरा मंडराने लगा है। इन भयंकर रोगों से लाखों लोग काल के गाल में समा रहे हैं। आज गैर संक्रामक रोगों की वजह से विश्व की एक तिहाई आबादी की जिंदगी समय से पहले खत्म हो जा रही है। कैंसर, मधुमेह, हृदय, श्वास रोग और मानसिक रोगों जैसे गैर संक्रामक रोगों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए अभी तक कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं।

विडंबना यह है कि हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और मस्तिष्क आघात से मरने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में ही है। हालांकि भारत सरकार गैर संक्रामक रोगों से निपटने के लिए भारी धनराशि खर्च कर रही है लेकिन उसके अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर इन बीमारियों पर जल्द ही नियंत्रण नहीं किया गया तो ये गंभीर स्थिति का रूप धारण कर सकती हैं। सरकार की कोशिश यह है कि तीस वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में गैरसंचारी रोगों को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पैदा की जाए और व्यापक स्तर पर उनका शारीरिक परीक्षण किया जाए। निस्संदेह यह एक सार्थक पहल है। अगर इस योजना को आकार दिया जाए तो देश की एक बड़ी आबादी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में मदद मिलेगी।

भारत के महापंजीयक की रिपोर्ट में कहा जा चुका है कि देश के पैंतीस से चौंसठ वर्ष आयु वर्ग के लोगों में बयालीस फीसद मौतों की वजह गैर संचारी रोग हैं। ऐसा माना जाता है कि कैंसर के रोगी का जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा, वह उतना ही लाभकारी होगा। पिछले कुछ सालों में कैंसर रोगियों के उपचार के लिए नई तकनीक और दवाइयां ईजाद हुई हैं। लेकिन ये दवाइयां इतनी ज्यादा महंगी हैं कि हर मरीज की पहुंच से बाहर हैं।

आज गांवों में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका है। गांव में स्थापित अस्पताल जर्जर हैं। न तो वहां डॉक्टर हैं और न ही दवाइयां। ऐसी स्थिति में भला गैर संक्रामक रोगों से कैसे निपटा जा सकता है! विडंबना यह है कि गांव के लोगों को तब तक गैर संचारी रोगों के बारे में जानकारी नहीं होती जब तक कि वे पूरी तरह चपेट में नहीं आ जाते हैं। जब उन्हें जानकारी मिलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चूंकि गांवों में इनके इलाज की सुविधा नहीं होती है, लिहाजा उन्हें शहर की ओर रुख करना पड़ता है। आज जरूरत तो इस बात की है कि भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं गैर संचारी रोगों से निपटने के लिए समन्वित रूप से ठोस कार्यक्रम तैयार करें। गैर संक्रामक रोगों का बढ़ता दायरा न सिर्फ जिंदगी को मौत में बदल रहा है, बल्कि सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए भी चुनौती है।

अनजाने का अंदेशा

चंद्रकुमार

दुनिया मेरे आगे

पिछले दिनों बीता सप्ताह मानव के चांद पर पहुंचने के पचासवें वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष और फिर चांद पर पहुंचने की होड़ तब चरम पर थी। अंतरिक्ष में मानव को पहुंचा कर वापस धरती पर सुरक्षित लाने में जहां रूस ने बाजी मारी, वहीं चांद पर मानव को सफलतापूर्वक पहुंचाने और सुरक्षित धरती पर लाने का श्रेय अमेरिका को मिला। दोनों देशों की होड़ या कहें प्रयासों से मानव जाति को नए आयाम मिले। अमेरिका का अपोलो अभियान इस मायने में महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है कि एक परीक्षण उड़ान के दौरान तीन अंतरिक्ष यात्रियों को यान में ही जल कर खाक होते देखने के बावजूद 'नासा' ने यह अभियान जारी रखा और आखिरकार चांद पर अमेरिकी झंडा फहराने में कामयाबी पाई। उस वक्त दुनिया की खुशी का अंदाजा ही लगा सकते हैं, जब परियों की कथाओं को हकीकत बनाते हुए हमने चांद पर कदम रखा।

चांद पर पहुंचने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने इसे 'मानव का एक छोटा कदम और मानवता के लिए एक बड़ी छलांग' कहा। इस सफलता ने अंतरिक्ष विज्ञान में हमारी दिलचस्पी बढ़ा दी। नील आर्मस्ट्रांग, बज अल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस पूरी दुनिया में जाने-पहचाने नाम बन गए। धरती पर लौटने पर दुनियाभर के देशों में उनका भव्य स्वागत किया गया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के लिए यह अपने पूर्ववर्ती जॉन एफ केनेडी के उस सपने को साकार होते देखना था, जिसकी सार्वजनिक घोषणा केनेडी ने सन 1962 में ही कर दी थी। अंतरिक्ष अभियानों के खतरे भी बड़े होते हैं। लांच पैड से उठते ही यान के जल कर खाक होने का सामना तो 'नासा' अपनी एक परीक्षण उड़ान में कर ही चुका था, लेकिन बीच रास्ते किसी अनदेखी अनहोनी, यान का नियंत्रण खोना या यान से संपर्क टूटना, चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त कोई दुर्घटना या ऐसी ही अनेक परिस्थितियों का सामना करना अभी बाकी था। इसलिए मिशन-कंट्रोल दल पल-पल की खबर ले रहा था, ताकि अपने जांबाजों को सकुशल वापस लाया जा सके। इसे चमत्कार ही माना जाए कि जिस तरह कागज पर पूरी योजना बनाई गई, असल अभियान उसी के अनुरूप सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

हाल ही में कुछ गोपनीय दस्तावेजों के सामने आने से खुलासा हुआ है कि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के लिए भाषण लिखने वाले विलियम सैफायर ने एक संदेश अनजाने अंदेशे को ध्यान में रख कर भी लिखा था। अगर किसी कारणवश नील आर्मस्ट्रांग और बज अल्ड्रिन का चंद्रयान चंद्रमा की सतह से वापस उड़ान न भर पाता या अपने अंतरिक्ष यान से न जुड़ पाता तो उस स्थिति में उनका पृथ्वी पर लौटना मुमकिन नहीं होता। चंद्रमा पर फंसे रहने पर उनके पास इतने साधन नहीं होते कि वे ज्यादा दिन जीवित रह पाते। उन्हें वहां तड़प कर मरना होता। तब देशवासियों, आर्मस्ट्रांग और अल्ड्रिन के परिवारों को राष्ट्रपति निक्सन द्वारा सांत्वना देने के लिए एक भावपूर्ण संदेश तैयार कर अमेरिकियों ने उस दुखद घटना से निपटने की भी तैयारी कर रखी थी। लेकिन उनकी सकुशल वापसी ने वह अंदेशा खत्म कर दिया।

अंतरिक्ष अभियान जैसे बेहद जोखिम भरे कार्यों में त्रुटिरहित और वैकल्पिक योजनाओं के बावजूद अंदेशा बना रहता है। यह बिल्कुल हमारे जीवन जैसा ही है, जहां अगले पल तक का हमें पता नहीं होता। लेकिन क्या कभी हम अपने जीवन में अनजाने अंदेशों को स्वीकार कर इस तरह योजनाएं बना पाते हैं कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें? मानवता की बड़ी छलांग माने जाने वाले इस अभियान से हमें बेहतरीन तैयारी, जबर्दस्त मानसिक ताकत, प्रतिकूलताओं से भिड़ने का जज्बा और अपनी सोच को साकार होते देखने जैसे अनेक सुखद परिणाम मिलते हैं। अगर हम ठान लें और पूरी शिद्दत से तैयारी करें तो असंभव कुछ भी नहीं होता।

हमें जो भय पीछे खींचता है, वह दरअसल उस अनजाने का अंदेशा है, जिसे हम अपनी योजना में शामिल नहीं करते। विकट परिस्थितियों में मानसिक बल द्वारा हमें अपने भय पर विजय पानी होगी, तभी हम असीम सुख प्राप्त कर पाएंगे। अशांत मानसिक अवस्था हमें न केवल कमजोर कर देती है, बल्कि हमारी ऊर्जा भी उस सोच में खपा देती है, जिसका हासिल कुछ नहीं होता। जीवन में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा के स्रोत को हर हाल में बचाए रखना होगा और उसी के लिए अनजाने अंदेशों को हकीकत मान कर उनसे सामना करने का हौसला हासिल करना होगा। मानसिक संबल किसी भी तरह के संताप को समाप्त करने का सबसे बड़ा हथियार है। विषमताओं और विकट परिस्थितियों का सामना किए बिना हमें कभी भी अपने जीवन का श्रेष्ठ हासिल नहीं होता। जीवन के असमतल, अनदेखे, अनजाने मैदान को फतह करने का अगर कोई एक सूत्र है तो वह अंदेशों के पार झांक कर उस पर काबू पाने की क्षमता ही होगी जो हमें असीम मात्रा में प्राप्त है। हमें बस अपने आगे आ रहे अवरोधों को पार करना होगा।

आखिर इंसाफ

तीस जुलाई 2019 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। तीन तलाक विधेयक को राज्यसभा ने अपनी मंजूरी दे दी। लोकसभा से इसे पहले ही मंजूरी मिल गई थी। सचमुच, महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है! तुष्टिकरण के चलते जो चिरप्रतीक्षित न्याय पिछली सरकारें नहीं दे पाई थीं, वह वर्तमान सरकार ने मुसलिम महिलाओं को दिला दिया है। विश्व के सबसे बड़े प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में 'तीन तलाक' का प्रावधान सच में एक बदनुमा दाग था जिसे अब हमारी संसद के दोनों सदनों ने बहुमत से साफ कर दिया है। देर आयद, दुरुस्त आयद। तीन तलाक प्रकरण पर पहले भी खूब विचार-मंथन हुआ था। शाहबानो के मामले से इस प्रकरण को जोड़ कर देखा जाए तो साफ होगा कि वर्तमान सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा-शक्ति के चलते मुसलिम महिलाओं को इस कानून से बड़ी राहत पहुंचाई है।

दरअसल, शाहबानो का मामला अपनी किस्म का इकलौता ऐसा मामला था जहां सत्तापक्ष ने उच्चतम न्यायालय के एक महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय को संविधान-संशोधन द्वारा बदलवा दिया था। नारी की अस्मिता, आत्म-निर्भरता, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का दम भरने वाले सत्तापक्ष ने कैसे मुसलिम वोटों की खातिर देश की सबसे बड़ी अदालत को नीचा दिखाया, यह इस प्रकरण से जुड़ी बातों से स्पष्ट होता है। बात कांग्रेस के शासन-काल की है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। गौरतलब है कि शाहबानो से उसके शौहर ने तीन बार 'तलाक' कह कर पिंड छुड़ा लिया था। शाहबानो ने अपने शौहर को कोर्ट में घसीट लिया कि ऐसे कैसे तलाक दोगे, गुजारा भत्ता दो! मियांजी बोले कि काहे का गुजारा भत्ता? शरीयत में जो लिखा है उस हिसाब से मेहर की रकम लेकर चलती बनो! शाहबानो कोर्ट में चली गईं। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया और उसने शाहबानो के हक में फैसला सुनाते हुए उनके शौहर को हुक्म दिया कि अपनी बीवी को गुजारा भत्ता दे। यह सचमुच एक ऐतिहासिक फैसला था।

सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे-सीधे शरीयत के खिलाफ एक मजलूम औरत के हक में फैसला सुनाया था। देखते-ही-देखते देश के इस्लामिक जगत में हड़कंप मच गया। उस समय की सरकार के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलिम नेताओं और कठमुल्लाओं के दबाव में आ गए और उन्होंने अपने प्रचंड बहुमत के बल पर संविधान में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटवा कर मुसलिम औरतों का हक मारते हुए शरीयत में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को रोक दिया। बेचारी शाहबानो को कोई गुजारा भत्ता नहीं मिला। आशा की जानी चाहिए कि 'तीन तलाक' बिल के कानून बन जाने से सदियों से पीड़ित मुसलिम समुदाय की महिलाओं को न्याय के साथ-साथ उनका हक भी मिल जाएगा।

● *शिबन कृष्ण रैणा, अलवर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

आतंक के खिलाफ

कश्मीर में आतंकियों का वित्त पोषण करने वाली जड़ों पर वार होने से वहां की अलगाववादी ताकतें फड़फड़ा रही हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के शिकंजे के कारण आतंकवाद की कमर टूट रही है, यह अच्छी खबर है। देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए इतनी ही सूझबूझ और ताकत दिखाई होती तो न कश्मीर घाटी से पंडितों को पलायन करना पड़ता और न वहां आतंकवाद इतना बढ़ पाता। अब बारी धारा 370 व 35 अ को समाप्त करने की है। सरकार को इस बारे में ठोस निर्णय लेकर कश्मीर को आतंक से मुक्त करना चाहिए।

● *मंगलेश सोनी, मनावर, धार, मध्यप्रदेश*

जंगल की जगह

हम और हमारी धरती एक खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी डर ने हमें पेड़ लगाने और पानी बचाने की तरफ मोड़ दिया है। बच्चों की ड्राइंग से गायब होते प्राकृतिक दृश्यों को फिर से बनाने की कोशिश में पौधारोपणउजड़ते जंगलों की जगह लेंगे जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक खुशखबरी बन सकती है। मगर यहीं से हमारी कोशिशों पर कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। क्या सचमुच नए जंगल बसाने के प्रयासों में हम ईमानदार हैं? तुलसी या सजावटी पाम जैसे पौधे लगा कर हम कितने घने जंगल बनाने में कामयाब होंगे? तरक्की की देन कंक्रीट के जंगलों ने फलदार और छायादार पौधों के लिए जगह नहीं छोड़ी है। हमें वह जगह तलाशनी होगी जहां हरे वृक्षों के घने जंगल की वसीयत आने वाली पीढ़ी के नाम कर सकें।

● *एमके मिश्रा, रातू, रांची, झारखंड*

डर के आगे

अपने रेडियो संबोधन 'मन की बात' में प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि जो लोग कश्मीर के विकास की राह में रोड़ा बन रहे हैं और नफरत फैलाना चाहते हैं, उनके नापाक इरादे कामयाब होने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री की ओर से ऐसे किसी बयान की आवश्यकता इसलिए थी कि एक तो इन दिनों कश्मीर चर्चा के केंद्र में है और दूसरे, केंद्र सरकार से यह अपेक्षा बढ़ गई है कि वह घाटी को पटरी पर लाने के लिए हरसंभव उपाय करे। गृहमंत्री बनने के बाद से अमित शाह कश्मीर पर खास ध्यान दे रहे हैं। सबको भरोसा है कि मोदी-शाह की जोड़ी कश्मीर की समस्याओं को सुलझा कर रहेगी। बीते दिनों कश्मीर में सुरक्षा बलों की सौ अतिरिक्त कंपनियां बुलाने के साथ ही वहां राजनीति गरमा गई। बयान सामने आने लगे कि धारा 35 ए को हाथ भी लगाया तो सारा कश्मीर सुलग उठेगा जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि ये कंपनियां सिर्फ कश्मीर की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई हैं।

कैसी विडंबना है कि एक तरफ केंद्र सरकार आतंकवादियों और अलगाववादियों पर नकेल कस रही है तो दूसरी तरफ घाटी के नेता आतंकवादियों और अलगाववादियों की वफादारी कर रहे हैं। इस सबके बीच मासूम कश्मीरियों की आवाज दब रही है। क्या उन्हें निडर होकर जीने का हक नहीं? आएदिन के आतंकी हमले उन्हें डर की जिंदगी जीने को मजबूर कर रहे हैं। कर्फ्यू या पत्थरबाजी से कश्मीरी बच्चों की शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ता रहा है। सरकार अब आतंकी वित्त पोषण पर रोक लगाने के सख्त प्रयास लगातार कर रही है जिस कारण पत्थरबाजी कम हुई है। सरकार के कड़े रुख से लगता है कि कश्मीर के हालात जल्द बदलेंगे।

● *राघव जैन, जालंधर*

जनसत्ता
युवा शक्ति
1 अगस्त, 2019 7

बेहतर प्रशिक्षण पर खासा ध्यान

परिधान उत्पादन, फैशन तकनीक या इससे मिलते-जुलते पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों का कौशल विकास किया जाता है। उन्हें शोध करने, बाजार की नब्ज को समझने और उसे आगे बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। पाठ्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को परिधान उत्पादन से संबंधित सभी आयामों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम के दौरान अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण कार्य करवाया जाता है ताकि जब ये प्रशिक्षणार्थी संबंधित क्षेत्र में आएं तो आसानी से अपना काम कर सकें।

जिन्होंने बनाया चांद पर मुकाम

गजेंद्र सिंह

अंतरिक्ष में महिलाएं

चांद के पार जाने की हसरत पालने वालीं दो महिलाओं ने भारत को उस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी दाद हर देश दे रहा है। इसरो के चंद्रयान-2 मिशन से जुड़ीं दो महिलाएं जिन्होंने न केवल उपग्रह को 22 जुलाई को चांद की सतह पर उतारने की जिम्मेदारी संभाली बल्कि उसमें लगने वाले खर्च को भी इतना कम कर दिया कि नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। इस मिशन में शामिल ऋतु करिधल श्रीवास्तव और वनिता मुथैय्या ने दुनिया को बताया कि महिलाएं किसी भी जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकती हैं। इस मिशन में पहली बार 30 फीसद महिलाओं ने जिम्मेदारी निभाई। यही नहीं, इससे पहले 2012 में अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था, जिसमें भारत की मिसाइल महिला के नाम से जानी जाने वाली टेसी थॉमस ने जिम्मेदारी संभाली थी।

वनिता मुथैय्या

चंद्रयान-2 की परियोजना निदेशक वनिता 32 साल से इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान) में काम कर रही हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि वह इस मिशन का नेतृत्व करने से पहले काफी डरी हुई थीं, लेकिन चंद्रयान-1 के परियोजना निदेशक एन अन्नादुरई के समझाने पर वह इसे संभालने को राजी हो गईं। वनिता ने बताया था कि वह इसरो में एक जूनियर इंजीनियर के तौर पर भर्ती हुई थीं। उसके बाद प्रयोगशाला, टेस्टिंग कार्ड, हार्डवेयर बनाना, डिजाइनिंग और डेवलपिंग का काम देखते हुए प्रबंधन के पद तक पहुंची हैं। उनके लिए यह काफी चुनौती भरा काम रहा। चेन्नई में पैदा हुईं वनिथा के पिता और मां भी सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रानिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से जुड़े थे, जिससे उनको इस क्षेत्र में काम करने में काफी प्रोत्साहन मिलता रहा। वनिता चंद्रयान-2 मिशन में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियर के तहत डेटा हैंडलिंग सिस्टम की देखरेख करने की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। 2006 में उनको अंतरिक्ष विज्ञान में अधिक कार्यकुशलता के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला वैज्ञानिक का पुरस्कार दिया गया था। वनिता ने इससे पहले डिप्टी परियोजना निदेशक के पद पर रहकर कार्टोसेट-1, ओशियनसेट-2 और मेगा ट्रॉपिक्स मिशन से 2006 में काम किया था।

ऋतु करिधल श्रीवास्तव

बचपन से ही रॉकेट को लेकर उत्सुक भारतीय रॉकेट वुमन के नाम से जानी जाने वाली ऋतु करिधल श्रीवास्तव ने ठान रखा था कि वह अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक न एक दिन काम करेंगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वालीं ऋतु ने बीएससी महिला कॉलेज और एमएससी लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरा करने के बाद पीएचडी में प्रवेश ले लिया। छह माह तक काम किया और इसके बाद आइआइएससी बंगलुरु एअरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद 1997 में इसरो ज्वाइन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग की प्रोफेसर पूनम टंडन कहती हैं कि ऋतु पढ़ाई में काफी होशियार थीं। उसका मन हमेशा से ही अनुसंधान क्षेत्र में जाने का था। लखनऊ में राजाजीपुरम क्षेत्र में रहने वालीं ऋतु काफी साधारण परिवार से हैं। ऋतु इससे पहले मंगलयान में डिप्टी डायरेक्टर का पद संभाल रही थीं। चंद्रयान-2 में आउटवर्ड एनॉटमी सिस्टम को देखने वालीं ऋतु इसका नेविगेशन नियंत्रित करने की जिम्मेदारी देख रही हैं। इसलिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सितंबर में रोवर उतारकर शोध होगा, जिसके लिए अब लगातार ऋतु का काम चलता रहेगा। एक साक्षात्कार में ऋतु ने बताया था कि उन्होंने हमेशा से विज्ञान को एक विषय नहीं बल्कि जुनून की तरह लिया है।

टेसी थॉमस

उपग्रह के अलावा भारत को सामरिक दृष्टि से मजबूत बनाने में भी एक महिला की बड़ी भूमिका है। डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान) की ओर से 2011 में अग्नि-4 मिसाइल और 2012 में अग्नि-5 मिसाइल का परीक्षण कर दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार होने वाले भारत की इस मजबूती के पीछे परियोजना निदेशक टेसी थॉमस का हाथ रहा। 'मिसाइल वुमन' के नाम से जानी जाने वालीं टेसी थॉमस के निर्देशन में लांच किए गए इस मिसाइल की मारक क्षमता में वृद्धि हुई है और यह परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। दक्षिण केरल के एलप्पी में एक छोटे कारोबारी परिवार में पैदा हुईं टेसी थॉमस ने पुणे से पढ़ाई की थी। 1998 में डीआरडीओ में काम शुरू करने के बाद इन्होंने लगातार शोध को समय दिया।

टेसी के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि 'टेसी थॉमस एक ऐसा उदाहरण हैं जिन्होंने पारंपरिक पुरुषों के गढ़ में अपनी छाप छोड़ी है।' टेसी थॉमस का कहना है कि तकनीक के क्षेत्र में जेंडर भेदभाव नहीं है, अगर आपका काम अच्छा है तो आप आगे बढ़ेंगे। 2008 में टेसी को साल की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक का खिताब मिला था।

सफलता पाने के लिए बदलें इन आदतों को

परामर्श

हर कार्य को करने से पहले उसके सफल या विफल होने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कार्य को जारी रखना चाहिए। प्रतिदिन के कार्यों के दौरान हम आदतन कुछ काम ऐसे करते रहते हैं, जिन्हें करते हुए हम न सिर्फ अपने काम को प्रभावित करते हैं, बल्कि खुद तनाव में रहते हैं। यदि हम अपनी ऐसी कुछ आदतों को छोड़ दें तो इसका परिणाम अपने आप ही हमारे कार्य की उत्पादकता पर नजर आएगा।

गैरजरूरी लोगों के बारे में सोचना : जिन लोगों के बारे में सोचने से आपके कार्य में कोई तरक्की या आपकी जिंदगी में कोई उपलब्धि नहीं होगी, उनके बारे में सोचकर समय न बर्बाद करें। आपके परिवारजन या दोस्त ही ऐसे लोग हैं, जिनके बारे में असलियत में आपको सोचने की जरूरत है। कई बार लोग किसी अभिनेता, अभिनेत्री या ऐसे किसी इंसान के बारे में सोचने लग जाते हैं जिन तक उनकी पहुंच ही नहीं है।

फोन चेक करना : अकसर देखा जाता है कि वार्तालाप के दौरान लोग लगातार अपना फोन चेक करते रहते हैं। यह बहुत ही खराब आदत है। किसी से बात करते समय बार-बार अपने फोन ना देखें। साथ ही उस दौरान किसी के संदेश का जवाब भी न दें। हालांकि ऐसा करने से सामने वाला कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अवश्य ही उसे अच्छा नहीं लगेगा और इससे आपकी बातचीत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

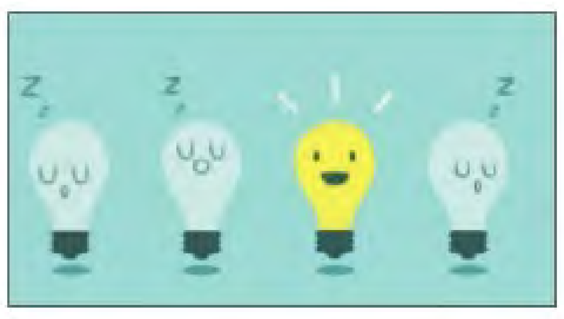

काम के बीच मेल देखना : कार्य के बीच में फोन के संदेश या ईमेल देखा भी एक ऐसी आदत है जो आपकी कार्यक्षमता पर विपरीत असर डालती है। हर संदेश, पॉप अप ट्विट या ईमेल को तुरंत देखने की भी कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जिस काम को कर रहे हैं, उसे पूरे ध्यान से करें। पहले जो काम कर रहे हैं उसे समाप्त कर लें फिर उन्हें चेक करें।

अच्छे काम के लिए इंतजार करना : किसी काम को करने के लिए तब तक इंतजार करना, जब तक आपको यह न लगे कि आप कामयाब हो जाएंगे, यह सोच गलत है क्योंकि आप किसी भी काम को करते समय यह नहीं कह सकते कि आप उसमें कामयाब हो ही जाएंगे। इसलिए काम को शुरू कर देना चाहिए। उसमें सफल होंगे या विफल ये बाद की बात है।

किसी की बुराई करना : किसी की बुराई करने से आपकी छवि भी धूमिल होती है। ऐसा करने से कहीं अच्छा है कि आप अपने समय को कुछ रचनात्मक या काम की बातों में लगाएं। इससे न केवल आपके काम में प्रगति होगी, बल्कि आपको दूसरों से सम्मान भी मिलेगा।

ना कहना भी शुरू करें : अपने किसी दोस्त या सहकर्मी को कई बार किसी काम के लिए मना करना मुश्किल होता है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं। ज्यादातर लोग इसे समझेंगे और जो नहीं समझेंगे उनके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि आप ना कहेंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन यदि आप हां कहेंगे तो आपको ज्यादा समय के लिए बुरा लग सकता है।

युवा शक्ति डेस्क

परिधान प्रबंधन के क्षेत्र में बुनें बेहतर करिअर

सुशील राघव

युवाओं में ब्रांडेड कपड़ों के प्रति बढ़ते लगाव ने फैशन और परिधान उद्योग को काफी तेजी से बढ़ाया है। फैशन और परिधान उद्योग के बढ़ते दायरे से युवाओं के लिए करिअर के कई नए विकल्प उभरकर सामने आए हैं। इन्हीं में से एक है परिधान प्रबंधन। पहले फैशन उद्योग में केवल डिजाइनिंग का ही विकल्प होता था लेकिन अब परिधान निर्माण के क्षेत्र में काम करने के लगातार मौके मिल रहे हैं। कपड़ों और तकनीक में रुचि रखने वाले युवा फैशन उद्योग का आधार माने जाने वाले परिधान उद्योग का हिस्सा बनकर अपने भविष्य को बेहतरीन आयाम दे सकते हैं। कपड़ों के चयन से लेकर उसकी पूरी तैयारी करना और उत्पादन का काम परिधान उद्योग में ही आता है।

परिधान प्रबंधक का काम

परिधान प्रबंधक डिजाइन और उत्पादन टीम के बीच सेतु का काम करते हैं। कपड़ों का निर्माण करने के दौरान कर्मचारियों पर नजर रखने के अलावा बेहतर तालमेल बैठाना, कार्य को बेहतरीन ढंग से संचालित करना, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना और उसे बेहतर बनाने से जुड़े काम इन्हीं के जिम्मे होते हैं। खरीददार के साथ कंपनी का समझौता कराने का महत्त्वपूर्ण काम भी इन्हीं को ही करना होता है। कपड़ा व्यापारियों के साथ सामंजस्य बैठाना, नए फैशन या ट्रेंड, डिजाइन व बाजार में होने वाले बदलाव से खुद को वाकिफ रखना परिधान प्रबंधक के कार्य का हिस्सा होते हैं।

अवसर

योग्यता

परिधान निर्माण, परिधान मर्चेंडाइजिंग या फैशन तकनीक में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए भौतिक, रसायन और गणित विषयों के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। कुछ संस्थानों ने इन पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की हुई है। कई अन्य संस्थानों में आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। मास्टर इन फैशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी या किसी भी संकाय में बैचलर इन इंजीनियरिंग या बैचलर इन टेक्नोलॉजी की डिग्री जरूरी है।

पाठ्यक्रम

- बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी (बीएफटेक)
- बीएससी इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (बीएससी-एफटेक)
- बैचलर इन अपैरल प्रोडक्शन
- बैचलर इन फैशन मैनेजमेंट
- बैचलर इन फैशन मार्केटिंग
- बैचलर इन अपैरल मर्चेंडाइजिंग
- मास्टर इन फैशन टेक्नोलॉजी (एमएफटेक)

संस्थान

- राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान; नई दिल्ली, बंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, कन्नूर, कोलकाता, मुंबई, पटना, रायबरेली, कांगड़ा, जोधपुर, भुवनेश्वर और शिलांग
- भरथियार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर
- बनस्थली विश्वविद्यालय, जयपुर
- भारतीय फैशन तकनीकी संस्थान, बंगलुरु
- पर्ल एकेडमी, नई दिल्ली, मुंबई, नोएडा, जयपुर
- राष्ट्रीय फैशन डिजाइन संस्थान, चंडीगढ़
- सरदार वल्लभभाई पटेल वस्त्र एवं प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय संस्थान, कोयंबटूर

बढ़ रही है मांग

जितनी तेजी से परिधान उद्योग बढ़ रहा है और हर दिन नए-नए देशी-विदेशी ब्रांड इस इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। इससे इस क्षेत्र में संभावनाओं के अनके दरवाजे खुल गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक भारतीय कपड़ा उद्योग का कारोबार 223 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें कई करोड़ लोगों को इस उद्योग में रोजगार मिलेगा।

वेतनमान

बैचलर डिग्री करने के बाद परिधान उद्योग में कदम रखते ही शुरुआत में चार से पांच लाख रुपए का सालाना पैकेज आसानी से मिल जाता है। अनुभव होने पर किसी भी पेशेवर को 10-15 लाख या इससे ज्यादा का पैकेज मिल सकता है। विदेश में भी संभावनाओं की कमी नहीं है।

सूचनापट्ट

दाखिले

जामिया, दिल्ली

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 से चार नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इसमें दो स्नातकोत्तर और दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम हैं। वहीं, पूर्व में बंद हो चुके चार पाठ्यक्रम में दाखिला फिर से खोला है। जामिया से मिली जानकारी के अनुसार शुरू हो रहे नए पाठ्यक्रमों में बैंकिंग और वित्तीय विश्लेषण में स्नातकोत्तर (40 सीटें), पर्यावरण विज्ञान व इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर (12 सीटें), तुर्की भाषा में एडवांस्ड डिप्लोमा (30 सीटें) और डिप्लोमा इन मॉलिक्युलर डायग्नोस्टिक्स (20 सीटें) पाठ्यक्रम शामिल हैं। जामिया ने पूर्व में बंद हो चुके चार पाठ्यक्रमों में फिर से दाखिला खोल दिया है। विशेष बात यह है कि यह चारों पाठ्यक्रम भी चालू शैक्षणिक सत्र से संचालित होंगे। इन पाठ्यक्रमों में से तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम हैं, जबकि एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हैं। इसमें एडवांस्ड डिप्लोमा इन मॉडर्न पर्सियन, एडवांस्ड डिप्लोमा इन पश्तो, डिप्लोमा प्रोग्राम इन उज्बेक और सर्टिफिकेट इन उज्बेक पाठ्यक्रम शामिल हैं।

अंतिम तिथि : 7 अगस्त 2019

आइपीयू, दिल्ली

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ (आइपी) विश्वविद्यालय ने मास्टर्स ऑफ वोकेशन (एमवॉक) में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए हैं। इन पाठ्यक्रमों के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी बल्कि दाखिले योग्यता परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय के मुताबिक आइपी विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न संस्थानों में एमवोक की 75 सीटें हैं। एमवोक विश्वविद्यालय में पहली बार शुरू किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में तीन विषयों में एमवोक पढ़ाया जाता है। जिसमें ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंटिरियर डिजाइन (छात्राओं के लिए) शामिल हैं।

अंतिम तिथि : 20 अगस्त, 2019

एसओएल, दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में स्नातक पाठ्यक्रमों की दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां पढ़ाने जाने वाले पांच पाठ्यक्रमों बीए प्रोग्राम, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स राजनीतिक शास्त्र और बीए ऑनर्स अंग्रेजी में दाखिला लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदकों को शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इसके बाद एसओएल का पहचानपत्र ऑनलाइन ही प्रिंट किया जा सकेगा। विद्यार्थियों को विलंब शुल्क के रूप में 200 रुपए अतिरिक्त देने होंगे।

अंतिम तिथि : 31 अगस्त, 2019

प्रवेश परीक्षा

कैट-2019

भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आइआइएम) के स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा और शोध पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 24 नवंबर 2019 को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (कैट-2019) का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। कैट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 7 अगस्त से शुरू होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को पंजीकरण शुल्क के रूप में 950 रुपए और अन्य सभी उम्मीदवारों को 1900 रुपए का भुगतान करना होगा। उम्मीदवार परीक्षा के लिए अपने प्रवेश पत्र 23 अक्तूबर 2019 से डाउनलोड किए जा सकेंगे। यह परीक्षा देश के 156 शहरों में आयोजित होगी।

अंतिम तिथि : 18 सितंबर, 2019

छात्रवृत्ति

ब्रेनर्स टैलेंट सर्च एग्जाम

ब्रेनर्स टैलेंट सर्च एग्जाम एक योग्यता सह छात्रवृत्ति परीक्षा है जिसका उद्देश्य 1000 मेधावी विद्यार्थियों को रैंक के आधार पर दो हजार से लेकर एक लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करना है। चयनित विद्यार्थियों को कौशल विकास के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सुविधा भी प्राप्त होती है। किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहे 14 से 25 साल का कोई भी विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए पंजीकरण करा सकता है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को कम से कम 50 फीसद अंकों के साथ यह परीक्षा पास करनी होगी। आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं।

अंतिम तिथि : 7 अगस्त, 2019

मानव अंगों के कारोबार पर राज्यसभा में जताई गई चिंता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

देश में मानव अंगों के अवैध कारोबार पर नियंत्रण की मांग करते हुए राज्यसभा में बुधवार को इस बात पर चिंता जताई गई। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए वाईएसआर कांग्रेस के प्रभाकर रेड्डी वेमीरेड्डी ने कहा कि मानव अंगों का कारोबार जिस तरह फलफूल रहा है वह अत्यंत चिंताजनक है। इस धंधे में डॉक्टर, अस्पताल के कर्मी और अन्य लोगों की संलिप्तता चिंताजनक है। वेमीरेड्डी ने मानव अंगों के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया जाए। वहीं मानव अंगों के कारोबार पर नियंत्रण के लिए विधेयक लाने की भी मांग की।

तृणमूल कांग्रेस के मानस रंजन भुइयां ने शारीरिक दिव्यांगता के लिए 50 फीसद का मानक तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि फिलहाल शारीरिक दिव्यांगता के लिए मानक 80 फीसद है। इतनी दिव्यांगता न होने पर व्यक्ति को दिव्यांगों के लिए निर्धारित लाभ नहीं मिल पाते। शून्यकाल में ही मनोनीत सदस्य रामसकल ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रेलवे लाइन के समुचित अभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सोनभद्र जिले की सीमा अन्य राज्यों से लगती है और यहां की 48 फीसद आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की है। उन्होंने सोनभद्र में रेलवे लाइनों के विकास की मांग की। कांग्रेस के डॉ टी सुब्बीरामी रेड्डी ने स्कूलों के आसपास नशीली दवाएं बिकने और विद्यार्थियों के इनकी गिरफ्त में आने पर चिंता जताई।

जज शुक्ला पर सीबीआइ मामला दर्ज करे : सीजेआइ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

उच्चतर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने निजी मेडिकल कालेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति देने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश एसएन शुक्ला के खिलाफ सीबीआइ को नियमित मामला दर्ज करने की इजाजत दे दी है। यह पहला अवसर है जब हाई कोर्ट के किसी पीठासीन न्यायाधीश के खिलाफ इस तरह से सीबीआइ को मामला दर्ज करके जांच करने की अनुमति दी गई है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति शुक्ला के खिलाफ नियमित मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। जांच ब्यूरो ने पत्र में लिखा था कि न्यायमूर्ति शुक्ला के कथित कदाचार का तथ्य पूर्ववर्ती प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के संज्ञान में लाया गया था और उनकी सलाह पर न्यायाधीश और कुछ अन्य के खिलाफ प्रारंभिक मामला दर्ज किया गया था। जांच ब्यूरो ने नियमित मामला दर्ज करने की अनुमति के लिए लिखे पत्र में प्रधान न्यायाधीश को अपनी प्रारंभिक जांच के बारे में संक्षिप्त नोट के साथ पूरे घटनाक्रम का विवरण दिया था।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सीबीआइ द्वारा पेश पत्र और दस्तावेजों का संज्ञान लेते हुए जांच ब्यूरो को इसकी अनुमति प्रदान की। प्रधान न्यायाधीश ने लिखा कि मैंने इस विषय में आपके पत्र के साथ लगे अनुलग्नकों पर विचार किया। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मैं जांच के लिए नियमित मामला दर्ज करने की अनुमति प्रदान करता हूं। शीर्ष अदालत के अधिकारी ने बताया कि यह पहला अवसर है जब किसी हाई कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दी गई है।

उच्चतर न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ पहले भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे और उन्हें पद से हटाने के लिए सरकार से सिफारिश की गई थी लेकिन न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया कभी भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकी थी। इस मामले में शीर्ष अदालत ने अपनी प्रशासनिक पक्ष की ओर से कार्रवाई करते हुए डेढ़ साल पहले ही न्यायमूर्ति शुक्ला से न्यायिक कार्य वापस ले लिया था। प्रधान न्यायाधीश द्वारा जांच ब्यूरो को हाई कोर्ट के सेवारत न्यायाधीश के खिलाफ कार्यवाही करने की अनुमति देने का फैसला महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले के वीरास्वामी प्रकरण में अदालत ने प्रधान न्यायाधीश को साक्ष्य दिखाए बगैर किसी न्यायाधीश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके जांच करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों के बढ़ते बोझ को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 30 से बढ़ा कर 33 करने की बुधवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) के अलावा 33 न्यायाधीश होंगे।

जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि जब जजों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाएगी तो प्रधान न्यायाधीश के अलावा जजों की संख्या बढ़ कर 33 हो जाएगी। अदालत में जजों की कुल संख्या सीजेआइ समेत 34 हो जाएगी। अभी शीर्ष अदालत में सीजेआइ समेत 31 न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) कानून, 1956 आखिरी बार 2009 में संशोधित किया गया था। जब सीजेआइ के अलावा जजों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 की गई। मंत्रिमंडल का फैसला तब आया है जब प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शीर्ष अदालत में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा था। राज्यसभा में एक सवाल पर 11 जुलाई को विधि मंत्रालय के लिखित जवाब के अनुसार, शीर्ष अदालत में 59,331 मामले लंबित हैं। सीजेआइ ने कहा कि जजों की कमी के कारण कानून के सवालों से जुड़े महत्त्वपूर्ण मामलों में फैसला लेने के लिए आवश्यक संवैधानिक पीठों का गठन नहीं किया जा रहा।

संजय सिंह भाजपा में शामिल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

कांग्रेस और राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने के एक दिन बाद संजय सिंह बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा समेत वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संजय सिंह अपनी पत्नी के साथ भाजपा में शामिल हुए।

संजय सिंह ने कहा कि पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया है। उन्होंने भी मोदी का समर्थन करने का फैसला किया है। वहीं नड्डा ने कहा कि संजय सिंह के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। अमेठी राजघराने से जुड़े सिंह का अमेठी और आसपास के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। इसमें रायबरेली भी है जो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। सिंह पहले भी भाजपा सदस्य रह चुके हैं।

हिरासत में लिए गए सपा सांसद आजम के विधायक बेटे

लखनऊ, 31 जुलाई (भाषा)।

सपा सांसद आजम खां के विधायक बेटे अब्दुल्ला को रामपुर में मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में जिला प्रशासन की छापेमारी की कार्रवाई में रुकावट डालने के आरोप में बुधवार को हिरासत में ले लिया गया। इस घटना के विरोध में सपा विधान परिषद सदस्यों की अगुआई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजभवन के द्वार के बाहर नारेबाजी की।

रामपुर के पुलिस अधीक्षक अजयपाल शर्मा ने बताया कि स्वार सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) प्रवीण कुमार ने बताया कि जौहर विश्वविद्यालय में पुलिस की छापेमारी की कार्रवाई के वक्त सपा विधायक अब्दुल्ला वहां मौजूद थे और उन्होंने बाधा पैदा करने की कोशिश की। उनको शांति भंग की आशंका में हिरासत में लिया गया है। रामपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जौहर विश्वविद्यालय में छापेमारी की कार्रवाई के दौरान उसके पुस्तकालय से 2500 से ज्यादा चोरी की गई दुर्लभ किताबें बरामद हुईं। इस घटना के विरोध में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात की कोशिश की। बिना किसी सूचना के मुलाकात की बात करने पर उनकी सुरक्षाकर्मियों से झड़प भी हुई। ाद में सभी प्रदर्शनकारी सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जौहर विश्वविद्यालय में प्रशासन द्वारा छापेमारी की कार्रवाई शिकायत के आधार पर की जा रही है। पूर्व में मदरसा आलिया के नाम से पहचाने जाने वाले ओरिएंटल कॉलेज के प्रधानाचार्य जुबैर खान की शिकायत पर 16 जून को इस मामले में पड़ताल शुरू की गई थी। जुबैर ने आरोप लगाया था कि उनके मदरसे से करीब 9000 किताबें चोरी करके उन्हें जौहर विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में रख लिया गया है। रामपुर से सपा सांसद आजम खां जौहर विश्वविद्यालय के संस्थापक और चांसलर हैं।

बाघों के लिए बनेंगे विशेष गलियारे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

देश भर में बाघों के लिए विशेष गलियारे तैयार होंगे। ये गलियारे बाघ संभावित क्षेत्रों में तैयार होंगे। इन गलियारों को विकसित करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में रेल या सड़क परियोजनाओं में बाघ के गलियारों का खास ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। मंत्रालय के मुताबिक इस विशेष क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बाघ देश के एक कोने से दूसरे कोने जा सकेंगे, इसकी मदद से बाघों संख्या बढ़ाने में भी मदद हासिल होगी। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक इसकी मदद से 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना की जा सकेगी।

बाघ क्षेत्रों को बचाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रेल व सड़क की नई योजनाओं को लागू करने के समय में ही इस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र बनाने पर काम करेगा। यह व्यवस्था किसी भी जमीन उपयोग (लैंड यूज) के समय से ही लागू होगी। मंत्रालय के मुताबिक देश में ऐसी सबसे अधिक योजनाएं रेल मंत्रालय व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से तैयार होती हैं। इसके लिए इन मंत्रालयों को इस योजना का हिस्सा बनाया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों की विकास योजनाओं को लागू करते हुए वन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने अपने दिशानिर्देशों में स्पष्ट आदेश दिए हैं कि किसी भी योजना को लागू करने से पूर्व इन संभावित क्षेत्रों में बाघ क्षेत्रों को विशेष ध्यान रखा जाए और योजना निर्माण के वक्त ही इन क्षेत्रों की कार्य योजना का भी पालन किया जाए।

मंत्रालय ने इन क्षेत्रों को मास्टर प्लान से जोड़ने की सलाह दी है। मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक सड़क परिवहन व रेल मंत्रालय की योजनाओं पर एजंसियों के बीच तालमेल स्थापित करना होगा ताकि किसी भी प्रकार से बाघ संबंधित क्षेत्रों का नुकसान नहीं हो। इसके जल्द ही अतिरिक्त छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा। मंत्रालय ने दावा किया कि आम जनता में जागरूकता की वजह से बाघों की मारने की घटनाएं भी कम दर्ज हो रही हैं। अब केवल 24 फीसद ही ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें बाघों पर हमला करने की बात आ रही है। हालांकि 55 फीसद मामले प्राकृतिक मौत से संबंधित हैं।

प्रधानमंत्री ने 2022 तक सबको आवास की प्रतिबद्धता दोहराई

पेज 1 का बाकी

पर उठाए गए कदम की भी जानकारी ली। सुगम्य भारत अभियान की समीक्षा करते हुए मोदी ने सार्वजनिक परिसरों तक पहुंचने में दिव्यांगजनों को आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए एक तंत्र तैयार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने रेलवे सड़क क्षेत्र में आठ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। ये परियोजनाएं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात सहित अनेक राज्यों में फैली हुई हैं।

आइएस से जुड़ा केरल का युवक अफगानिस्तान में मारा गया

पेज 1 का बाकी

प्रांत में आइएस के एक प्रमुख कमांडर हुजैफा-अल-बाकिस्तानी के साथ मारा गया है। बाकिस्तानी पाकिस्तानी मूल का आतंकी था और उसने कई भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाया था। आइएस में भर्ती होने के लिए 2017 में केरल के विभिन्न हिस्सों से भागे युवकों में से कई इन दिनों अफगानिस्तान में आतंकी शिविरों में थे। मुहम्मद मोहसिन के परिजनों को उसकी मौत की खबर अफगानिस्तान से मिले अनजान वॉट्सऐप संदेश के जरिए मिली। मलयाली भाषा में प्राप्त उस संदेश में लिखा था, 'आपका भाई शहीद होना चाहता था। अल्लाह ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। 10 दिन पहले हुए अमेरिकी सेना के ड्रोन हमले में वह शहीद हो गया।' आगे उस संदेश में लिखा था, 'कृपया ये बात पुलिस को न बताएं, नहीं तो वे आपके घर आकर आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। आपका भाई ऐसा नहीं चाहता था।'

केरल के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं पिछले कुछ वर्षों में आइएस में शामिल हुए हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक केरल के कन्नूर शहर के सबसे ज्यादा लोग आइएस में शामिल हुए। 15 जून तक कन्नूर की आठ महिलाओं सहित लगभग 40 लोग आइएस में शामिल हो चुके थे। पूरे केरल के 98 लोग आइएस में शामिल हुए, जिनमें से 38 मारे जा चुके हैं। कन्नूर के अलावा कासरगोड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, एर्नाकुलम और त्रिशूर के लोग भी इस आतंकी संगठन में शामिल हुए हैं।

सीमा पार दो चौकियां तबाह, छह पाक जवान ढेर

पेज 1 का बाकी

है और दो अन्य घायल हुए हैं। भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई में गुलाम कश्मीर में नीलम घाटी में स्थित एक पाकिस्तानी चौकी पूरी तरह तबाह हो गई। इस चौकी में मौजूद तीन पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। गुलाम कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के पास भी भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में एक सैनिक और एक पुलिसकर्मी समेत पांच पाकिस्तानी जख्मी हुए बताए जा रहे हैं। दो सैनिक गुरेज सेक्टर में मारे गए।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, पाकिस्तान के सैनिकों ने मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के तंगहर इलाके में नियंत्रण रेखा के नजदीक अग्रिम क्षेत्रों और गांवों को निशाना बनाया था। सोमवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले के मनकोट और शाहपुर सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पास वाले क्षेत्रों में गोलाबारी की थी। मंगलवार को पाकिस्तान की ओर से जम्मू के अखनूर स्थित केरी बट्टल में गोलाबारी की गई। पाक सैनिकों ने मंगलवार दोपहर करीब एक बजे उत्तरी कश्मीर के उड़ी से केरन सेक्टर तक अग्रिम सैन्य और नागरिक ठिकानों पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से तोपखाने का प्रयोग भी किया गया। कुछ ही देर में यह गोलाबारी केरन, करनाह, मच्छल, गुरेज, उड़ी के मोहरा सेक्टर तक फैल गई। इससे तंगधार के एक गांव में दो ग्रामीण जख्मी हो गए। रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक, मंगलवार की देर रात करीब 12.30 बजे पाकिस्तान की सेना ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार दागे। बुधवार उत्तरी कश्मीर के गुरेज, टंगडार, करनाह और उड़ी में दोनों तरफ से भारी गोलाबारी जारी रही। पाकिस्तान ने उत्तरी कश्मीर में भारतीय ठिकानों पर तोपखाने का भी इस्तेमाल किया।

एक देश एक कानून की ओर पहला कदम है तीन तलाक कानून

पेज 1 का बाकी

करने पहुंचे केन्द्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाना जनता से हमारी पिछली सरकार का वादा था जिसे नई सरकार के गठन होने के तुरंत बाद पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के राज्यसभा में पारित होने को लेकर तमाम किस्म की आशंकाएं जाहिर की गई थीं, लेकिन इन सबको गलत साबित करते हुए सरकार ने अपना वादा निभाया।

उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीयत से मुसलिम पर्सनल लॉ बनाए थे जिसकी वजह से समस्याएं खड़ी हुईं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि यह बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग समान नागरिक संहिता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि सरकार किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को कोई नुकसान पहुंचाने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन देशों में समान नागरिक संहिता लागू भी है, वहां भी किसी भी धर्मावलंबी पर अपना धर्म मानने पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह हमारे संविधान की भावना भी है कि हम एक देश, एक कानून की ओर बढ़ें।

केंद्रीय मंत्री नकवी ने तीन तलाक पर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के विरोध को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत आज बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के पास दोनों सदनों में पर्याप्त बहुमत था लेकिन वे ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाए।

लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई वाली कहावत चरितार्थ हो गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष यह दलील दे रहा है कि तीन तलाक के मामले में यदि शौहर जेल चला जाएगा तो उसके परिवार का भरण-पोषण कैसे होगा। यह बेहद लचर दलील है। इसमें कोई दम नहीं है। अब कोई कहे कि हत्या का आरोपी जेल चला जाएगा तो उसके परिवार को कौन देखेगा, तो इस सवाल का क्या जवाब होगा। अपराध करने वाले को सजा तो मिलनी ही चाहिए।

शाह बानो के नाती ने कहा, तीन तलाक कानून का हो सकता है दुरुपयोग

इंदौर, 31 जुलाई (भाषा)।

अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ कर मुसलिम समुदाय में नजीर पेश करने वाली शाह बानो के नाती जुबैर अहमद खान ने तीन तलाक निरोधक विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने को अच्छा कदम बताया है। हालांकि, उन्होंने इसे फौजदारी शक्ल दिए जाने पर असहमति जताते हुए आशंका जताई है कि दहेज प्रताड़ना निरोधक प्रावधान की तरह तीन तलाक प्रथा का निषेध करने वाले कानून का भी दुरुपयोग हो सकता है। शाह बानो के नाती पेशे से वकील और कर सलाहकार हैं। उन्होंने यहां बुधवार को कहा, वैसे तो इस्लामी शरीयत में लगातार तीन बार तलाक बोल कर वैवाहिक संबंध खत्म किए जाने की कोई अवधारणा ही नहीं है। लेकिन यह अच्छी बात है कि सरकार ने इस प्रथा पर रोक के लिए कानून बनाया है।

प्रधान न्यायाधीश ने पत्र पेश करने में देरी पर मांगी रिपोर्ट

पेज 1 का बाकी

रविवार को रायबरेली में अपनी कार के साथ एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर में बुरी तरह जख्मी हो गई। जबकि उसके परिवार के दो सदस्यों की इस हादसे में मृत्यु हो गई थी। महिला के परिवार ने इस कार दुर्घटना के पीछे साजिश की शिकायत दर्ज कराई है। इस बलात्कार कांड में उप्र के बांगड़मउ विधानसभा क्षेत्र से चार बार के भाजपा विधायक सेंगर आरोपी हैं और उन्हें पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। बलात्कार पीड़ित और उसके परिवार के दो सदस्यों द्वारा लिखा गया यह पत्र 12 जुलाई का है और इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य प्राधिकारियों को भेजा गया था। प्रधान न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में दावा किया गया है कि 7-8 जुलाई को भाजपा विधायक सेंगर से कथित रूप से संबंध रखने वाले कुछ व्यक्तियों ने पीड़ित के परिवार को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी थी। पत्र पर पीड़ित, उसकी मां और चाची के हस्ताक्षर हैं। पत्र के अनुसार सात जुलाई को बलात्कार मामले में एक आरोपी के बेटे नवीन सिंह, शशि सिंह, मनोज सिंह, (एक अन्य आरोपी कुलदीप सिंह के भाई) और कन्नू मिश्रा उनके घर आए थे और उन्हें धमकी दी थी। इसके अगले दिन एक अन्य व्यक्ति भी उनके घर आया था।

पीड़ित और उसके परिवार ने कहा कि पत्र के साथ उस कार का वाडियो भी संलग्न किया गया था जिसमें ये लोग उनके घर आए थे। पत्र में उन्हें धमकी देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। उन्नाव बलात्कार कांड उस समय सामने आया जब पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर कथित रूप से आत्मदाह करने का प्रयास किया था।

सिद्धार्थ का शव मिला, कारोबार जगत स्तब्ध

पेज 1 का बाकी

ईशान हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हर चीज 'आत्महत्या' की ओर इशारा करती है लेकिन जांच पूरी होने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अपने कैफे की श्रृंखला से शहरी इलाकों को लाते, कैपेचिनो, अमेरिकैनो और एस्प्रेसो समेत कॉफी के विभिन्न स्वाद से परिचित कराने वाले सिद्धार्थ 59 वर्ष के थे। दक्षिण कन्नड़ जिले के उपायुक्त शशिकांत सेंथिल ने बताया कि सिद्धार्थ के मित्रों ने उनके शव की पहचान की।

करीब 36 घंटे के तलाश अभियान के बाद सिद्धार्थ के शव का पता लग सका। कथित तौर पर उनके द्वारा अपनी कंपनी 'कॉफी डे इंटरप्राइजेज' के निदेशक मंडल और कर्मचारियों को लिखे गए एक पत्र से यह जाहिर होता है कि वह कर्ज, कर (टैक्स) और शेयरों को वापस खरीदने के लिए मजबूर किए जाने को लेकर वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे। इस पत्र में पूर्व डीजी आयकर द्वारा काफी प्रताड़ित करने की शिकायत की गई है। हालांकि, आयकर विभाग ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि उसने आयकर अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई की। तलाशी अभियान में कई एजंसियां लगाई गई थीं जिन्हें नेत्रावती नदी पर स्थित एक पुल के नीचे पानी में उतारा गया था। इसी स्थान पर उन्हें कथित तौर पर आखिरी बार सोमवार रात देखा गया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, 'सिद्धार्थ की मौत चिंता पैदा करने वाली प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है।'

उन्होंने ट्वीट किया, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भाजपा ने ईज ऑफ इंडिंग बिजनेस में तब्दील कर दिया।' कर्नाटक कांग्रेस ने सिद्धार्थ के निधन को लेकर ट्वीट किया, 'यह आइटी अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने और कर आतंक छाने व अर्थव्यवस्था के ढहने के साथ भारत में उद्यमियों की गिरती स्थिति का परिणाम है।

नौनिहालों को चाहिए देश भर में दूध बैंक

पेज 1 का बाकी

शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आएगी। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई प्रदेशों में यह दर काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि शिशु मृत्यु दर किसी भी देश/प्रदेश का सबसे बुनियादी स्वास्थ्य सूचकांक माना जाता है। इसी से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति का आकलन किया जाता है। जाहिर है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आगे रहने के लिये नवजात मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लानी होगी। सिंह ने कहा कि मदर्स मिल्क बैंक कोई अजूबा नहीं हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में ऐसे बैंक वर्षों से हैं और शिशुओं की असरदार तरीके से हिफाजत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी ऐसा बैंक बन गया है। ऐसे बैंक पूरे देश में खोले जाने चाहिए।

सीबीआइ ने सेंगर व नौ अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया

पेज 1 का बाकी

टीम का गठन किया है।' टीम ने अपराध स्थल, मारुति स्विफ्ट कार को टक्कर मारने वाले ट्रक का निरीक्षण किया। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे पुलिस अधिकारियों से भी सीबीआइ की टीम ने जानकारी ली।

सीबीआइ की जांच टीम महिला की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत करेगी और उनसे पूछेगी कि रविवार को वे पीड़िता के साथ क्यों नहीं थे, जब दुर्घटना हुई। केंद्रीय जांच एजंसी ने सामान्य प्रक्रिया के अनुसार दोबारा प्राथमिकी दर्ज करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से दुर्घटना मामले की जांच अपने हाथ में ले ली।

सबसे पहले पीड़िता के चाचा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बांगरमऊ से विधायक सेंगर के भाजपा से निलंबन के बाद से उसके रिश्तेदार पीड़िता के परिवार पर लगातार दबाव बना रहे थे। वे सेंगर के खिलाफ मामला वापस नहीं लेने की स्थिति में पीड़िता के पूरे परिवार की हत्या करने की कथित धमकियां दे रहे थे।

प्राथमिकी के अनुसार चाचा ने यह भी आरोप लगाया था कि पीड़िता के परिवार की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। सीबीआइ की जांच टीम ने रायबरेली में स्थानीय पुलिस थाने के अधिकारियों से भी मुलाकात की। प्रवक्ता के मुताबिक, 'आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्ति शिकायतकर्ता के परिवार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं और उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। इसमें आरोप लगाया गया कि इस मामले में 28 जुलाई 2019 को हुई दुर्घटना में दो लोगों की जान चली गई। उन्नाव की पीड़िता और परिवार के वकील का लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।'

कुलदीप सेंगर के अलावा दुर्घटना मामले में जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनमें उसका भाई मनोज सिंह सेंगर, अरुण सिंह, विनोद मिश्रा, हरी पाल सिंह, नवीन सिंह, कोमल सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, रिंकू सिंह, वकील अवधेश सिंह और 15 से 20 अज्ञात व्यक्ति हैं। केंद्र ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर मंगलवार को इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी। पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रहने पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना हो रही है।

जम्मू कश्मीर में ईडब्लूएस वर्ग को 10 फीसद आरक्षण मंजूर

पेज 1 का बाकी

मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि यह विधेयक उन गरीब लोगों को सामाजिक न्याय देगा जो राज्य में बड़ी संख्या में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले महीने जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण दिया था, जो पहले केवल वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब रहने वालों के लिए उपलब्ध था।गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक पेश किया था और 28 जून को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। बाद में ये राज्यसभा से भी पास हो गया। यह जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों के 3.5 लाख निवासियों को लाभान्वित करेगा। इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करने की बात कही गई। इसके जरिए अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह ही आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

याचिकाएं संविधान पीठ को सौंपने के सवाल पर सुनवाई पूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए दस फीसद आरक्षण देने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं संविधान पीठ को सौंपने के सवाल पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली। अदालत इस बारे में अपना आदेश बाद में देगी।

न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बीआर गवई के पीठ के समक्ष अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए दस फीसद आरक्षण देने का प्रावधान करने संबंधी संविधान (103वां संशोधन) कानून का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले करीब 20 करोड़ लोगों का उत्थान करना है।

पीठ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस फीसद आरक्षण देने का प्रावधान करने संबंधी संविधान (103वां संशोधन) कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने इस मामले को संविधान पीठ को सौंपने के मुद्दे पर सुनवाई के बाद कहा कि इस बारे में आदेश बाद में दिया जाएगा।

उन्नाव पीड़िता की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे: प्रियंका

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस उन्नाव बलात्कार पीड़िता के न्याय की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगी। पीड़िता के सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने की पृष्ठभूमि में प्रियंका ने कहा कि इस प्रकरण में अब परतें खुल रही हैं और उनकी पार्टी इस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मजबूती से लड़ेगी।

प्रियंका ने ट्वीट कर दावा किया–उन्नाव बलात्कार मामला और पीड़िता के पूरे परिवार को प्रताड़ित करना सत्ता के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। अब परतें खुल रही हैं और भाजपा नेताओं के नाम और पुलिस की लीपापोती सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। ये लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे।

केंद्र ने आयोग का कार्यकाल बढ़ाया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों के भीतर उप श्रेणियां बनाने के मसले पर विचार करने के लिए गठित आयोग के कार्यकाल विस्तार को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों में उप श्रेणियां बनाने के मसले पर विचार करने के वास्ते संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक विस्तार किए जाने को मंजूरी दे दी।

मनोज पांडे रेलवे बोर्ड के नए सदस्य

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

रेल मंत्रालय ने आइआरपीएस अधिकारी मनोज पांडे को रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के तौर पर तैनात किया है। देर शाम रेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव एसके अग्रवाल ने आदेश जारी किए। मनोज पांडे को सदस्य (स्टाफ) का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। अब तक यह कार्यभार आइआरएसइ अधिकारी एसएन अग्रवाल संभाल रहे थे। 31 जुलाई को इनके सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली हो गया है।

घातक हमले में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत

त्रिसूर, 31 जुलाई (भाषा)। केरल के त्रिसूर जिले के चावक्काड इलाके के पुन्ना में 18 सदस्यीय गिरोह के घातक हमले में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। मृतक की उम्र 44 साल थी।

पुलिस ने बुधवार को बताया कि मरने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता की पहचान नौशाद के रूप में की गई है और वह पार्टी का स्थानीय नेता था, जो इलाके में काफी लोकप्रिय था। उन्होंने बताया कि नौशाद का निधन बुधवार सुबह अस्पताल में हुआ।

JM FINANCIAL MUTUAL FUND — JM FINANCIAL

NOTICE

Annual Report of the schemes of JM Financial Mutual Fund or Abridged Summary thereof:

All unitholders are requested to note that in terms of SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018, the annual report and abridged summary reports of all the schemes of JM Financial Mutual Fund for the period ended March 31, 2019, have been hosted on the websites of JM Financial Mutual Fund and AMFI. Unitholders can access the reports using the following path:http://www.jmfinancialmf.com/Downloads/Financial.

The unitholders can also submit a request for a physical or electronic copy of the annual report or abridged summary by sending a request on the email id: investor@jmfl.com from their registered e-mail ID or by sending a written request to the following address:

Investor Relations Department, JM Financial Asset Management Limited, Cnergy, 8th Floor, Office B, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400025.

For existing investors, an Option Form for opting in to receive the physical copy of Annual Report/Abridged Summary is available on the website of JM Financial Mutual Fund under 'Downloads' section. Investors can also update their email ids by submitting the aforesaid form with JM Financial Asset Management Limited to receive the annual reports/abridged summary by email every year automatically.

However, in case an investor has not opted-in, it will be presumed that he/she has opted out from receiving the physical copy of the Annual Report or Abridged Summary.

Place : Mumbai
Date : July 31, 2019

Authorised Signatory
JM Financial Asset Management Limited
(Investment Manager to JM Financial Mutual Fund)

For further details, please contact :
JM Financial Asset Management Limited
(Formerly known as JM Financial Asset Management Private Ltd.),
Registered Office: 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025.
Corporate Office: Office B, 8th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai-400025.
Corporate Identity Number: U65991MH1994PLC078879. • Tel. No.: (022) 6198 7777
• Fax No.: (022) 6198 7704. • E-mail: investor@jmfl.com • Website : www.jmfinancialmf.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

REF No. 7/2019-20

Genus
energizing lives

GENUS PAPER & BOARDS LIMITED

Regd. Office : Vill. Aghwanpur, Kanth Road , Moradabad-244001, Uttar Pradesh
Corporate Office: D-116, Okhla Industrial Area, Phase-I , New Delhi-110020
Ph.:0591-2511171, Fax: 0591-2511242, E-mail: cs@genuspaper.com, Website: www.genuspaper.com
CIN: L21098UP2012PLC048300

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30-06-2019	31-03-2019	30-06-2018	31-03-2019
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	7055.73	6916.85	12349.11	43501.81
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	338.37	50.50	727.39	1174.75
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	338.37	50.50	727.39	1174.75
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	211.11	40.12	506.99	782.91
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	211.11	-584.03	506.99	158.76
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each)	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Face value of Re.1/- each) - (not annualised) (amount in Rs.)				
	Basic :	0.08	0.02	0.20	0.30
	Diluted:	0.08	0.02	0.20	0.30

Notes:

1 The above unaudited financial results of Genus Paper & Boards Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on July 31, 2019. Limited review of these results has required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015, has been completed by the statutory auditors of the Company. The Statutory Auditor has issued an unqualified review report thereon.

2 The Above financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under section 133 of The Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

3 Company is Predominately engaged in business of Kraft paper, therefore the management has considered that this is single reportable business segment in accordance with Ind AS 108 "Operating Segments".

4 The turnover of the current quarter has decreased as compared to corresponding quarter of last year due to the termination of the lease agreement for Kraft Paper Manufacturing facility located at Kashipur, Uttrakhand.

5 The figures for the quarter ended March 31, 2019 are the balancing figures between the Audited figures in respect of the full financial year and the figure for nine months ended December 31, 2018 which were subject to limited review.

6 Previous year/period figures has been regrouped/reclassified, Wherever necessary to conform to those current year Classification.

For and on behalf of the Board of Directors
(Himanshu Agarwal)
Whole Time Director
DIN: 00065185

Place: Moradabad
Date : July 31, 2019

This is a public announcement for information purposes only and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities nor is it a prospectus announcement. Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, outside India.

इरेडा
IREDA

INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Our Company was incorporated on March 11, 1987 in New Delhi under the Companies Act, 1956, as a public limited company and obtained a certificate for commencement of business on March 21, 1987. Our Company was notified as a public financial institution under Section 4A of the Companies Act, 1956 on October 17, 1995, by the Department of Company Affairs, Ministry of Finance, Government of India. Further, the Reserve Bank of India granted a certificate of registration to our Company on January 23, 2008, permitting us to carry on the business of Non-Banking Financial Company without accepting public deposits. For further details in relation to changes in the registered office of our Company, see ***"History and Certain Corporate Matters - Changes in the Registered Office"*** on page 122 of the draft red herring prospectus dated July 29, 2019 ("**DRHP**").

Registered Office: India Habitat Centre, East Court, Core 4 'A', 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi - 110003; **Tel:** +91 (11) 24682214
Corporate Office: 3rd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066; **Tel:** +91 (11) 26717400-12
Contact Person: Surender Suyal, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: +91 (11) 26717430; **E-mail:** ssuyal@ireda.in; **Website:** www.ireda.in
Corporate Identity Number: U65100DL1987GOI027265

OUR PROMOTER: PRESIDENT OF INDIA, ACTING THROUGH THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY, GOVERNMENT OF INDIA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 139,000,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION, (THE "ISSUE"). THE ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF UP TO 695,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹[•] MILLION FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (AS DEFINED HEREIN) ("EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS REFERRED TO AS THE NET ISSUE. THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE UP TO 15.05% AND 14.97%, RESPECTIVELY, OF OUR POST ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10 EACH. THE ISSUE PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. OUR COMPANY MAY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"), OFFER A DISCOUNT OF UP TO 5% (EQUIVALENT TO ₹[•]) ON THE ISSUE PRICE TO RETAIL INDIVIDUAL BIDDERS (THE "RETAIL DISCOUNT") AND OF UP TO 5% (EQUIVALENT TO ₹[•]) ON THE ISSUE PRICE TO THE ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE DISCOUNT"). THE PRICE BAND, THE RETAIL DISCOUNT, THE EMPLOYEE DISCOUNT AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, HINDI ALSO BEING THE REGIONAL LANGUAGE IN THE PLACE WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED) AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Self-Certified Banks ("**SCSBs**"), the Sponsor Bank and other Designated Intermediaries, as applicable.

This Issue is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "**SEBI ICDR Regulations**"). This Issue is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 50% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") (the "**QIB Portion**"). 5% of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. Further, up to 695,000 Equity Shares shall be offered for allocation and Allotment on a proportionate basis to the Eligible Employees Bidding in the Employee Reservation Portion, conditional upon valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All Bidders are mandatorily required to participate in the Issue through the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing details of their respective bank accounts (including UPI ID, in case of RIBs) which will be blocked by the SCSBs, or the bank accounts linked with the UPI ID, as applicable, to participate in the Issue. For details, see "***Issue Procedure***" beginning on page 349 of the DRHP.

This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the DRHP with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") on July 30, 2019 in relation to the Issue. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public, for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing, by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, and the websites of the Book Running Lead Managers i.e. YES Securities (India) Limited, Elara Capital (India) Private Limited, IDBI Capital Markets & Securities Limited and SBI Capital Markets Limited at www.yesinvest.in, www.elaracapital.com, www.idbicapital.com and www.sbicaps.com, respectively. Our Company invites the members of the public to give comments on the DRHP filed with the SEBI with respect to disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Compliance Officer and/ or the Book Running Lead Managers at their respective addresses mentioned herein below on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "***Risk Factors***" begining on page 21 of the DRHP. Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with RoC, National Capital Territory of Delhi and Haryana and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS				REGISTRAR TO THE ISSUE
YES SECURITIES	ElaraCapital	IDBI capital		LINK Intime
YES Securities (India) Limited IFC Tower 1&2, Unit No. 602A 6th Floor, Senapati Bapat Marg Elphinstone Road, Mumbai 400013 **Tel:** +91 (22) 3012 6919 **E-mail:** ireda.ipo@ysil.in **Investor Grievance E-mail:** igc@ysil.in **Website:** www.yesinvest.in **Contact Person:** Nikhil Bhiwapurkar/ Pratik Pednekar **SEBI Registration No.:** MB/INM000012227	**Elara Capital (India) Private Limited** Indiabulls Finance Centre Tower 3, 21st Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road West, Mumbai 400013 **Tel:** +91 (22) 6164 8599 **E-mail**: ireda.ipo@elaracapital.com **Investor Grievance E-mail:** mb.investorgrievances@elara-capital.com **Website:** www.elaracapital.com **Contact person:** Kunal Safari **SEBI Registration No.:** INM000011104	**IDBI Capital Markets & Securities Limited** 6th Floor, IDBI Tower, WTC Complex Cuffe Parade Mumbai 400005 **Tel:** +91 (22) 2217 1700 **E-mail:** ipo.ireda@idbicapital.com **Investor Grievance E-mail:** redressal@idbicapital.com **Website:** www.idbicapital.com **Contact Person:** Sumit Singh **SEBI Registration No.:** INM000010866	**SBI Capital Markets Limited** 202, Market Tower 'E' Cuffe Parade, Mumbai - 400 005 India **Tel:** +91 (22) 2217 8300 **E-mail:** ireda.ipo@sbicaps.com **Investor Grievance E-mail:** investor.relations@sbicaps.com **Website:** www.sbicaps.com **Contact Person:** Karan Savardekar **SEBI Registration No.:** INM000003531	**Link Intime India Private Limited** C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bhadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, India **Tel:** +91 (22) 4918 6200 **Email**: ireda.ipo@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan, **SEBI Registration No.:** INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **Indian Renewable Energy Development Agency Limited**
On behalf of Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Date: July 31, 2019
Place: New Delhi

Indian Renewable Energy Development Agency Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on July 30, 2019. The DRHP shall be available on the websites of SEBI, BSE and NSE at www.sebi.gov.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the websites of the BRLMs at www.yesinvest.in, www.elaracapital.com, www.idbicapital.com and www.sbicaps.com, respectively. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "***Risk Factors***" on page 21 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933 or an exemption from such registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the issuer or the selling security holder and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. No public offering or sale of securities in the United States is contemplated.

Adfactors/684

Genus
GENUS PRIME INFRA LIMITED
(Formerly GULSHAN CHEMFILL LIMITED)
(CIN: L24117UP2000PLC032010)
Regd. Office: Near Moradabad Dharam Kanta, Kanth Road, Harthala, Moradabad-244001, U.P
Phone: 0591-2511171, Fax: 0591-2511242
Website: www.genusprime.com,
Email: cs.genusprime@gmail.com

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on August 14, 2019, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019.

By order of the Board
Sd/-
Amit Agarwal
Whole Time Director

Date: 31-July-2019
Place: Moradabad

फॉर्म नं: आईएनसी–25ए

सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी में परिवर्तन करने के लिए समाचार–पत्र में विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम 2014, के नियम 41 के मामले में

और

मै. कैसल वॉल्वस लिमिटेड,

जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-51, मायापुरी इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-II, नई दिल्ली-110064 पर स्थित है, के मामले में (आवेदक)

इस नोटिस के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है, कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के तहत कंपनी केन्द्र सरकार को एक आवेदन करती है, [illegible] कंपनी को प्राईवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने की इच्छुक है और कंपनी को सक्षम बनाने हेतु कंपनी द्वारा **बृहस्पतिवार, 25 जुलाई, 2019** को आयोजित एक असाधारण आम सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

कंपनी के इस प्रस्तावित परिवर्तन/प्रस्थिति से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की आशंका है, तो वह अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को एक शपथ-पत्र लगाकर अपनी याचिका क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2, विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर इस सूचना के प्रकाशित होने के 14 दिवस की अवधि के अन्दर भेज सकता है, और याचिका की एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निम्नलिखित पते पर भेजें:

आवेदक के लिए व उनकी ओर से
मै. कैसल वॉल्वस लिमिटेड,
नवदीप मल्होत्रा
DIN: 00454957

दिनांक: 31.07.2019
स्थान: नई दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय का पता: सी-51, मायापुरी इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110064

सूचना

[नियम 30 कंपनियों (निगमन) नियम, 2014 के लिए]

क्षेत्रीय निदेशक से पहले, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय उत्तर क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनियों के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (क) में (निगमन) नियम, 2014

तथा

MAHARISHI VEDIC ORGANIC AGRICULTURE INSTITUTE CIN:- U01100UP2012NPL053239 इसका पंजीकृत कार्यालय है 504 A 5th floor Fortuna Riviera Blue Apartments 426 T.G. Civil Lines, New Hyderabad Lucknow, Lucknow UP-226007 IN .....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी गई है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, अतिरिक्त में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग करती है।

15 जुलाई 2019 को आम बैठक आयोजित की गई, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "उत्तरप्रदेश राज्य" से "उत्तरखंड राज्य" बदल सके।

कोई भी व्यक्ति जिसकी रुचि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, निवेशक शिकायत प्रपत्र या कारण दाखिल करके MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर पहुंच सकता है या दे सकता है। चौदह दिनों के भीतर नोयडा (गौतमबुद्ध नगर) में क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय पर उल्लिखित पते पर अपने पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी की एक प्रति के साथ इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से:

504 A 5th floor Fortuna Riviera Blue Apartments 426 T.G. Civil Lines, New Hyderabad Lucknow, Lucknow UP-226007 IN

उनके लिए और उनकी तरफ से
MAHARISHI VEDIC ORGANIC AGRICULTURE INSTITUTE
KRISHAN GUPTA
Din.- 02010933

दिनांक :–
स्थान: लखनऊ

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 व 9 के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं)/गारन्टर(ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **सांकेतिक/भौतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी** ऋणी(ओं)/गारन्टर(ओं) की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक 09/09/2019** को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपत्तियों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि को हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है।

नीलामी प्रक्रिया को किसी भी स्थिति में बिना कारण बताये निरस्त/निलम्बित करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा। उपयुक्त मामलों में बैंक खुद सम्पत्ति खरीदने हेतु बोली लगाने को स्वतंत्र है।

क्रं. सं.	ऋणी एवं शाखा का नाम	मांग नोटिस की तिथि एवं बकाया राशि का विवरण	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार (भौतिक/सांकेतिक)	रिजर्व मूल्य / अर्नेस्ट मनी (EMD) / न्यूनतम बोली की वृद्धि	ईएमडी जमा के अंतिम तिथि	खाते का विवरण जिसमें ईएमडी आरटीजीएस/एनईएफी जमा की जायेगी एवं आईएफएससी कोड	ई–नीलामी की तिथि एवं समय
1.	**शाखा : क्लॉक टॉवर, देहरादून** **ऋणी:** मैसर्स वल्लभ क्रिएशन, प्रोपराइटर श्री नमन जैन पुत्र स्व0 श्री आशु जैन, दुकान नाम-हब, दुकान नं0 10/11, मेट्रो प्लाजा कॉम्प्लेक्स, राजपुर रोड, देहरादून **प्रोपराइटर/ऋणी:** 1. श्री नमन जैन पुत्र स्व0 श्री आशु जैन, मकान नं0 4737 जैन मन्दिर रोड, निकट सुन्दर नगर पुलिस स्टेशन, सुन्दर नगर तरफ सैदान, लुधियाना पंजाब 2. श्री नमन जैन पुत्र स्व0 श्री आशु जैन C/o श्रीमती मनिषा जैन पत्नी स्व0 श्री आशु जैन, मकान नं0 11, शरमन वाटिका, हमवरान रोड, लुधियाना **गारन्टर्स:** 1. श्री नीरज जैन, 4736 जैन मन्दिर रोड, निकट सुन्दर नगर पुलिस स्टेशन, सुन्दर नगर तरफ सैदान, लुधियाना पंजाब 2. श्री नीरज जैन C/o श्रीमती मनिषा जैन पत्नी स्व0 श्री आशु जैन, मकान नं0 11, शरमन वाटिका, हमवरान रोड, लुधियाना 3. श्री नीरज जैन पुत्र श्री चमन लाल जैन, बी-59, ईस्ट ज्योति नगर, निकट शाहदरा नई दिल्ली-110093	25.04.2019 रू0 **2,02,19,681.68** + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.04.2019 से	बंधक संपत्ति के सभी भाग आवासीय सम्पत्ति एम.सी. नं0 B-XXIV-4736/1, माप 200 वर्ग गज, निहित खसरा नं0 144,खसरा नं0 874/943, जामाबंदी वर्ष 2007-08, स्थित मौजा तरफ सैदान हदवस्त नं0 172, स्थित सुन्दर नगर, तहसील व जिला लुधियाना। सीमायें:- उत्तर: श्री रंजीत की सम्पत्ति, साइड माप 60 फीट, दक्षिण: मनिषा जैन की सम्पत्ति, साइड माप 60 फीट, पूर्व: रोड, साइड माप 30 फीट, पश्चिम: मकान सह प्लॉट नं0 10 साइड माप 30 फीट	सांकेतिक	रू0 143.58 लाख रू0 14.358 लाख रू0 2,00,000/–	**07.09.2019** सायं 05:00 बजे तक	पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या 3713003171160 (आईएफएससी कोड: PUNB0371300)	**09.09.2019** प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
2.	**शाखा : क्लॉक टॉवर, देहरादून** **ऋणी:** मैसर्स स्वास्तिक इंटरनेशनल प्रोपराइटर: श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश लाल अग्रवाल **गारन्टर:** श्री नीरज जैन पुत्र श्री चमन लाल जैन, एवं श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश लाल अग्रवाल (बंधककर्ता)	24.04.2019 रू0 **1,87,68,316.30** + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.04.2019 से	बंधक संपत्ति के सभी भाग सम्पत्ति नं0 1/5248, प्लॉट नं0 12-A का भाग पर निर्माण, भूमि माप क्षेत्रफल 83 1/4 वर्ग गज खसरा नं0 199 मिन से बाहर, निहित दो रूम, एक स्टोर एक किचन, शौचालय, बाथरूम, सीढ़ियां, बरामदा भूतल पर एवं एक कमरा खुली छत प्रथम तल पर, चारदीवारी के साथ चालू स्थिति में बिजली व पानी सहित, स्थित ग्राम सिकंदरपुर आबादी ऑफ गली नं0 8, बलबीर नगर इलाका, शाहदरा दिल्ली-110032; सीमायें:- पूर्व: गली, पश्चिम: अन्य की सम्पत्ति, उत्तर: सम्पत्ति नं0 1/5248 का भाग, दक्षिण: अन्य की सम्पत्ति	सांकेतिक	रू0 128.22 लाख रू0 12.822 लाख रू0 2,00,000/–	**07.09.2019** सायं 05:00 बजे तक	पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या 3713003171160 (आईएफएससी कोड: PUNB0371300)	**09.09.2019** दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक

ऋणी(ओं) एवं गारंटर(ओं) प्रत्याभूति–दाता को सूचित किया जाता है कि सरफेसी एक्ट 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अन्तर्गत 30 दिन का वैधानिक बिक्री नोटिस माना जायें।

ई–नीलामी के लिये नियम व शर्तें - विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी के लिये आप वेब साईट **www.pnbindia.biz, www.pnbindia.in, www.tenders.gov.in** पर लॉगिन कर सकते है या नियम व शर्तों की प्रतिलिपि हमारे कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर प्राप्त कर सकते है।

ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चा सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चा सहित वसूल की जायेगी।

दिनांक: 31.07.2019 | स्थान – देहरादून | प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

सरकार का न्यूनतम कानून, बेहतर प्रशासन देने का इरादा : श्रम सचिव

नई दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा)।

- श्रम मंत्रालय चार संहिताओं को पेश करना चाहता है जो सभी श्रम कानूनों की जगह लेंगी।
- 50 करोड़ कर्मचारियों को दायरे में लाएंगे जिनके पास न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार होगा।

सरकार का उद्देश्य सभी श्रम कानूनों को चार व्यापक संहिताओं में मिलाकर कम से कम कानूनों के साथ बेहतर शासन देना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही। श्रम मंत्रालय चार संहिताओं को पेश करना चाहता है। ये संहिताएं सभी श्रम कानूनों की जगह लेंगी। ये चार संहिताएं वेतन , औद्योगिक सुरक्षा , सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंध से जुड़ी हैं।

श्रम सचिव एच एल समारिया ने एक कार्यक्रम में कहा- हमारा उद्देश्य कम कानून , छोटी सरकार और कारगर सरकार का है ताकि हर व्यक्ति की शासन में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा- इन सभी चार श्रम संहिताओं के साथ हम नियोक्ताओं की मुश्किलों को कम करने का इरादा लेकर चल रहे हैं। हम एक पंजीकरण , एक लाइसेंस , एक फॉर्म और एक अनुपालन प्रक्रिया चाहते हैं। लेकिन इसमें दोनों पक्षों की तरफ से धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। यह दोनों पक्षों के लिए परस्पर फायदे की स्थिति होगी। सचिव ने कहा कि शुरू में देश में 45 केंद्रीय श्रम कानून थे। अब सिर्फ 32 केंद्रीय श्रम कानून हैं।समारिया ने नियोक्ताओं के अखिल भारतीय संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा- हम इन कानूनों को चार संहिताओं में समाहित करके सरल और तर्कसंगत बना रहे हैं। यह कामगारों के लिए कारगार साबित होगा। लोकसभा ने मंगलवार को चार संहिताओं में से एक मजदूरी संहिता संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसी सत्र में इसे राज्यसभा से भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार ने व्यावसायिक सुरक्षा , स्-वास्-थ्-य एवं कार्यस्-थल स्थिति विधेयक को भी लोकसभा में पेश किया गया है। इससे 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को नई संहिता के दायरे में लाया गया है।

अधिकारी ने कहा- हमारे पास 50 करोड़ कर्मचारी हैं। असंगठित क्षेत्र में, लगभग 42 करोड़ श्रमिक हैं। समारिया ने कहा- करीब 60 फीसद श्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। उनके पास न्यूनतम मजदूरी का अधिकार नहीं है। अब , हम सभी 50 करोड़ कर्मचारियों को इसके दायरे में लाएंगे और उनके पास न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार होगा। इसमें घरेलू सहायक और खेतों में काम करने वाले कामगार भी शामिल होंगे।

हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में मिले नए सबूत

नई दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा)

आयकर विभाग ने वीवीआइपी हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में ताजा सबूतों का पता लगाया है। हैदराबाद के एक कंपनी समूह के परिसरों पर छापे के बाद नए सबूत हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि यह समूह राजीव सक्सेना के साथ काम करता था जिसे इस मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि कर अधिकारियों ने 24 जुलाई को हैदराबाद के कारोबारी समूह के परिसरों की तलाशी ली। यह समूह भूकंपीय आंकड़ों के विश्लेषण का भी काम करता है। उसके खिलाफ छापे में चार अघोषित विदेशी बैंक खातों और कर चोरों की पनाहगाह देशों में पंजीकृत कंपनियों के सबूत पाए गए। कार्रवाई में उसके परिसरों से 45 लाख रुपए नकद और 3.1 करोड़ रुपए मूल्य के आभूषण भी पाये गए।

हालांकि बयान में कंपनी या उसके प्रवर्तक के बारे में जानकारी नहीं दी गयी है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कंपनी का नाम अल्फा जियो है। इसके प्रवर्तक, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक दिनेश आला नाम के व्यक्ति हैं। कंपनी ने इस बारे में भेजे गए ई-मेल और फोन कॉल का कोई जवाब नहीं दिया।

सीबीडीटी का कहना है कि यह समूह दुबई के एक ऑपरेटर के जरिए बड़े स्तर पर आयात बिलों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने और उसके आधार पर लाभ उठाने के काम में लगी थी। यह ऑपरेटर अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी है।

सूत्रों ने इस आपरेटर की पहचान राजीव सक्सेना के रूप में की है। उसे 3,600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में इस साल की शुरूआत में प्रत्यर्पित कर दुबई से भारत लाया गया।

राजकोषीय घाटा अनुमान के 61.4 फीसद पहुंचा

नई दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा)

केंद्र का राजकोषीय घाटा जून तिमाही में 4.32 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह वित्त वर्ष 2019-20 के बजटीय अनुमान का 61.4 फीसद है। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के बुधवार को जारी आंकड़े के अनुसार निरपेक्ष रूप से राजकोषीय घाटा जून के अंत में 4.32 लाख करोड़ रुपए था। सरकार के राजस्व और व्यय का अंतर राजकोषीय घाटे के रूप में दिखता है। वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में राजकोषीय घाटा पूरे साल के बजट अनुमान के 68.7 फीसद के बराबर था।

सरकार का 2019-20 में राजकोषीय घाटा 7.03 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। केंद्र ने बजट में चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 फीसद रहने का अनुमान जताया है। यह पिछले वित्त वर्ष के बराबर ही है। सीजीए आंकड़े के अनुसार सरकार की 2019-20 की अप्रैल-जून तिमाही में राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान का 14.4 फीसद रही। यह एक साल पहले इसी अवधि में वार्षिक अनुमान के 15.5 फीसद के बराबर थी।

बैंक, वाहन कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी, सूचकांक 84 अंक मजबूत

मुंबई, 31 जुलाई (भाषा)।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक के ब्याज दर के बारे में फैसले से पहले घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी का रुख रहा। बैंक और वाहन कंपनियों के शेयरों में अच्छी लिवाली से बाजार में मजबूती आई। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों वाला सूचकांक 83.88 अंक यानी 0.22 फीसद की बढ़त के साथ 37,481.12 अंक पर बंद हुआ।

नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 32.60 अंक यानी 0.29 फीसद की तेजी के साथ 11,118.00 अंक पर बंद हुआ। कारोबारियों के अनुसार अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद से बाजार धारणा बेहतर हुई है। ऐसी संभावना है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक एक दशक में पहली बार नीतिगत दर में कटौती करेगा।

सूचकांक के शेयरों में येस बैंक को सर्वाधिक 6.04 फीसद का लाभ हुआ। उसके बाद क्रमसे इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, हीरो मोटो कार्प, सन फार्मा, बजाज आटो, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, एसबीआई और कोटक बैंक 5.32 फीसद तक की तेजी आई है। वहीं दूसरी तरफ एक्सिस बैंक को सर्वाधिक 4.55 फीसद का नुकसान हुआ। इसके अलावा भारती एयरटेल, रिलायंस, एनटीपीसी, मारुति, टेक महिंद्रा, ओएनजीसी, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में गिरावट दर्ज की गई।

जियोजीत फाइनेंशियल र्सिवसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- बैंक और वाहन शेयरों में हाल की गिरावट के बाद की गई लिवाली तथा अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की उम्मीद से बाजार में तेजी रही। शेयर बाजारों के पास उपलब्ध अस्थायी आंकड़ो के अनुसार विदेशी निवेशकों ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 644.59 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति बेची।

‘ओला-उबर जैसी सेवाओं का नियमन करे केंद्र’

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को आदेश दिया कि वह ओला-उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के नियमन के लिए उचित कदम उठाए। न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अगुआई वाले पीठ ने महिलाओं की सुरक्षा संबंधी एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र को अभ्यावेदन दे। केंद्र की ओर से पेश वकील ने जब कहा कि इसके लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता होगी तो अदालत ने कहा-आपको यह करना होगा।

गैर-यूरिया उर्वरकों पर सबसिडी बढ़ी

सरकार ने किसानों को किफायती दर पर उर्वरक मुहैया कराने के लिए गैर-यूरिया उर्वरकों पर सबसिडी बढ़ाने की बुधवार को घोषणा की। इससे चालू वित्त वर्ष के दौरान खजाने पर 22,875.50 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में इससे संबंधित निर्णय लिया गया। (भाषा)

खादी व ग्रामोद्योग आयोग को सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से आर्डर

नई दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा)।

खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद से खादी जैकेट और अंगवस्त्रम की आपूर्ति के लिए बड़ा आर्डर मिला है। केवीआइसी की बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार कुल 7 लाख रुपये के आर्डर के तहत आयोग को 543 खादी जैकेट और 450 अंगवस्त्रम की अपूर्ति करनी है। इससे पहले खादी व ग्रामोद्योग आयोग को इंदिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्विद्यालय से खादी के कपड़े के आर्डर मिले थे।

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (5)(ए) के मामले में
तथा
कैन्डूयोर विजन प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-5, मैन वजीराबाद रोड, खजूरी, दिल्ली-110094 में है, के मामले में
...(आवेदक)
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "पंजाब राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 26.06.2019 को आयोजित 2019-20 के 1ली असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैण्डम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके पंजीकृत कार्यालय: एफ-5, मैन वजीराबाद रोड, खजूरी, दिल्ली-110094 में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते: बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।
आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
हस्ता./-
स्थान- दिल्ली जयंत सिंह प्रताप
तिथि- 31.07.2019 (निदेशक)
DIN: 02875047

प्ररूप संख्या आईएनसी-25 क
...
दीपक एरोसोल्स लिमिटेड
(CIN: U24100DL1989PLC036473)
जिसका पंजीकृत कार्यालय 3/12, दूसरी मंजिल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में स्थित है
...आवेदक
...
दीपक एरोसोल्स लिमिटेड
गीतांजली अग्रवाल
(निदेशक)
तिथि : 31.07.2019
स्थान : नई दिल्ली
DIN:00030040

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
एन.ई.डब्ल्यू.एस. फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
(CIN: U24233UP2014PTC065401)
पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नं. 505, सन अपार्टमेन्ट, सेक्टर-2, प्लॉट नं. 2 / जीएच-3, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226022
ई-मेल: rajneeshgupta2022@gmail.com
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के मामले में
तथा
एन.ई.डब्ल्यू.एस. फार्मा प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय: फ्लैट नं. 505, सन अपार्टमेन्ट, सेक्टर-2, प्लॉट नं. 2 / जीएच-3, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226022 में है, के मामले में
...आवेदक कंपनी
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "उत्तर प्रदेश राज्य" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए गुरुवार, 25 अप्रैल, 2019 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते पर आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।
कृते एवं के लिये
एन.ई.डब्ल्यू.एस. फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
स्थान: लखनऊ निदेशक: रजनीश गुप्ता
तिथि: 31.07.2019 DIN: 01773080

फार्म नं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम्न) विनियमन, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण हेतु समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन
समक्ष केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा 4 तथा कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में
तथा
मिनी लेजर टेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट-05/12/56, टीएफ डी आर चेंबर, देशबंधु गुप्ता रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005, भारत में स्थित है, के मामले में ...आवेदक
सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 26.06.2019 को आयोजित विशेष आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन के पुष्टिकरण हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी केंद्र सरकार को अपने पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "पश्चिम बंगाल राज्य" में करने का प्रस्ताव रखती है।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित हो, तो वह अपने हित की प्रकृति तथा विरोध के कारण के उल्लेख के साथ शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में दर्ज करें अथवा क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट मामले का मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर दाखिल करें अथवा पंजीकृत डाक से भेजें तथा इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके उपर्युक्त उल्लिखित पते पर पंजीकृत कार्यालय में भिजवाएं।
वास्ते तथा उनकी ओर से
मिनी लेजर टेक प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
स्थान : दिल्ली (विष्णु कुमार मोदी)
दिनांक : 29.07.2019 DIN: 07098222

TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Regd. Off.: Tinna House, No. 6 Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi – 110030.
Phone: 011-49518530 • Fax: 011-26807073
Email: investor@tinna.in • Web: www.tinna.in
CIN L51909DL1987PLC027186
NOTICE
Notice is hereby given that meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 10th August, 2019 at the Registered Office of the Company at Tinna House, No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030, Inter alia, to consider and approve the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended 30th June, 2019.
The information contained in this notice is also available on Company's website at www.tinna.in and also on the website of Stock Exchange, i.e. www.bseindia.com
For Tinna Rubber And Infrastructure Limited
Place : New Delhi Vaibhav Pandey
Date: 31.07.2019 Company Secretary

सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2019 के नियम 17 के अनुपालन में
एक राज्य से दूसरे राज्य में सीमित दायित्व भागीदारी फर्म के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन
कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली के समक्ष
सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, धारा 13 (3) के मामले में
और
कृपालाइन डेवलपर्स एलएलपी (सीमित रूप से कृपालाइन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के रूप में निगमित)
जिसका पंजीकृत कार्यालय 11/37, भूतल, पुराना राजिंदर नगर, नई दिल्ली-110060 में है, के मामले में
---आवेदक
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 11/37, भूतल, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060 "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से 35-302 ला कैन्यून गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-54, गुड़गाँव, हरियाणा-122011, "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए यह एलएलपी, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, धारा 13 (3) के अंतर्गत कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करता है।
एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे 11/37, भूतल, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060 में एलएलपी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कम्पनी रजिस्ट्रार, 4था तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 के पास जमा करें अथवा जमा करायें अथवा पंजीकृत डाक से भेजें अथवा एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल कर सकते हैं।
कृते एवं के लिए
कृपालाइन डेवलपर्स एलएलपी
हस्ता./-
तिथि: 01 अगस्त, 2019
वकार इमाम
(पदनामित पार्टनर)
DIN: 08411069

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक पी.बी.एम. सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर
Phone: 0151-2226304; Fax: 01551-2528814, E-mail: superintendent_pbm@yahoo.com
क्रमांकः ए.जी.एच./ लेखा / (क्रय) / 2019 / 17420 दिनांकः 26.07.2019
(अखबार प्रकाशन हेतु)
अल्पकालीन ई-बोली आमंत्रण सूचना
(Stt. E-NIB No. 02/2019-20)
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012 तथा Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के तहत पी.बी.एम. सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग समूह, बीकानेर में सुरक्षा कार्य सेवा प्रदाय एजेन्सी से पूर्ण विवरण सहित तकनीकी एवं वित्तीय दर संविदा आमंत्रित की जाती है। जिसकी कुल अनुमानित लागत 3.80 करोड़ है।
उक्त अल्पकालीन ई-बोली (दर संविदा) आमंत्रण सूचना का विवरण DIPR की वेब साईट "www.dipronline.org" पर भी उपलब्ध है तथा बोली (दर संविदा) की महत्वपूर्ण शर्ते, बिड डाटाशीट व बिड डाक्यूमेन्ट इत्यादि "sppp.rajasthan.gov.in" तथा "eproc.rajasthan.gov.in" पर उपलब्ध है। जिसे इच्छुक बोलीदाता निर्धारित दिनांक 06.08.2019 से 16.08.2019 तक डाउनलोड / अपलोड कर सकते हैं।
UBN:- MCB1920SLRC00078
हस्ता./-
अधीक्षक
पी.बी.एम. सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर
DIPR/C/6217/2019

MARKTESH TRADING LIMITED
Regd. Office: 812, Devika Tower, 6th floor, 6, Nehru Place, New Delhi-110019
CIN : L51909DL2005PLC135119
E-mail : simharshirazada@gmail.com
Tel/Fax: +91-11-26219944
NOTICE
Notice is hereby given that Pursuant to Clause 41 of the Listing Agreement, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday the 12th August, 2019 at 4.30 p.m. at its Registered Office to consider and take on record Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2019.
For Marktesh Trading Ltd.
Place : New Delhi A. Bajaria
Date : 01.08.2019 Director

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD
Regd. office : D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave - I, New Delhi - 110048,
Tel :011-49025758, Fax :011-41633812
email :jagsonpalfinance@gmail.com
Website: jagsonpal.co.in
CIN : L65929DL1991PLC043182
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, August 13, 2019, to consider and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the First quarter (Q1) ended on June 30, 2019.
By order of the Board of Directors
Jagsonpal Finance & Leasing Ltd.
Sd/-
Date: 31.07.2019 Sumit Kumar Ghosh
Place: New Delhi Company Secretary

रूचिरा पेपर्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः त्रिलोकपुर रोड, काला अंब, जिला सिरमौर (हि. प्र.)-173030
CIN: L21012HP1980PLC004336
www.ruchirapapers.com
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 12 अगस्त 2019 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन केए जाएंगे।
यह जानकारी कंपनी की वेबसाईटः www.ruchirapapers.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट्स (www.bseindia.com) तथा (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।
रूचिरा पेपर्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
काला-अंब विशव सेठी
31.07.2019 कंपनी सचिव

NOTICE FOR BOARD MEETING
Pursuant to Regulation 29, 33, 47 and other applicable Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 7th Day of August, 2019 at 06:05 P.M At "11/6B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi-110005" to approve the un-audited standalone as well as consolidated financial results of the Company for the First quarter ended on 30th June, 2019 and to approve the revised audited Standalone as well as consolidated annual financial statements of the Company for the financial year 2018-19, pursuant to the order of Hon'ble NCLT, Principal Bench, New Delhi vide order dated 11th July, 2019 and pertaining to composite scheme of arrangement along with other matters. Further complete details are available at the website of the Company i.e. www.smcindiaonline.com.
For SMC Global Securities Limited
Sd/-
Suman Kumar
[E.V.P. (Corporate Affairs) & Company Secretary] & Compliance Officer
Date: 31st July, 2019
Place: New Delhi
Regd. Office : 11/6-B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi-110005
Ph: +91-11-30111000, 40753333
Fax: +91-11-25754365
E-mail: smc@smcindiaonline.com
Website: www.smcindiaonline.com
smc
Moneywise. Be wise.
CIN No. L74899DL1994PLC063609

Modipon limited
CIN: L65993UP1965PLC003082
Regd. Office: Hapur Road, Modinagar, Ghaziabad -201 204 (UP)
Phone: (01232) 243471
E-mail: modipon@modimangal.in
Website: www.modipon.net
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 (1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 07th day of August, 2019 at 11.00 A.M. at 405, 4th Floor, Copia, Corporate Suites, 9, Jasola Commercial Complex, New Delhi-110025 inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2019 along with the Limited Review Report of the Statutory Auditors thereon as required under Regulation 33 of the said Regulations.
The copy of this intimation shall also be available on the Company's website at http://www.modipon.net and on the website of the BSE Limited i.e., www.bseindia.com
For Modipon Limited
Sd/-
Place : New Delhi Vineet Kumar Thareja
Date : 31.07.2019 (Company Secretary)

ग्रोवी इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में ग्रोवी एक्सपोर्ट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड)
पंजी. कार्यालयः 122, 1ला तल, विनोबापुरी, लाजपत नगर II, नई दिल्ली-110024
Ph:011-46740000
CIN:L74130DL1985PLC021532
Email: grovyindia@gmail.com
Website: www.grovyindia.com
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरुवार, 8 अगस्त, 2019 को 3.00 बजे अप. में 122, 1 ला तल, विनोबापुरी, लाजपत नगर II, नई दिल्ली-110024 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त प्रथम तिमाही (क्यू 1) के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे। बोर्ड की बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.grovyindia.com पर इन्वेस्ट जोन टैब-कॉर्पोरेट एनाउन्स मेन्ट्स शीर्ष के अंतर्गत तथा एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है।
बोर्ड के आदेश से
हस्ता./-
(निशीत जालान)
स्थानः नई दिल्ली सीईओ एंव निदेशक
तिथिः 31.07.2019 DIN: 02964239

सार्वजनिक सूचना
प्रपत्र सं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन,सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के समक्ष।
कम्पनी अधिनियम, 2013 धारा 13 की उप धारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियमावली-2014 के नियम 30 के उपनियम (5)के खण्ड (क)के मामले में।
एवं
हारोंग प्लास्टिक मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
[CIN: U74140DL2012PTC230657]
जिसका पंजीकृत कार्यालय : ई-403 ए, दूसरी मंजिल, लेफ्ट साइड, ब्लॉक- ई, जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-2, बदरपुर, नई दिल्ली साउथ, दिल्ली-110044, में है, के मामले में।
.......(याचिकाकर्ता)
आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हटाकर गुजरात राज्य में स्थानांतरित करने के लिये 22 जुलाई 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन के खंड-2 में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उनके विरोध का कारण उल्लेखित हो, के साथ अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एमसीए, बी-2 विंग, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें: ई-403 ए, दूसरी मंजिल, लेफ्ट साइड, ब्लॉक- ई, जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-2, बदरपुर, नई दिल्ली साउथ, दिल्ली-110044.
आवेदक की ओर से और उसके लिये
हारोंग प्लास्टिक मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
जितेश भयेयावाला
निदेशक
DIN: 07316680
दिनांक: 01.08.2019
स्थान: नई दिल्ली

ईईएसएल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
(पूर्व में ईईएसएल ग्लोबल ट्रेड एंड सर्विसेस लिमिटेड)
CIN: L80902DL1983PLC209722
पंजी. कार्यालय : ई-वी, "करण", 4, लिंक रोड, नई दिल्ली-110001
Phones: (91) (11) 2378 2022, 2338 2592; Fax: (91) (11) 2378 2806, 23381914;
Email: eesl@somanigroup.com; Website: www.eesl.in
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 14 अगस्त, 2019 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30.06.2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अंकेक्षित स्टैण्डअलोन तथा समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किया जाएगा।
यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.eesl.in तथा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
ईईएसएल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के लिये
हस्ता.
तिथि: 30.7.2019 (राकेश नागपाल)
स्थान: नई दिल्ली कम्पनी सचिव तथा मुख्य वित्त अधिकारी

JINDAL CAPITAL LTD.
Regd Office: 79-A Kamla Nagar Delhi-110007
CIN: L74899DL1994PLC059720
Website: www.jindalcapital.in
Email: investor@jindalcapital.in
Phone: 011 23841536
NOTICE
Pursuant to Regulation 29(1)(a) of SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors will be held on Tuesday, 13th August, 2019 to consider and take on record Unaudited Quarterly financial results for the quarter ended on 30th June, 2019.
It is further informed that pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and pursuant to the internal code for prevention of insider Trading of the Company the Trading Window for dealing in equity shares of the Company by its Directors & designated employees shall remain closed from July 31, 2019 until the closing of business hours on August 16, 2019 on account of declaration of the aforesaid Un-audited Financial Results of the company.
For Jindal Capital Ltd.
Sd/-
Pawan Kumar Jindal
Place: Delhi Managing Director
Date: 30.07.2019 DIN: 00524690

आईएनसी- 26
सूचना
केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्रीय पीठ) नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम 2013, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम 2014 की धारा 30(6) (ए) के मामले में
तथा
टी सी आर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय सी - 42 रश्मि नगर आलमबाग लखनऊ यू.पी. - 226005 भारत के मामले में
.........याचिकाकर्ता
[illegible]
DIN: [illegible]
स्थान : लखनऊ
तिथि : 01.08.2019

RITES राइट्स लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम)
सीआईएन नं : L74899DL1974GOI007227
ई-निविदा आमंत्रण सूचना : RITES/EXPO/RT560-00016/PROC/COUPLER/1907/3
जीजीएम / एक्सपोर्टेक, राइटस लिमिटेड, राइटस की ओर से आपूर्तिकर्ता, जो कि निविदा दस्तावेज में वर्णित पात्रता मानदंडों पूरी करते है, से AAR 10A काउन्टर के साथ ऑटो कपलर और स्ट्राइकर के साथ सेंटर सील हाता है और मेनलाइन कोच के लिए रॅलिट सील के साथ रिवेटिंग की आपूर्ति करने हेतु ऑनलाईन बोली आमंत्रित करते हैं। अनुमानित लागत 9,54,24,000/- रुपए, ईएमडी: 9,54,300, रुपए, कार्य पूरा करने की अवधि: 120 दिन से 24 माह तक, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17.08.2019 को 18.55 बजे तक। पूर्ण निविदा दस्तावेज को जीजीएम (एक्सपोर्टेक), राइटस भवन, सेक्टर-29, गुड़गाव (हरियाणा), टेलीफोन 0124-2818251 से 10000/-रुपए (जीएसटी सहित) का भुगतान करके खरीदा जा सकता है या हमारी वेबसाइट www.etenders.gov.in/eprocure/app से डाउनलोड किया जा सकता है। संशोधन / अनुशेष, यदि कोई होगा, तो उसे केवल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
निविदा सूचना
दो बोली प्रणाली में मुहरबंद प्रतिस्पर्धी कोटेशन नीचे उल्लिखित आवश्यकताओं के लिए प्रतिष्ठित फर्मों से आमंत्रित किया जाता है। कोटेशन नीचे दिखाए गए अनुसार समापन समय को या उससे पहले अधोहस्ताक्षरी तक पहुंच जाएं।
1. RM0611/GTV SAMUDRA SARVEKSHAK-GEOTECH/01 dated 31July 2019 - Tender for the jobs on GEO TECH EQUIPMENTS OVERHAULING / TESTING
2. निविदा समापन तिथि और समय 08 अगस्त 2019, 11.30 घंटे।
Tender closing date and time 08 Aug 2019, 11.30 Hours.
सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.com/Tenders पर आवश्यकताओं के विवरण के साथ निविदा डाउनलोड की जा सकती है।
ह/-
उप महाप्रबंधक(पोत मरम्मत सामग्री)

Archies
The most special way to say you care
ARCHIES LIMITED
Regd. Office: 191F, Sector-4, IMT Manesar, Gurugram, Haryana-122050.
CIN: L36999HR1990PLC041175, Web: www.archiesonline.com
Email: archies@archiesonline.com, Tel: +91 124 4966666, Fax: +91 124 4966650.
NOTICE
Notice is hereby given pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of ARCHIES LIMITED ("Company"), will be held on Saturday, 10th August, 2019 at 12:10 P.M. at the corporate office, C-113, Naraina Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110028, inter alia, to consider and approve the un-audited financial results of the Company for the quarter and three months ended June 30, 2019.
Information in this regard is also available on the website of the Company i.e. www.archiesonline.com and on the website of stock exchanges i.e www.bseindia.com and www.nseindia.com
For Archies Limited
Sd/-
Place: New Delhi DILIP SETH
Date: 31.07.2019 Director (Finance) &CFO

ऋण वसूली न्यायाधिकरण- I, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
ओ. ए नं. 524 / 2018
पंजाब एण्ड सिंध बैंक आवेदक
विरुद्ध
मैसर्स राज कुमार एवं अन्य प्रतिवादी
सेवा में,
1. श्री राज कुमार पुत्र श्री जगमोहन शर्मा, निवासीः मकान नं. ए-101, प्रथम और द्वितीय तल, खसरा नं. 168, नंद राम पार्क, ग्राम बिंदापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली -110059 और ए-1 / 274, ब्लॉक - ए, हस्तसाल ग्राम, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
2. श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री जगमोहन शर्मा, निवासीः मकान नं. ए-101, प्रथम और द्वितीय तल, खसरा नं. 168, नंद राम पार्क, ग्राम बिंदापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली -110059 और ए-1 / 274, ब्लॉक - ए, हस्तसाल ग्राम, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
3. श्री रितेश खन्ना पुत्र श्री दिलीप खन्ना, निवासी : ए-1 / 274, ब्लॉक - ए, हस्तसाल ग्राम, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरूद्ध रू. 30,19,143.70 (रुपए तीस लाख उन्नीस हजार एक सौ तैतालीस और पैसे सत्तर मात्र) की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 25.07.2019 को पूर्वा. 10.30 बजे माननीय रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 21 जून, 2019 को दिया गया।
न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा रजिस्ट्रार

प्ररूप संख्या आइएनसी -26
[कंपनि (निगमन) नियम, 2014, के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा 4 और कंपनि (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (a) के मामले मे
और
विक्ट्री एविएशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
जीसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एल- 1 /2046, जी/एफ संगम विहार, नई दिल्ली-110062, स्थित है, के मामले मे, याचिकाकर्ता
आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र "दिल्ली" से "महाराष्ट्र" राज्य कंपनी रजिस्ट्रार, मुम्बई के अधिकारिता में स्थानांतरित करने के लिए तारीख जुलाई 10, 2019 को आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर ऍमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी -२ विंग, द्वितीय तल पर्यावरण भवन सी.जी.ओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेगाः
आवेदक की ओर से
विक्ट्री एविएशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
(एल-1/2046,जी/एफ संगम विहार, नई दिल्ली-110062)
Sd/-
कौशिक डागा
तारीख: 01/08/2019 निदेशक
स्थान: नई दिल्ली DIN: 01411362

जोमैटो ने ग्राहक की धार्मिक कट्टरता के आगे झुकने से किया इनकार

नई दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा)।

भोजन आपूर्ति करने वाली कंपनी जोमैटो ने अपने एक ग्राहक के धार्मिक भेदभाव वाले रवैए का जिस तरह से मुकाबला किया है उसको सोशल मीडिया पर खूब समर्थन मिल रहा है। मध्यप्रदेश के जबलपुर के रहने वाले अमित शुक्ला ने जोमैटो से खाना मंगाया। जब शुक्ल ने देखा कि खाना पहुंचाने आया दूसरे समुदाय है, तो उसने जोमैटो से अलग डिलिवरी ब्वॉय भेजने को कहा।

शुक्ला ने मंगलवार की रात ट्वीट किया, 'अभी-अभी मैंने जोमैटो से एक ऑर्डर रद्द किया। उन्होंने मेरा खाना दूसरे समुदाय व्यक्ति के हाथ भेजा और कहा कि वे इसे न तो बदल सकते हैं और न ही आर्डर रद्द करने पर पैसा वापस कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप मुझे खाना लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। मुझे पैसा वापस नहीं चाहिए, बस ऑर्डर रद्द करो।' उसने जोमैटो के कस्टमर केयर से बातचीत का स्क्रीनशॉट भी लगाया और कहा कि वह अपने वकील से इस बारे में परामर्श करेगा।

जोमैटो ने इस ट्वीट के जवाब में लिखा, 'खाने का कोई धर्म नहीं होता है। खाना खुद ही एक धर्म है।' कंपनी इस रुख पर टिकी रही और डिलिवरी ब्वॉय बदलने से मना कर दिया।

खाने का कोई धर्म नहीं होता

कंपनी के पक्ष में खड़े लोगों में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी जैसी हस्तियों के भी नाम हैं। जोमैटो ने अपने ट्वीट में लिखा, 'खाने का कोई धर्म नहीं होता है। खाना खुद ही एक धर्म है।' कंपनी इस रुख पर टिकी रही और डिलिवरी ब्वॉय बदलने से मना कर दिया।

जोमैटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने भी ट्वीट किया, 'हमें भारत के विचार और अपने शानदार उपभोक्ताओं एवं भागीदारों की विविधता पर गौरव है। अपने मूल्यों के कारण यदि हमारे कारोबार को कुछ नुकसान भी होता है तो हमें उसका अफसोस नहीं।' उमर अब्दुल्ला ने जोमैटो की तारीफ करते हुए लिखा, 'सम्मान। मुझे आपका ऐप पसंद है। धन्यवाद जो आप लोगों ने इस ऐप का संचालन करने वाली कंपनी को पसंद करने का कारण दिया।' एसवाई कुरैशी ने भी लिखा, 'सलाम दीपेंद्र गोयल। आप भारत की वास्तविक तस्वीर हैं। हमें आपके ऊपर गर्व है।'

अधिकारियों को अपशब्द कहने पर पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज

ठाणे (महाराष्ट्र), 31 जुलाई (भाषा)।

ठाणे जिले में अंबरनाथ नगर परिषद से भाजपा पार्षद के खिलाफ नगर निकाय अधिकारियों को कथित रूप से अपशब्द कहे जाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पार्षद पर आरोप है कि उन्होंने बाढ़ के कारण शहर की सड़कों पर जलभराव व गंदगी होने के बावजूद सफाईकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के लेकर अधिकारियों को अपशब्द कहे थे। पुलिस के मुताबिक पार्षद सुनील सोनी ने 29 जुलाई को मुख्य सफाई अधिकारी देवीदास पवार के केबिन में घुस कर उनसे सवाल किया कि जब शहरवासी जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं तो कर्मियों को शनिवार व रविवार को साप्ताहिक अवकाश क्यों दिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अधिकारी ने सोनी को बताया कि सेवा के नियमों के अनुसार साप्ताहिक अवकाश दिया गया था।

अधिकारी ने पार्षद को यह भी बताया कि भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के मद्देनजर पिछले शनिवार और रविवार को भी कर्मियों को काम पर बुलाया गया था। शिकायतकर्ता के हवाले से अधिकारी ने बताया कि इसके बावजूद सोनी ने केबिन में मौजूद पवार और अन्य नगर निकाय अधिकारियों को अपशब्द कहे। उन्होंने उन पर फेंकने के लिए कुर्सी भी उठा ली थी।

अंतरराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

लोकसभा ने बुधवार को विभिन्न राज्यों के बीच नदियों के जल और नदी घाटी से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय को सरल व कारगर बनाने वाले एक महत्त्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि इस संबंध में राज्यों के साथ चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर 2013 में विभिन्न राज्यों से विचार-विमर्श किया गया था और 2017 में संबंधित विधेयक लाया गया था। उन्होंने कहा कि 2017 में लाए गए विधेयक को स्थायी समिति को भेजा गया। समिति ने इस विधेयक के मसविदे पर भी चर्चा की और अब इस पर सदन में चर्चा हो रही है।

जलशक्ति मंत्री ने कहा कि भारत में दुनिया की आबादी का 18 फीसद व पशुधन का 18 फीसद है, लेकिन हमारे पास पीने योग्य पानी मात्र चार फीसद है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन खतरे के रूप में उभर कर सामने आया है। ऐसे में जल संसाधनों का उचित व विवेकपूर्ण उपयोग महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमें प्रदेशों की चिंता को छोड़कर राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए। 2050 में पानी की क्या स्थिति रहेगी, इस विषय पर ध्यान देना चाहिए।

शेखावत ने कहा कि यह भी महत्त्वपूर्ण है कि आज देश के एक हिस्से में सूखा है तो दूसरे हिस्से में बाढ़ की स्थिति। इस पर भी सभी को मिलकर गंभीरता से विचार करना होगा। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

इससे पूर्व शेखावत ने तमिलनाडु के कावेरी जल विवाद के संदर्भ में कहा कि इसके समाधान की दिशा में काम हो रहा है। कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड इसके लिए काम कर रहा है। इस बारे में यह कहना पूर्ण सत्य नहीं है कि कुछ काम नहीं हो रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को नदी जल विवाद का आपसी विमर्श से समाधान निकालना चाहिए।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना

ओ.ए. सं. 942/2017 के मामले में

देना बैंक — आवेदक

विरूद्ध

श्री लक्ष्य भारद्वाज एवं अन्य — प्रतिवादीगण

सेवा में डी-1 मैसर्स शुभकामना बिल्डटेक प्रा. लि., प्लॉट नं. जीएच-05/बी, सैक्टर-137, एक्सप्रैसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश यहा भी : ए-80, सैक्टर-2, नोएडा-201301

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 07.08.2019 को पूर्वा. 10.30 बजे इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 15 जून, 2019 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
सहायक निबन्धक, डीआरटी-III, नई दिल्ली

कामा होल्डिंग्स लिमिटेड

KAMA Holdings

(सीआईएन: L92199DL2000PLC104779)
पंजीकृत कार्यालय: द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार यूनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, नोएडा लिंक रोड, मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091
कॉर्पोरेट कार्यालय: ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुरुग्राम-122003
दूरभाष संख्या: (+91-124) 4354400 • फैक्स: (+91-124) 4354500
ईमेल: info@kamaholdings.com • वेबसाइट: www.kamaholdings.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 29 के साथ पठित नियमावली 47 एवं लागू होने योग्य अन्य प्रावधानों के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कामा होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 14 अगस्त 2019 को, अन्य बातों के अतिरिक्त, 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अनुमोदन हेतु आयोजित की जायेगी।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.kamaholdings.com एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते कामा होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता०/-
एकता महेश्वरी
(पूर्ण कालिक निदेशक, मुख्य वित्त अधिकारी एवं कम्पनी सचिव)

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 31 जुलाई, 2019

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची – 682015
दूरभाष: 0484 2501307, **फैक्स:** 0484 2370897, **वेबसाइट:** www.cochinshipyard.com
CIN: L63032KL1972GOI002414

दिनांक 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित स्टैंडअलॉन और समेकित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलॉन				समेकित			
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
		30.06.2019	30.06.2018	31.03.2019	31.03.2019	30.06.2019	30.06.2018	31.03.2019	31.03.2019
		(अलेखापरीक्षित)		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	73543.65	65872.69	78760.90	296215.87	73543.65	65872.69	78760.90	296215.87
2	अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (कर पूर्व, असामान्य और/या असाधारण मदें)	18647.58	16120.07	16093.32	75137.52	18505.17	16105.91	15914.61	74751.53
3	अवधि केलिए कर पूर्व निवल लाभ / (हानि) (असामान्य और/या असाधारण मद के बाद)	18647.58	16120.07	16093.32	75137.52	18505.17	16105.91	15914.61	74751.53
4	अवधि के लिए कर के बाद निवल लाभ / (हानि) (असामान्य और/या असाधारण मदों के बाद)	12025.36	10631.11	9750.58	48117.79	11897.47	10616.10	9544.72	47778.77
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए शामिल लाभ/ (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	12011.17	10585.94	9665.15	47922.62	11683.28	10570.93	9459.29	47583.60
6	इक्विटी शेयर पूंजी	13154.04	13593.60	13154.04	13154.04	13154.04	13593.60	13154.04	13154.04
7	आरक्षण (पुनर्मूल्यांकन आरक्षण को छोड़कर) पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में अनुसार।				320053.77				319710.00
8	प्रति शेयर (प्रत्येक 10 रुपए के) आय (चालू और बंद किए प्रचालनों के लिए) मूल एवं तनुकृत (रु.)	9.14	7.82	7.41	35.72	9.05	7.81	7.26	35.47

टिप्पणियां:

- उपर्युक्त दिनांक 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को दिनांक जुलाई 29, 2019 को आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक में समीक्षा की गई और निदेशक मंडल ने दिनांक जुलाई 29, 2019 को आयोजित बैठक में इसे अनुमोदित किया एवं रिकॉर्ड किया गया।
- उपर्युक्त, सेबी (सूचीबद्ध और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ फाइल किए गए वित्तीय परिणामों का एक विस्तृत उद्धरण है। अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.com में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के वेबसाइट :- www.nseindia.com में तथा बीएसई लिमिटेड के वेबसाइट www.bseindia.com में उपलब्ध है।
- अप्रैल 01, 2019 से कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तारीख में मान्यता प्राप्त मानक का उपयोग करते हुए संचयी प्रभाव के साथ संशोधित पूर्वव्यापि दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, भारतीय लेखा मानक 116 लीज के रूप में अपनाया है। तदनुसार, तुलनाओं को पूर्वव्यापि रूप से समायोजित नहीं किया गया है। यह 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के लिए 849.07 लाख रुपए के अतिरिक्त वित्तीय लागत (समेकित वित्तीय के अनुसार 851.95 लाख रुपए) और 330.89 लाख रुपए के अतिरिक्त मूल्यह्रास (समेकित वित्तीय के अनुसार 331.45 लाख रुपए) में परिणत हुआ है। भुगतान किया गया वास्तविक पट्टा किराया जो अब तक व्यय के रूप में पहचाना गया है, उसे पट्टा देयता में कमी के रूप में पहचान लिया है। कुल मिलाकर, रिपोर्टाधीन अवधि के लिए 389.22 लाख रुपए (समेकित वित्तीय के अनुसार 389.68 लाख रुपए) के लिए लाभ में कमी हुई है।

दिनांक 30 जून 2019 को आईपीओ की आय से धन का उपयोग

विवरण		रुपए करोड़ में
प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) से आय		**961.95**
घटाइए: आईपीओ व्यय (कंपनी की शेयर)		**21.72**
निवल आईपीओ आय		**940.23**
जोड़िए: पुनर्निवेशित ब्याज राशि		**62.05**
कुल आय प्लस ब्याज		**1002.28**
घटाइए: निम्न के लिए आय का उपयोग		
सामान्य निगमित उद्देश्य	165.23	
नई सूखी गोदी का निर्माण	305.82	
आईएसआरएफ	252.96	**724.01**
दिनांक 30.06.2019 को शेष धन		**278.27**
स्थायी जमे में निधि का पार्किंग	278.25	
चालू खाते में निधि का पार्किंग	0.02	
दिनांक 30.06.2019 को धन का पार्किंग		**278.27**

कृते कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: कोच्ची
दिनांक: जुलाई 29, 2019

रेलिगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड

RELIGARE

पंजीकृत कार्यालय: दूसरा तल, राजलोक बिल्डिंग, 24, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
सीआईएन: L74899DL1984PLC146935
फोन: +91-11-4627 2400, फैक्स नं. +91-11-46272447
वेबसाइट: www.religare.com ई-मेल: investorservices@religare.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") के विनियम 33 के साथ पठित विनियम 47 के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बृहस्पतिवार, 8 अगस्त, 2019 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के एकल एवं समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।

इसके अलावा, सूचीकरण विनियम के विनियम 46 के अनुसरण में उपरोक्त कथित बैठक का ब्यौरा कम्पनी की वेबसाइट www.religare.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते रेलिगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड
हस्ता./-
रीना जायरा
कम्पनी सचिव

तिथि: 1 अगस्त, 2019
स्थान: नई दिल्ली

आइओएल केमिकल्स एंड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ट्रीडेंट कॉम्प्लैक्स, रायकोट रोड, बरनाला-148101, पंजाब
CIN: L24116PB1986PLC007030 www.iolcp.com
फोन नं. +91-1679-244701-07, फैक्स: +91-1679-244708, इ-मेल: contact@iolcp.com

सूचना

सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुवर्ती एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 30 **जून**, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर परस्पर विचार और अनुमोदन के लिए निदेशकों के बोर्ड की बैठक **सोमवार**, 12 **अगस्त**, 2019 को आयोजित होना अधिसूचित है।

इस सूचना का आगामी विवरण कम्पनी की वेबसाइटः **www.iolcp.com** तथा शेयर बाजार की वेबसाइट जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं अर्थात **www.nseindia.com** और **www.bseindia.com** पर उपलब्ध है।

कृते आइओएल केमिकल्स एंड फर्मास्यूटिकल्स लिमि.
ह./- (कृष्ण सिंगला)
उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव

स्थान: बरनाला
दिनांक: 30 जुलाई, 2019

सार्वजनिक घोषणा

[दिवाला और शोधन अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के नियम 12 के साथ पठित नियम 31(2)]

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के स्टेकहोल्डर के ध्यानार्थ- परिसमापन में

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) 2016, ("विनियमन") के नियम 31 के अनुपालन में कारपोरेट देनदार के सभी स्टेकहोल्डर के लिए एतद्द्वारा सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि 27 जुलाई, 2019 को माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली खंडपीठ के समक्ष कारपोरेट देनदार के स्टेकहोल्डर की सूची दाखिल की गई है।

परिसमापक की ओर से स्वीकृत राशि, समय-समय पर संशोधित राशि सहित, के पूर्ण विवरण के साथ स्टेकहोल्डर की सूची कारपोरेट देनदार की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जो लिंक के साथ संलग्न है।

स्टेकहोल्डर की सूची

"http://kuldeepverma.in/hpcl-liquidation/uploads/List of Stakeholders."

स्टेकहोल्डर को आगे सूचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली खंडपीठ के समक्ष दाखिल स्टेकहोल्डर की सूची में किसी प्रविष्टि के संदर्भ में कोई संशोधन सिर्फ माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली खंडपीठ को आवेदन दाखिल कर तथा खंडपीठ द्वारा निर्देशित तरीके से किया जा सकता है।

हस्ता/- कुलदीप वर्मा
हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड का परिसमापक
पंजीयन सं० IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038
46, बी.बी. गांगुली स्ट्रीट, 5वां तल, यूनिट नं० 501, कोलकाता- 700012
ई-मेल : kuverma@gmail.com/liquidation.hpcl@gmail.com

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019, भारत
फोन: 011-41732000, फैक्स: 011-26230201
ई-मेल: complianceofficer@ifciltd.com
वेबसाइट: www.ifciltd.com
CIN: L74899DL1993GOI053677

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के विनियम 47 के उपबन्धों के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड की बैठक **सोमवार दिनांक 12 अगस्त, 2019** को निर्धारित की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के **30 जून, 2019** को समाप्त तिमाही के स्टैण्डअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा तथा उनका अनुमोदन किया जाएगा।

बोर्ड बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.ifciltd.com** तथा बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

कृते आईएफसीआई लिमिटेड
ह./-
(रूपा सरकार)
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31 जुलाई, 2019

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

पुराना जी.टी. रोड, सरस्वती महिला कॉलेज के सामने, पलवल
फोन: 01275-253093, 9416400382

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
परिशिष्ट-IV-ए (देखें 8(6) का प्रावधान)

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक (जो भी लागू हो)* कब्जा किया गया है, की **मै. ऑरिएण्टल स्टील प्रा.लि.**, द्वारा उसके प्राधिकृत निदेशक **श्री प्रेम चन्द शर्मा एवं श्री संदीप, कार्यालयः डीक्यू 265, वार्ड नं. 17, देव नगर, पलवल, पलवल 121002**, हरियाणा से 31.10.2018 को प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये रु. 1,09,83,727.31 की वसूली के लिये **4.9.2019 को "जैसा है जहां है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर** बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य रु. 77,99,600.00 तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 7,79,960.00 होगी।

अचल/चल सम्पत्तियों का विवरण

अचल सम्पत्तिः श्री प्रेम चन्द तथा श्रीमती अनीता शर्मा के स्वामित्व में खेवत नं. 3061, रेक्ट. नं. 61 तथा 76, किल्ला नं. 24(0-6), 4/2/1(4-11), 7/1/2(4-11), 7/1/2(4-11) तथा 7/2/1(1-19) क्षेत्रफल माप 467.50 वर्ग यार्ड्स, कल्याण एन्क्लेव, चौपाल रेस्टॉरैन्ट पलवल के पीछे के भाग में स्थित सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः अन्य सम्पत्ति, **दक्षिणः** 18 फीट चौड़ा रास्ता, **पूर्वः** श्री ओम प्रकाश का मकान, **पश्चिमः** श्री भागिरथ का मकान।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् www.syndicatebank.in में दी गई लिंक देखें।

तिथिः 29.07.2019
स्थानः पलवल

प्राधिकृत अधिकारी, सिंडिकेट बैंक

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

ऑर्चिड सैलून सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	**ऑर्चिड सैलून सर्विसेस प्राईवेट**
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	28.03.2011
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार-दिल्ली तथा हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U93020DL2011PTC16687
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	14 बी, शिव शक्ति अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	एनसीएलटी आदेश तिथिः 12.07.2019 आईआरपी को सूचनाः 29.07.2019 सीआईआरपी आरंभ होने की तिथिः 30.7.2019
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	25.01.2020
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पता, ईमेल पता तथा पंजीकरण संख्या	ललित गांधी IBBI/IPA-001/P00651/2017-2018/11104
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः	27/7, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 ईमेलः lalitgandhica@yahoo.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	ललित गांधी, सी.ए. सी/ओ सेवा एडवायजरी एलएलपी 4, विक्रम विहार एक्स्टेंशन (बेस्मेन्ट), लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024 ईमेलः lalitgandhica@yahoo.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	12.8.2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	वर्गों का नामः एनए
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	1. एनए 2. एनए 3. एनए
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	वेबलिंकः https://ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पताः एनए

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 30.7.2019 को ऑर्चिड सैलून सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा ऑर्चिड सैलून सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 12.8.2019 को या उससे पूर्व सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये (वर्ग निर्दिष्ट करें) प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता/-
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम तथा हस्ताक्षरः ललित गांधी

तिथिः 31.07.2019
स्थानः नई दिल्ली

AAYUSH FOOD AND HERBS LIMITED

CIN No.: L01122DL1984PLC018307
Registered Office : W-321, Ground Floor, Chirag Delhi, New Delhi-110017
E-Mail : aayushfoodherbs@gmail.com; Tel. : 011-41009092, 46095455

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 12th August, 2019 at the Registered Office of the Company at W-321, Ground Floor, Chirag Delhi, New Delhi- 110017 to consider, interalia, Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2019 and other business, if any, with permission of the Board.

This intimation is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in) where the company's shares are listed and shall also be available on the website of the Company(www.aayushfoods.com)

For Aayush Food and Herbs Limited
sd/-
Preeti Kataria
Company Secretary

Date : July 31, 2019
Place : New Delhi.

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171

समक्ष वसूली अधिकारी-द्वितीय ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

मॉग तथा उपस्थित होने की सूचना

(ऋण वसूली व दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अनुभाग 25 से 29 के साथ पढ़ते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अन्तर्गत नोटिस)

आर.सी. संख्या 246/2019, टी.ए. संख्या 315201**8**डायरी संख्या 263, दिनांक 25.07.2019

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
तिलक मार्ग, द्वितीय फ्लोर,
निकट नैशनल पी.जी. कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश — बनाम — अजहर खान

सेवा में,
सीडी. 1: अजहर खान पुत्र श्री अब्दुल खान, निवासी मकान न0 14, एफ/4, फैजगंज ईस्ट, हसन नर्सिंग होम, मुरादाबाद-244001, उत्तर प्रदेश

सर्टिफिकेट डेब्टर्स

(v) यह सूचित करना है कि आप पर रु0 10,65,740.58 (दस लाख पैंसठ हजार सात सौ चालीस रूपये एवं अट्ठावन पैसा मात्र) + वाद कालीन प्रभावी ब्याज, ओ.ए. की दिनांक 18.08.2016 से @10.00% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अन्य खर्चे बकाया है। जो कि प्रेसीडिंग ऑफिसर ऋण वसूली अधिकरण-देहरादून के द्वारा दिनांक 29.04.2019 को जारी वसूली प्रमाणपत्र के टी.ए. संख्या 315/2018 के अनुसार आपके विरुद्ध रु0 73,000,000 का वाद व्यय सहित देय हैं।

(vi) आपको यह निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना प्रकाशन के 15 दिन के भीतर उक्त राशि की अदायगी की जाए, अन्यथा ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार वसूली कार्यवाही की जाएगी।

(vii) उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

सी) इस प्रमाण पत्र/निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरंत बाद की अवधि हेतु देय ब्याज राशि सभी लागत, प्रभार और खर्चे।

डी) इस सूचना को दिए जाने और इस प्रक्रिया में होने वाली सभी लागतें, प्रभार और व्यय, जिसे देय राशि की वसूली हेतु प्रक्रिया में किया गया है।

(viii) यदि आप द्वारा उक्त राशि का भुगतान नही किया जाता उस स्थिति में आपको आदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक **27.09.2019** को समय 11.00 पूर्वान्ह उपस्थित हों।

अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से 25,जुलाई, 2019 से जारी।

ह0
वसूली अधिकारी-द्वितीय, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

SOUTH INDIAN Bank

क्षेत्रीय कार्यालय : दिल्ली 1/18-20, व्हाइट हाउस, द्वितीय तल, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055 फोन : 011-23610400, Email: ro1008@sib.co.in CIN: L65191KL1929PLC001017

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 13 (2) के अधीन सूचना

सेवा में

1. श्री ओम प्रकाश द्विवेदी पुत्र महेश प्रसाद द्विवेदी, निवासी 4/168ए, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
2. श्री आशीष कुमार द्विवेदी, निवासी 36बी, बारा बुंदनवा आशिक, बुंदनवा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-212107

आपमें से प्रथम ने प्रधान ऋणप्राप्तकर्ता के रूप में **साउथ इण्डियन बैंक लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय "एसआईबी हाउस", टीबी रोड, त्रिशूर-1 केरल में तथा इसका एक प्रादेशिक कार्यालय 1/18-20, द्वितीय तल, व्हाइट हाउस, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055 में और इसकी एक शाखा दुकान नंबर 34-38-41-42, एफ 1 प्लाजा, पत्रा धानमंज अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226020 में स्थित है, से क्रमशः **06-09-2016** को आवश्यक दस्तावेजों के निष्पादन द्वारा **श्री ओम प्रकाश द्विवेदी** के खाते में **रू. 12,80,000.00 (रू. बारह लाख अस्सी हजार मात्र)** हेतु वाहन ऋण लिमिट का लाभ प्राप्त किया है तथा नीचे अनुसूचीबद्ध की गई आस्तियाँ (इसमें आगे प्रत्याभूत आस्तियों के रूप में वर्णित) द्वारा प्रत्याभूत है।

उक्त खाता/खाते **07-05-2019** को हमारे लेखा में गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और हमने **22-05-2019** को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना जारी की थी जिसमें **22-05-2019** तक बकाया कुल राशि **रू. 7,56,553.00** का भुगतान उस पर आगे ब्याज और लागतों सहित, सूचना प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। तथापि, जबकि आप सब उक्त सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं, यह सार्वजनिक सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के अनुसरण में जारी की जा रही है।

अतएव, आप से एतद्द्वारा इस सूचना द्वारा अपनी पूर्ण देयताओं का निष्पादन इस सूचना के 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें विफल रहने पर, हम आगे और कोई सूचना दिए बिना, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन किसी भी या सभी अधिकारों के प्रयोग द्वारा नीचे अनुसूचीबद्ध की गई प्रत्याभूत आस्तियों के प्रवर्तन हेतु बाध्य होंगे।

आप आगे नोट करें कि अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, आप पर हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना, उपरोक्त आस्तियों का निपटान करने अथवा कोई व्यवहार करने अथवा उपरोक्त किसी भी आस्ति को बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से (व्यवसाय के साधारण मार्ग से अलग) हस्तांतरण करने हेतु रोक/निषेधाज्ञा लगी है। कृपया नोट करें कि यह प्रकाशन साउथ इंडियन बैंक लि. को ऋणप्राप्तकर्ता और गारंटर/सह-अनुबंधकर्ता के विरुद्ध कानून के अनुसार उपलब्ध ऐसे अधिकारों तथा उपायों को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करेगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

प्रत्याभूत आस्तियों की अनुसूची

दृष्टिबंधक वाहन के सभी अंश, मेक-महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड, मॉडल महिन्द्रा स्कॉर्पियो **S10 IH 2WD** (हार्ड टॉप), चेसिस नंबर **MA1TA2WGXG2H23536** इंजन नंबर **WGG4H14119** रजिस्ट्रेशन नंबर : **UP-32 HF 2288** रजिस्ट्रेशन तिथि : 23-09-2016 आरटीओ लखनऊ की **श्री ओम प्रकाश द्विवेदी** (प्रेषिती सं. 1) के नाम।

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी
(मुख्य प्रबंधक)

तिथि : 01.08.2019
स्थान : लखनऊ

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

TATA

पंजी. कार्यालयः 11वां तल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013

शाखा का पताः यूनिट नं. टी-2, 3रा तल, राजेन्द्र प्वाइन्ट, रघुनाथ नगर, एम.जी.रोड, आगरा, उ.प्र.-282002

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 (1) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. 9305946 एवं 9591436

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह-ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की श्रीमती पूनम (ऋणधारक) एवं श्री पंकज राजपूत (सह-ऋणधारक) से 28 अक्टू. 2017 को रु. 42,17,660/- (रुपये बयालिस लाख सत्तरह हजार छः सौ साठ मात्र) की कुल राशि की वसूली के लिये "जैसा है जहां है" एवं "जो भी वहां है" तथा "जो भी जैसा है" आधार पर 17 अगस्त, 2019 (नीलामी की तिथि) को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे वर्णित है।

जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की यह बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए की जाएगी तथा जैसा कि 28 अक्टू. 2017 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ रु. 42,17,660/- (रुपये बयालिस लाख सत्तरह हजार छः सौ साठ मात्र) की राशि बकाया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/ रोकने की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की यूनिट नं. टी-2, 3रा तल, राजेन्द्र प्वाइन्ट, रघुनाथ नगर एम.जी. रोड, आगरा, उ.प्र.-282002 (नीलामी का स्थान) में उक्त 17 अगस्त, 2019 (नीलामी की तिथि) को 2.00 बजे अप. में ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद निविदा टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहरबंद ई-नीलामी 16 अगस्त, 2019 के 5.00 बजे अप. तक प्राप्त की जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहां है शर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दावे, अनुसूची में वर्णित रूप में जिस समय तक वे सुनिश्चित हैं, के साथ की जाएगी।

प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	कब्जा का प्रकार	आरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि (रु.)
जिसमें उक्त फ्लैट अवस्थित है, उस बिल्डिंग के नीचे की भूमि में तथा बिल्डिंग/प्रॉजेक्ट में उपलब्ध कराई गई सामान्य क्षेत्रों तथा सुविधाओं में आनुपातिक, अविभाजित, इम्पार्टिबल शेयर तथा हित के साथ उक्त आवासीय परियोजना में "द फ्लोरैन्स" मौजा बाबरपुर एवं ककरेठा, तहसील एवं जिला आगरा की मैप में दर्शाई गई आवासीय फ्लैट नं. जी-902 (जी-ब्लॉक) 9वें तल पर जो नौ (9) मंजिला बिल्डिंग (ब्लॉक जी) में अवस्थित है, कवर्ड एरिया माप 108.40 वर्ग मी. जिसमें 3 बीएचके शामिल है। चौहद्दीः उत्तरः खुला आकाश, दक्षिणः फ्लैट नं. जी-901, पूर्वः प्रवेश एवं कॉमन कारिडोर, पश्चिमः खुला आकाश।	भौतिक	रु. 30,10,770/-	रु. 3,01,077/-

बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लि. को देय राशि का ऋणधारक पूरी तरह से भुगतान कर देते हैं तो यह बिक्री रोक दी जायेगी। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 17 अगस्त, 2019 (नीलामी की तिथि) को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net या Auctiontiger Mobile App (Android) के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।
3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- होगी।
4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ "टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लि." के पक्ष में देय आगरा में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जायेगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा व शर्ते वे कानूनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्स से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/ रोकने का अधिकार है।
7. सम्पत्ति का निरीक्षण 7 अगस्त, 2019 को (11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे सायं तक) किया जा सकता है।
8. क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
9. यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा। उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। जमा की गई राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लि. के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी की ईच्छा पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
10. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लि. को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणोंः शून्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं।
11. विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाताः मै. ई-प्रॉक्योरमेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Auctiontiger) नामः श्री के.राजू. एवं श्री राम शर्मा 079-612000595, ईमेल आईडीः wb@auctiontiger.net एवं ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
12. टिप्पणीः इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी, नाम, ईमेल आईडी तथा मोबाईल नं. से सम्पर्क कर सकते हैं।
13. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् https://bit.ly/2MphN3y में दी गई लिंक देखें।

हस्ता./-
श्री हिमांशु श्रीवास्तव, मो. नं. 9012002666
प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लि.

तिथिः 1.8.2019
स्थानः आगरा

ईस्टर संडे हमले की भारत की चेतावनी से नहीं था अवगत : सिरिसेना

कोलंबो, 31 जुलाई (भाषा)।

श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने दावा किया कि उन्हें ईस्टर संडे के दिन हुए आतंकी हमले से पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों से मिली चेतावनी की जानकारी नहीं थी। अगर उन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा इसकी जानकारी दी जाती तो इसे रोका जा सकता था। सिरिसेना ने पिछले महीने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 21 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के संबंध में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 21 दिन पहले ही संभावित हमले की जानकारी दी थी, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली। ईस्टर के मौके पर हुए इस हमले में 258 लोगों की मौत हो गई थी।

आतंकियों के जरिए बच्चों की भर्तियों से चिंतित हैं गुतारेस

संयुक्त राष्ट्र, 31 जुलाई (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर में हिज्बुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन व भारत के अन्य हिस्सों में नक्सली विद्रोही बच्चों की भर्तियां कर रहे हैं। महासचिव ने इस तरह की भर्तियों पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की कि वह दोषियों को न्याय के कठघरे में लाए।

मंगलवार को 'बच्चों और सशस्त्र संघर्ष' पर महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें कहा गया है कि सशस्त्र समूहों और सरकार के बीच होने वाली हिंसा से बच्चे अब भी प्रभावित हैं, ''खास तौर पर जम्मू-कश्मीर में और नक्सली विद्रोह के संदर्भ में। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के कदमों का स्वागत किया।

पाकिस्तान ने पीओके से 50 चीनियों को हटाया

इस्लामाबाद, 31 जुलाई (भाषा)।

- नीलम और झेलम नदियों के संगम पर पाकिस्तान के कब्जे वाले (पीओके) में बनाए जा रहे बांध पर काम कर रहे चीनी लोगों को मंगलवार देर रात हटाया गया
- पाकिस्तानी सेना ने चेतावनी दी कि वह भारतीय बलों द्वारा नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर किए जा रहे कथित संघर्षविराम उल्लंघन का जवाब देगी

पाकिस्तान के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ झड़पों के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक पनबिजली परियोजना पर काम कर रहे 50 से अधिक चीनी नागरिकों से स्थान खाली करावाया गया है।

डॉन अखबार ने स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अख्तर अयूब के हवाले से बताया कि अधिकारियों को नीलम और झेलम नदियों के संगम पर पाकिस्तान के कब्जे वाले (पीओके) में बनाए जा रहे बांध पर काम कर रहे चीनी लोगों को मंगलवार देर रात उस समय हटाना पड़ा जब गोलीबारी शुरू हो गई। स्थानीय अधिकारी राजा शाहिद महमूद ने बताया कि भारतीय सुरक्षाबलों ने पिछले 24 घंटे में अंधाधुंध गोलीबारी की जिसके बाद कर्मचारियों से स्थान खाली कराने का फैसला किया गया। गोलीबारी में एक महिला और एक बच्चे समेत तीन लोग मारे गए हैं तथा 31 अन्य घायल हुए हैं।

इस बीच, पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को चेतावनी दी कि वह भारतीय बलों द्वारा नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर किए जा रहे कथित संघर्षविराम उल्लंघन का जवाब देगी और आम नागरिकों की जिंदगियां बचाने के लिए कदम उठाएगी। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया, 'भारत की ओर से संघर्षविराम उल्लंघन की बढ़ती घटनाएं जम्मू-कश्मीर में नाकाम होने के कारण उसकी हताशा को दिखाती हैं।'

अफगानिस्तान में बम की चपेट में आई बस, 32 मरे

काबुल, 31 जुलाई (एपी)।

पश्चिमी अफगानिस्तान में बुधवार सुबह सड़क किनारे रखे बम की चपेट में बस आ गई। इसमें सवार कम से कम 32 यात्रियों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर महिलाएं व बच्चे हैं। इसमें 15 अन्य लोग घायल हो गए गै।

घटना स्थानीय समयानुसार सुबह करीब छह बजे हुई। मरने वालों में सभी लोग असैन्य नागरिक थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। यह बस अफगानिस्तान के पश्चिमी शहर हेरात और दक्षिणी शहर कंधार के बीच मुख्य राजमार्ग पर जा रही थी। किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन तालिबानी चरमपंथी संबंधित क्षेत्र में सक्रिय हैं। तालिबान अफगानिस्तान में लगातार ऐसे हमलों को अंजाम देता रहता है। हालांकि तालिबान 18 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के मकसद से अमेरिका के साथ कई शांति वार्ताओं में शामिल रहा है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताते हुए कहा था कि करीब 18 साल पुराने संघर्ष को समाप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयास के बावजूद अफगानिस्तान में भयानक स्तर तक पहुंच चुकी लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं और घायल हो रहे हैं।

छात्रों के लिए फिर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना लंदन

वैश्विक सूची में बंगलुरु (81), मुंबई (85), दिल्ली (113) और चेन्नई (115) का स्थान

लंदन, 31 जुलाई (भाषा)।

ब्रिटेन की राजधानी लंदन ने तोक्यो और मेलबर्न जैसे अंतरराष्ट्रीय शहरों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में छात्रों के लिए लगातार दूसरे साल सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब हासिल किया है। हालांकि भारत के शहरों में बंगलुरु का 81वां स्थान है। इसके बाद मुंबई (85), दिल्ली (113) और चेन्नई (115) का स्थान आता है। यह नई वैश्विक रैंकिंग बुधवार को जारी की गई।

वैश्विक शिक्षा कंसलटेंसी 'क्यूएस क्वाक्यूरेली सायमंडस' ने 'क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग' तैयार की है जिसमें हर शहर के प्रदर्शन को छह श्रेणियों में रेखांकित किया गया है। इसमें शीर्ष क्रम के विश्वविद्यालयों की संख्या, जीवन की गुणवत्ता, स्नातक के बाद नौकरी के उपलब्ध अवसर, वहनीयता और छात्रों की खुद की प्रतिक्रिया को शामिल किया है। इस सूची में 120 शहरों की रैंकिंग की गई है। पाकिस्तानी मूल के लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा, 'लंदन को फिर से दुनिया में सबसे अच्छे शहर का दर्जा दिया गया है। यह छात्रों के लिए अच्छी खबर है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि लंदन में विश्व के अग्रणी उच्च शिक्षा संस्थान हैं।' इस सूची में लंदन के बाद जापान का तोक्यो दूसरे और आस्ट्रेलिया का मेलबर्न तीसरे स्थान पर काबिज है। लंदन में पढ़ाई के लिए भारत से आने वाले छात्रों की संख्या में 2017-2018 में 20 फीसद की बढ़ोतरी देखी गई थी। साल 2016-2017 में छात्रों की संख्या 4545 थी जो 2017-2018 में बढ़ कर 5455 हो गई।

उत्तर कोरिया ने दागीं दो बैलिस्टिक मिसाइलें

सियोल, 31 जुलाई। दक्षिण कोरिया ने बताया कि उत्तर कोरिया ने बुधवार को दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। उत्तर कोरिया ने कुछ दिन पहले भी दो मिसाइलें दागी थीं और उसे अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया के नियोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास के खिलाफ चेतावनी करार दिया था। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि बुधवार तड़के पूर्वी तट पर वोनसान क्षेत्र से दो उपकरण दागे गए और जिन्होंने करीब 250 किलोमीटर की दूरी तय की। (एएफपी)

KRBL Limited

CIN: L01111DL1993PLC052845
पंजीकृत कार्यालय: 5190, लाहौरी गेट, दिल्ली – 110006
फोन: +91-11-23968328, फैक्स: +91-11-23968327
ईमेल: investor@krblindia.com; वेबसाइट: www.krblrice.com

केआरबीएल लिमिटेड के
सभी इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ सार्वजनिक सूचना

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) उचन्त खाते में इक्विटी शेयरों का अंतरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार)

यह सूचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 7 सितम्बर, 2016 से प्रभावी एवं समय-समय पर सुधार/यथासंशोधित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ('नियम') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है।

कथित प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 25.09.2012 को कंपनी द्वारा घोषित लाभांश जो कि सात वर्षों की अवधि से अदावाकृत/अप्रदत्त है, उसे 1 नवम्बर, 2019 को आईईपीएफ के पास जमा किया जाएगा। समस्त शेयर जिन पर पिछले निरंतर सात वर्षों से लाभांश अदावाकृत/अप्रदत्त है, उन्हें भी कथित नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतरित किया जाएगा।

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने पिछले निरंतर सात वर्षों से (अब तक) अपने लाभांश का भुगतान नहीं लिया है और जिनके शेयर आईईपीएफ उचन्त खाते में अंतरित किये जाने के पात्र हैं, उनकी सूची कंपनी की वेबसाइट www.krblrice.com पर प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा उन शेयरधारकों जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित किये जाने के पात्र हैं, उन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में उनके शेयरों को जमा करने से पूर्व उचित कार्रवाई करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पत्र भी भेजे जा चुके हैं।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर भौतिक प्रारूप में धारित हैं और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे शेयरों के जारी होने पर कंपनी डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों को डिमेट प्रारूप में बदलने और आईईपीएफ के पक्ष में अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो मूल शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत है, बाद में स्वत ही निरस्त हो जाएंगे और गैर-विनिमेय माने जाएंगे।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ के डिमेट खाते में शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को एक बार अंतरित किये गये लाभांश एवं शेयरों को वापिस लेने का दावा आईईपीएफ नियमों (आईईपीएफ वेबसाइट http://www.iepf.gov.in को देखें) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण के पास किया जा सकता है और इस संबंध में कंपनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

यदि कंपनी को 30 सितम्बर, 2019 तक संबंधित शेयरधारकों से कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है तो उसके बाद आपके अनुरोध को प्रक्रियागत करना कंपनी के लिए असुविधाजनक होगा और कंपनी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के पास डिमेटियरलाइज्ड एवं अंतरित कर देगी।

इस संबंध में किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए संबंधित शेयरधारक कंपनी को ई-मेल: investor@krblindia.com पर लिख सकते हैं या कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट – अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाइट्स, 3ई/7, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, फोन: 011-42541955/59 ई-मेल ramap@alankit.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते केआरबीएल लिमिटेड
हस्ता/-
रमन सप्रा
कंपनी सचिव

स्थान: नोएडा, उत्तर प्रदेश
दिनांक: 31 जुलाई 2019

अमृत कॉर्प लि.
CIN: L15141UP1940PLC000946
पंजी. कार्यालय: सीएम/28, प्रथम् तल, गगन एन्क्लेव, अमृत नगर, जीटी रोड, गाजियाबाद-201009 (उ.प्र.)
कॉर्पो. कार्यालय: अमृत कॉर्प सेन्टर, ए-95, सेक्टर-65, नोएडा-201309 (उ.प्र.)
Ph.: 0120-4506900; Fax: 0120-4506910
E-mail: info@amritcorp.com, Website: www.amritcorp.com

अंतरिम लाभांश, यदि घोषित होता है, के उद्देश्य से अभिलिखित तिथि की सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि 13 अगस्त, 2019 को आयोजित होने के लिये निर्धारित उसकी बैठक में बोर्ड द्वारा घोषित होता है, अंतरिम लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से ''अभिलिखित तिथि'' गुरुवार, 22 अगस्त, 2019 को होगी।
अंतरिम लाभांश का भुगतान ऐसे शेयरधारकों को किया जायेगा जिनके नाम अभिलिखित तिथि अर्थात् गुरुवार, 22 अगस्त, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे।

अमृत कॉर्प लि. के लिये
हस्ता./-
(पी.के. दास)
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तिथि: 31 जुलाई, 2019
स्थान: गाजियाबाद

प्रपत्र सं. आईएनसी-25 ए
सार्वजनिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरण के लिए
समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
मै. हिम केम लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय ग्राम खेड़ा पिन्जोर, नालागढ़, जिला सोलन, हि.प्र. 174101 आईएन में है, आवेदक के मामले में
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिये 29 जून, 2019 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिये इच्छुक है।
कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
हरीश चन्दर
DIN: 0072497

तिथि: 29 जुलाई, 2019
स्थान: नालागढ़

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली, 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली), 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना

ओ.ए. नं. 942/ 2017
देना बैंक - आवेदक
बनाम
श्री लक्ष्य भारद्वाज एवं अन्य - प्रतिवादीगण

सेवा में,
डी-3. मै. शुभकामना बिल्डटेक प्रा.लि., प्लॉट नं. जीएच-05/बी, सेक्टर- 137, एक्स्प्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश, साथ ही: ए-80, सेक्टर-2, नोएडा- 201301
जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 7.8.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 15 जून, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार,, डीआरटी-III, नई दिल्ली

माकपा नेता के बेटे की बलात्कार मामले में डीएनए जांच

मुंबई, 31 जुलाई (भाषा)

केरल के माकपा नेता का बेटा बलात्कार के एक मामले में डीएनए जांच के लिए खून देने ओशिवरा पुलिस थाने पहुंचा। माकपा के प्रदेश सचिव कोडियरी बालकृष्णन के बेटे बिनॉय ने बंबई उच्च न्यायालय के निर्देश पर ऐसा किया।

बंबई हाई कोर्ट ने उन्हें हाल ही में डीएनए जांच कराने के आदेश दिए थे जिसकी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की जाएगी। बिनॉय पर एक पूर्व बार डांसर से बलात्कार का आरोप है। महिला ने आरोप लगाया है कि बिनॉय ने शादी करने का वादा करके बलात्कार किया है। वहीं बिनॉय से उसे आठ साल का एक बेटा भी है। पुलिस ने बिनॉय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया है।

मोबाइल चोरी के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 31 जुलाई।

हरिद्वार में 18 साल के एक युवक की मोबाइल चोरी के शक में लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। जिस मोबाइल चोरी की शक में किशोर की पिटाई की गई वह मोबाइल उसी दिन एक खेत मे पड़ा मिला। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हरिलार जिले के पथरी थाना क्षेत्र के गाड़ोवाली गांव में मोबाइल चोरी की घटना को लेकर पड़ोस के ही युवकों ने एक किशोर की जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। युवकों ने इस पिटाई का वीडियो भी वायरल कर दिया। मारपीट की घटना करीब एक हफ्ता पहले की है। मोहसीन की बहन कहना है कि पड़ोस के युवक मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए उसे घर से जबरन अपने साथ पकड़कर ले गए और उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद उसकी हालत खराब थी और इलाज के बाद उसकी मौत हो गई

पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय केवल तहरीर लेकर रख ली। पुलिस ने ना तो मोहसीन का मेडिकल करवाया और ना ही तहरीर लेने के बाद कोई जांच की। हरिलार पुलिस ने बताया कि धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वायरल वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक की मृत्यु के साक्ष्यों से मेल नहीं खाती है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

पेट्रोल पंप को लूट रहे तीन बदमाशों को मौके पर ही दबोचा गया

भागलपुर, 31 जुलाई (जनसत्ता)।

थाना कजरैली के पुलिस गश्ती दल की मुस्तैदी की वजह से इलाके के गौराचौकी पेट्रोल पंप को लूट रहे तीन बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया। उनके पास से लूटी गई रकम के अलावा एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, दो मोबाइल, एक कैंची, एक बिना नंबर की अपाचे मोटर साइकिल पुलिस ने बरामद किया है। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि तीनों लुटेरे बीते रोज बंधन बैंक के प्रबंधक के साथ हुई लूट की घटना में भी शामिल थे। इसके अलावा 22 मामलों के आरोपी सुरेंद्र यादव को भी पुलिस ने दबोचा है।

एसएसपी ने बताया कि पेट्रोल पंप लूट के सिलसिले में एक एफआइआर लिखी गई है। दूसरी प्राथमिकी हथियार बरामदगी की दर्ज की है, जिसमें गिरफ्तार सुनील कुमार, अरुण कुमार और मो. बाबर को नामजद बनाया है। ये तीनों मंगलवार रात इलाके में राहजनी की नीयत से जमा हुए थे। मगर ऐन वक्त पर इरादा बदल पेट्रोल पंप पर जा धमके। पंप के बाहर सो रहे एक कर्मचारी को अपने कब्जे में कर लिया और उसके बैग में रखे कुछ रुपए छीन लिए। उसके बाद तमंचा के बल पर पेट्रोल पंप का गेट खुलवाने की कोशिश करने लगे।

इत्तफाक से वहां पहले से तैनात चौकीदार ने कजरैली थाना को वाकए की जानकारी दी। थानेदार ने गश्ती दल को पेट्रोल पंप पर जाने का निर्देश दिया। गश्ती दल ने बिना देरी किए मौके पर पहुंच तीनों लुटेरों को दबोच लिया। गिरफ्तार तीनों आरोपी थाना हबीबपुर इलाके के वाशिंदे हैं। इन पर पहले से अपराध के मामले दर्ज हैं।

एसएसपी ने बताया कि अलीगंज में 24 जुलाई को बंधन बैंक के डीएससी प्रबंधक कृष्णा कुमार के साथ लूट के वाकए में भी ये तीनों शरीक थे। पूछताछ में इन लोगों ने अपना अपराध कबूला है। इस बिंदु पर भी इनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग में सुरक्षा के 19 मानकों के बारे में पुलिस महानिदेशक ने बुधवार को दिन में समीक्षा की है। जो रूटीन बात है। हबीबपुर थाना के दाऊदबाट से पुलिस ने मंगलवार को सुरेंद्र यादव उर्फ सोनू और सालेपुर के सुनील शेखर मंडल को बड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर बुधवार को जेल चालान कर दिया। इन दोनों के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया था।

उत्तराखंड में रेकार्ड तीन करोड़ कांवड़िए जल लेने पहुंचे

देहरादून, 31 जुलाई (भाषा)

उत्तराखंड के हरिद्वार सहित अन्य हिस्सों में पिछले एक पखवाड़े से चल रहा कांवड़ मेला संपन्न हो गया। इस बार यहां रिकार्ड तीन करोड़ से ज्यादा कांवड़िए गंगाजल लेने पहुंचे। पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) अशोक कुमार ने इस बात की जानकारी दी।

कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश के अलावा नीलकंठ महादेव मंदिर और उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री तक पहुंच गए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल आदि राज्यों से हर साल कांवड़िए यहां आते हैं। ज्यादातर कांवड़िए पैदल रास्ता तय करते हैं।

कांवड़ियों की संख्या में साल दर साल हो रही बढ़ोत्तरी से उत्साहित राज्य सरकार ने हरिद्वार में हेलीकॉप्टरों से कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा करवाई। पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने पुलिसकर्मियों की अच्छे कार्य के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों ने प्रशंसनीय कार्य किया है।

New Delhi Television Limited
CIN: L92111DL1988PLC033099
Regd. Off.: 402, Archana, B - Block Road, Archana, Greater Kailash – I, New Delhi-110048
Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 Fax: 2923 1740
E-mail:corporate@ndtv.com; Website:www.ndtv.com

NDTV

Statement of Standalone and Consolidated unaudited financial results for the Quarter Ended 30 June 2019

(INR in Lakhs except per share data)

Particulars	Standalone			Consolidated		
	A	B	C	D	E	F
	3 months ended (30/06/2019)	Previous year ended (31/03/2019)	Corresponding 3 months ended (30/06/2018) in the previous year	3 months ended (30/06/2019)	Previous year ended (31/03/2019)	Corresponding 3 months ended (30/06/2018) in the previous year
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
Total income from operations (net)	6,981	25,154	6,823	10,967	39,850	9,943
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	899	1,732	60	1,846	2,342	(802)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and extraordinary items)	899	1,332	60	1,846	1,942	(802)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and extraordinary items)	899	1,332	60	1,525	1,023	(1,009)
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period	899	1,164	87	1,525	839	(985)
Equity Share Capital	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	21,026	-	-	3,997	-
Earning/(Loss) Per Share (of Rs 4/- each) (for continuing and discontinuing operations)						
Basic:	1.39	2.07	0.09	2.37	1.59	(1.56)
Diluted:	1.39	2.07	0.09	2.37	1.59	(1.56)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com and www.bseindia.com), and on the Company's website, www.ndtv.com.

Place : New Delhi
Date : 30 July, 2019

For New Delhi Television Limited
Prannoy Roy
Executive Co-Chairperson

समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग लोकसभा में उठी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

लोकसभा में बुधवार को भाजपा के एक सदस्य ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग उठाई, वहीं पार्टी के एक अन्य सदस्य ने पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के विषय को उठाते हुए सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग की। शून्यकाल में भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि संविधान के दिशानिर्देशक सिद्धांतों के तहत देश में समान नागरिक संहिता (यूनीफॉर्म सिविल कोड) होनी चाहिए। उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता के लिए विधेयक सदन में लाया जाए। जिससे सब नागरिक भारतीय कहलाएं, हिंदू, मुसलिम या ईसाई नहीं।

पश्चिम बंगाल से भाजपा के सदस्य सुकांत मजूमदार ने राज्य में रोहिंग्या समुदाय के लोगों की अवैध घुसपैठ का विषय उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

भाजपा के दिलीप सैकिया ने देश में जनसंख्या वृद्धि को गंभीर मामला बताते हुए इस पर नियंत्रण के लिए जनसंख्या नीति बनाने की मांग की। उन्होंने असम समेत देशभर में रहने वाले बांग्लाभाषी हिंदुओं के लिए कदम उठाने की मांग भी केंद्र से की।

विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायोग को कड़ा पत्र जारी किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में नागरिक इलाकों में हुए नुकसान को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को कड़ा पत्र जारी किया है। अपने प्रतिवाद पत्र में भारत ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से बगैर उकसावे के गोलाबारी में निर्दोष भारतीय नागरिकों के जान-माल का नुकसान हो रहा है। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। दूसरी तरफ, पाकिस्तान ने भारत पर इसी तरह का आरोप लगाते हुए बुधवार को इस्लामाबाद स्थित उप उच्चायुक्त को तलब किया और नियंत्रण रेखा के पास भारतीय बलों द्वारा कथित रूप से 'बिना उकसावे के संघर्षविराम उल्लंघन किए जाने' की निंदा की।

भारत ने अपने प्रतिवाद पत्र में 10 दिन के नवजात और उसकी मां के मारे जाने की घटना का जिक्र किया है। वह बच्चा, उसकी मां और अन्य एक नागरिक 29 जुलाई को पाकिस्तानी मोर्टार गोले से घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग को लिखे पत्र में कहा है कि पाकिस्तान की कारगुजारियां मानवीय मूल्यों और सैन्य प्रतिमानों के खिलाफ हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी चाहें तो भारतीय इलाके में नागरिकों के जान-माल के नुकसान की जांच कर सकते हैं। वे तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगाएं।

विदेश मंत्रालय ने 194 फर्जी ट्रेवल एजंटों की सूची जारी की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

विदेश भेजने का सब्जबाग दिखाकर ठगी करने वाले ट्रेवल एजंटों पर विदेश मंत्रालय ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विदेश भेजने के गोरखधंधे के मामलों की जांच के आधार पर विदेश मंत्रालय ने फर्जी ट्रेवल एजंटों की सूची तैयार की है। इस सूची को आधिकारिक वेबसाइट 'एमीग्रेट.जीओवी.इन' पर जारी की है। विदेश मंत्रालय को सर्वाधिक फर्जी एजंट महाराष्ट्र में मिले हैं।

विदेश मंत्रालय ने कुल 194 फर्जी ट्रेवल एजंटों की पहचान की है। इसमें सर्वाधिक 86 फर्जी ट्रेवल एजंट महाराष्ट्र में पाए गए हैं। इसके अलावा इस सूची में पंजाब के 76 ट्रेवल एजंट फर्जी पाए गए हैं। हरियाणा में 13 ऐसे फर्जी एजंट और हिमाचल में एक फर्जी एजंट का जिक्र इस लिस्ट में किया गया है। चंडीगढ़ में 22 फर्जी ट्रेवल एजंट पाए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 85 फर्जी ट्रेवल एजंट हैं। सात ऐसे ट्रेवल एजंट जालंधर के हैं।

विदेश भेजने का सब्जबाग दिखाकर ठगी करने वालों पर नकेल

जिला प्रशासनों को इस सूची के बारे में इत्तला दे दी गई है। इसकी सूचना प्रशासन की तरफ से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली गई है। वेबसाइट के डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में इन ट्रेवल एजंटों की फर्म व मालिक के बारे में फोटो व पते समेत जानकारी दी गई है। बीते कुछ सालों में विदेश भेजने के नाम पर ठगी के कई मामले सामने आए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय ट्रेवल एजंट विदेश में रोजगार के सपने दिखाकर युवकों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे लोगों से लाखों रुपए वसूल कर ये ट्रेवल एजंट उन्हें फर्जी पासपोर्ट और वीजा थमा देते थे। एअरपोर्ट पहुंचने पर ट्रेवल एजंट की ठगी का शिकार हुआ शख्स इमीग्रेशन जांच में पकड़ा जाता था। ट्रेवल एजंटों के इस गोरखधंधे के चलते ठगी का शिकार हुआ शख्स दोहरी मार झेलता है। पहली मार उसे ट्रेवल एजंट को दिए गए लाखों रुपए की लगती है। वहीं धोखाधड़ी के आरोप में जेल जाकर वह दूसरी मार झेलता है। इस तरह के बढ़ते मामलों को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने उन ट्रेवल एजंटों की पहचान शुरू की है, जो फर्जी तरह से अपनी एजंसी चलाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं।

राजमार्ग पर कार के पेड़ से टकराने से सात लोगों की मौत

पुणे, 31 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र के मुंबई-बंगलुरु राजमार्ग पर सतारा के निकट सड़क किनारे एक पेड़ से एसयूवी के टकरा जाने से उसमें सवार सात लोगों की बुधवार को मौत हो गई और एक घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

प्रारंभिक सूचना के मुताबिक, ये लोग कर्नाटक के धारवाड़ के रहने वाले थे और हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे। पुणे से करीब 115 किलोमीटर दूर सतारा जिले में बोरगांव थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार दोपहर 12.45 बजे सतारा के निकट कशिल गांव के करीब दुर्घटना हुई। मारे गए सातों लोग एक ही परिवार के लग रहे हैं। हालांकि, हम उनकी शिनाख्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि एसयूवी चालक के वाहन से अपना नियंत्रण खो देने के कारण दुर्घटना हुई और गाड़ी सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई।

बलात्कार पीड़िता आत्मदाह मामले में एसएचओ निलंबित

जयपुर, 31 जुलाई (भाषा)

बलात्कार पीड़िता द्वारा पुलिस थाने में आत्मदाह किए जाने के मामले में वैशाली नगर थाने के प्रभारी पुलिस निरीक्षक संजय गोदारा को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस उपायुक्त विकास शर्मा ने बुधवार को बताया कि वैशाली नगर पुलिस थाने के एसएचओ गोदारा को मंगलवार रात निलंबित कर दिया गया। रविवार को वैशाली नगर थाने में महिला ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली थी। राज्य सरकार ने मामले की जांच सीआइडी (सीबी) से करवाने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि महिला ने अपने रिश्तेदार पर बलात्कार का आरोप लगाया था। वह आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रही थी।

राय जम्मू-कश्मीर विस के चुनाव प्रभारी नियुक्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

भाजपा ने बुधवार को पार्टी उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस बारे में घोषणा करते हुए बताया कि पार्टी प्रत्येक बूथ पर सदस्य बनाने के लिए कार्य करेगी। जम्मू-कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पार्टी का पारंपरिक रूप से अधिक प्रभाव नहीं रहा है। खन्ना राज्य में पार्टी के संगठनात्मक मामलों के प्रभारी भी हैं।

यह नियुक्ति पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के कोर समूह की एक बैठक के एक दिन बाद हुई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अमरनाथ यात्रा समाप्त होने के बाद करने की जा सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने संकेत दिया कि चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जा सकते हैं।

SBI

भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा–II,
एसबीआई हाउस, चौथा तल, 18/4, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005, ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत भारतीय स्टेट बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता / गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।**

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **भारतीय स्टेट बैंक,** के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसम्पत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं	खाते / कर्जदार का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (धारा 13/2 नोटिस में उल्लिखित राशि)
1	1) मैसर्स फैशन साड़ी, 370, किशनपुरा बागपत रोड, मेरठ (कर्जदार) 2) श्री गौरव गोयल पुत्र श्री अजय गोयल प्रोपराइटर – मैसर्स फैशन साड़ी 3) श्री अजय गोयल पुत्र स्व. किरण लाल गोयल (गारंटर) 4) श्री वरुण गोयल पुत्र श्री अजय गोयल (गारंटर)	सम्पत्ति एमपीएल नं. 199/2, सम्पत्ति एमपीएल नं. 199 का हिस्सा (नगर निगम रसीद नं. 2014388147 दिनांकित 17.10.2014 के अनुसार) क्षेत्रफल 175.28 वर्ग मी. जोकि मोहल्ला मलियाना रोड, गन्ना सोसाएटी ऑफिस के पास, मेरठ में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अजय गोयल पुत्र स्व. किरण लाल गोयल और श्री वरुण गोयल पुत्र श्री अजय गोयल के नाम पर है। चौहद्दी में – पूरब में – श्री मोहर सिंह का मकान, पश्चिम में – गली, उत्तर में – गौरव गोयल, राम गोपाल और विकास सहगल की सम्पत्ति, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति	12-12-2018 / 26-07-2019	Rs. 41,40,146.00 दिनांक 12.12.2018 तक भविष्य का ब्याज, और आकस्मिक प्रभार इत्यादि
2	1) मैसर्स संगम मार्ट, 370, किशनपुरा बागपत रोड, मेरठ (उधारकर्ता) 2) श्रीमती शशि गोयल पत्नी श्री अजय गोयल, प्रोपराइटर – मैसर्स संगम मार्ट 3) श्री अजय गोयल पुत्र स्व. किरण लाल गोयल (गारंटर) 4) श्री वरुण गोयल पुत्र श्री अजय गोयल (गारंटर)	सम्पत्ति एमपीएल नं. 199/2, सम्पत्ति एमपीएल नं. 199 का हिस्सा (नगर निगम रसीद नं. 2014388147 दिनांकित 17.10.2014 के अनुसार) क्षेत्रफल 175.28 वर्ग मी. जोकि मोहल्ला मलियाना रोड, गन्ना सोसाएटी ऑफिस के पास, मेरठ में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अजय गोयल पुत्र स्व. किरण लाल गोयल और श्री वरुण गोयल पुत्र श्री अजय गोयल के नाम पर है। चौहद्दी में – पूरब में – श्री मोहर सिंह का मकान, पश्चिम में – गली, उत्तर में – गौरव गोयल, राम गोपाल और विकास सहगल की सम्पत्ति, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति	12-12-2018 / 26-07-2019	Rs. 20,89,832/- दिनांक 12.12.2018 तक भविष्य का ब्याज, और आकस्मिक प्रभार इत्यादि

दिनांक : 26–07–2019, स्थान : नई दिल्ली — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

केनरा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Canara Bank (A Govt. of India Undertaking)
शाखा: हस्सनपुर रोड, होडल, जिला पलवल

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 15.02.2019 जारी कर ऋणधारक(कों) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 20 मार्च, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज के लिए केनरा बैंक, शाखा हस्सनपुर रोड, होडल, जिला पलवल के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/गारन्टर का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि
1. श्रीमती वीणा मंगला प्रॉप्राइटरः मै. शिव ट्रेडिंग कम्पनी श्री जीतेन्दर कुमार	म्यूनिसिपल कमिटी होडल तह.-होडल, पलवल, हरियाणा की सीमाओं के भीतर पट्टी थिहाल होडल में स्थित खेवत/खाता-57/57, रेक्ट. नं. 206, किल्ला नं.-2/2 (3-5), 3/1(0-15) माप 04 कनाल 0 मरला जो 0 कनाल 10 मरला अर्थात् 300 वर्ग यार्ड्स का 10/80वाँ शेयर होता है, में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहद्दी इस प्रकार है:** उत्तरः राजरानी की सम्पत्ति तथा रास्ता, दक्षिणः बद्दूराम की दुकान, पूर्वः मानस शिक्षा सदन, पश्चिमः गोपाल प्रसाद की सम्पत्ति	रु.32,38,674.00 (रुपये बत्तीस लाख अड़तीस हजार छः सौ चौहत्तर मात्र) + ब्याज तथा अन्य चार्जेज।	15.2.2019	26.7.2019
2. श्री वेद प्रकाश गुप्ता प्रॉप्राइटर मै. श्यामलाल वेदप्रकाश	शॉप नं.-31, न्यू अनाज मंडी, होडल, तह-होडल, पलवल, हरियाणा में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहद्दी इस प्रकार है:** उत्तरः लाला राम प्यारे लाल का फर्म, दक्षिणः शोभा राम साही राम का फर्म, पूर्वः रास्ता, पश्चिमः एमसी होडल का सर्विस रोड	रु. 67,96,480.00 (रुपये सड़सठ लाख छियानवे हजार चार सौ अस्सी मात्र) + ब्याज तथा अन्य चार्जेज।	15.2.2019	26.7.2019

तिथि: 26.07.2019 स्थान: होडल — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

---

pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

गाजियाबाद शाखा: एसजी बीटा टॉवर, प्लॉट नंबर 10, सेक्टर –3, वसुंधरा, गाजियाबाद (यूपी) –201011, फोन नंबर: 0120–2699115
नोएडा शाखा: ग्राउंड फ्लोर, डी –2, सेक्टर – 3, नोएडा (यू.पी.) – 201301

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2), अद्यतन संशोधित, के अधीन सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएचएफएल" के रूप में वर्णित) ने एसजी बीटा टॉवर, प्लॉट नंबर 10, सेक्टर –3, वसुंधरा, गाजियाबाद (यूपी) –201011 स्थित हमारी गाजियाबाद शाखा और हमारी नोएडा शाखा, ग्राउंड फ्लोर, डी –2, सेक्टर – 3, नोएडा (यू.पी.) – 201301 कार्यालय द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के अध्याय III की धारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। उक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से निम्नवर्णित आप सब कर्जदारों / सह–कर्जदारों को जारी की गई थी, क्योंकि आपका खाता, किश्तों / ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक / राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसकी विषयवस्तु आपके द्वारा मूलधन की किश्तों, ब्याज इत्यादि के भुगतान में की गई चूकों के साथ संबंधित है। बकाया राशि नीचे दी गई है। आगे, हमें कारणों के आधार पर विश्वास है कि आप मांग सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसीलिए यह मांग सूचना प्रकाशित की जा रही है, जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अपेक्षित भी है। एतद्द्वारा आपसे उक्त राशि, अद्यतन ब्याज तथा अन्य राशियों सहित, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती हैं, इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक या अधिक या सभी प्रत्याभूत आस्तियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिसमें कर्जदारों तथा गारंटरों की प्रत्याभूत आस्तियों का कब्जा प्राप्त किया जाना शामिल है। आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत अधीन आप सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही कर सकते हैं। कृपया यह भी नोट करें कि यदि सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं किया जाता है, तो आप उसके पश्चात प्रत्याभूत आस्ति(यों) छुड़ाने के हकदार नहीं होंगे।

आगे, आप के ऊपर, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों का बिक्री, पट्टा या किसी अन्य प्रकार से अंतरण करने के संबंध में, रोक लगी है।

क्र. सं.	ऋण खाता सं. एवं शाखा	कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर का नाम तथा पता	बंधक रखी गई सम्पत्तियां	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना की राशि	मांग की गई राशि की तिथि
1.	306660002712 बी.ओ. गाजियाबाद	कर्जदार : श्री अजय कालरा सह–कर्जदार : श्रीमती अनु कालरा फ्लैट नंबर 703, टॉवर –6, फ्रेस्को, सेक्टर 50, गुड़गांव, हरियाणा – 122018, भारत गारंटर : ज्ञात नहीं	GDI0123601, गार्डन इस्टेस, विश टाउन, जेपी ग्रीन नोएडा (यूपी) 201307	19.06.2019	19–06–2019 तक रू 35,98,242.70/–	19.06.2019
2.	306660002553 बी.ओ. गाजियाबाद	कर्जदार : श्री जय मल सह–कर्जदार : श्रीमती संतोष कुमारी सी –501, डिजाइन अर्च होम्स, साइट–सी सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा–201308 यूपी गारंटर : ज्ञात नहीं	फ्लैट नंबर टी–3–402 ब्लॉक–सी यूनीवेरा टॉवर, प्लॉट नंबर–जीएच –16एफ, सेक्टर –1 ग्रेटर नोएडा (यूपी) 201310	19.06.2019	19–06–2019 तक रू 25,45,428.68/–	19.06.2019
3.	HOU/GHA/ 1018/594204 बी.ओ. गाजियाबाद	कर्जदार : श्री अनूप कुमार सह–कर्जदार : श्रीमती चेतना भारद्वाज प्लॉट नंबर 182, हाउस नंबर जी –2, शक्ति खंड– II, इंद्रापुरम गाजियाबाद 201010 (यूपी) गारंटर : ज्ञात नहीं	फ्लैट नंबर 2बी / 605, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर –2बी, वसुंधरा गाजियाबाद (यूपी) 201009	19.06.2019	19–06–2019 तक रू 30,03,315.86/–	19.06.2019
4.	0016666000 1240 बी.ओ. सेक्टर –3, नोएडा	कर्जदार : हरि चंद महाना सह–कर्जदार : कमला हाउस नंबर– 244, सेक्टर –21 बी, फरीदाबाद, हरियाणा –121001 गारंटर : रामवीर भारद्वाज 83, ग्राम भूधानिया, बीएल 1, टीएचएल – 122001	मकान नंबर– 244, सेक्टर –21बी फरीदाबाद, हरियाणा –121001	20-07-2019	20–07–2019 तक रू 4,05,837.05/–	20-07-2019
5.	0016666000 2040 बी.ओ. सेक्टर –3, नोएडा	कर्जदार : श्री पवन वर्मा सह–कर्जदार : श्रीमती रूबी यूजी– 2, डी –55, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201012 गारंटर : इमरान अहमद फ्लैट नंबर– 19/316, दूसरी मंजिल सेक्टर –19, वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201012	प्लॉट नंबर– ई – 302, अंसल नीलपदम –1, प्लॉट नंबर – 4, सेक्टर –5, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201010	20-07-2019	20–07–2019 तक रू 19,46,539.87/–	20-07-2019
6.	0016666000 3175 बी.ओ. सेक्टर –3, नोएडा	कर्जदार : स्वर्गीय श्री विजय कुमार सैंडिल्या (अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से) निशा वशिष्ठा सह–कर्जदार : निशा वशिष्ठा, 31, लोकनायक अपार्टमेंट, सेक्टर –9, रोहिणी, दिल्ली –110085 गारंटर : ज्ञात नहीं	फ्लैट नं – पीएमबी 272 टॉवर–बी डीएलएफ प्रिमोरा, सेक्टर –82ए गुड़गांव हरियाणा –122004	24-07-2019	24–07–2019 तक रू 90,79,658.29/–	24-07-2019
7.	0016666000 3271, बी.ओ. सेक्टर –3, नोएडा	कर्जदार : आशीष सुमन प्लॉट नंबर –309, फ्लैट नंबर –302 ज्ञानखंड –1, इंद्रापुरम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201010 गारंटर : श्री सुशील कुमार प्लॉट नं. 309, फ्लैट नंबर –302, ज्ञानखंड –1, इंद्रापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201010	फ्लैट– ए1–07–0706, यूनिटेक यूनिहोम्स –3, सेक्टर–113, नोएडा, उत्तर प्रदेश –201301	20-07-2019	20–07–2019 तक रू 24,87,843.59/–	20-07-2019

स्थान : नई दिल्ली, दिनांकित : 30–07–2019 — प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली–110001

आर.सी. नं. 776/2018 तिथिः 20.6.2019

बिक्री उद्घोषणा सूचना
बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा
भारतीय स्टेट बैंक बनाम मै. नीना गुप्ता एवं अन्य

सीडी नं. 1. सुश्री नीना गुप्ता, पत्नी रमेश चन्द गुप्ता, मै. बालाजी एण्टरप्राईजेज के प्रॉप्रेटिक्स,
निवासीः डब्ल्यूजेड-515, डी-3, नांगल राया गांव, नई दिल्ली-110046, व्यवसाय का पताः एच. नं. 82/83/84, ब्लॉक-ई, चाणक्य प्लेस, उत्तम नगर, दिल्ली-110059
सीडी नं. 2. रमेश चन्द गुप्ता, पुत्र भीकू राम, मै. बालाजी एण्टरप्राईजेज के प्रॉप्राइटर
निवासीः डब्ल्यूजेड-515, डी-3, नांगल राया गांव, नई दिल्ली-110046, व्यवसाय का पताः एच. नं. 82/83/84, ब्लॉक-ई, चाणक्य प्लेस, उत्तम नगर, दिल्ली-110059

जैसा कि आप प्रमाणपत्र के अनुसार ओ.ए. दाखिल करने की तिथि अर्थात् 22.3.2016 से 12% प्रति वर्ष साधारण दर पर देय ब्याज, लागत के साथ पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली द्वारा 2016 के 332/डीआरटी-III में तैयार की गई रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार रु. 38,00,432/- (रुपए अड़तीस लाख चार सौ बत्तीस मात्र) की राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं जो आप पर बकाया हो गया है।

तथा जैसा कि अधोहस्तक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 5.9.2019 को 3.00 बजे अप. से 4 बजे के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली ''ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली'' के माध्यम से मै. ई-प्राक्योर्मेंट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रॉक्योर), ए-201/208, वाल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कालेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत) टेली.: +91 07940230808- 816/817/818/821/824/831/832, फैक्सः +91-7940016876 द्वारा वेबसाईट http:// www.drt.auctiontiger.net के माध्यम से की जायेगी। किसी प्रकार की पूछताछ के लिये सम्पर्क करें: श्री कुशल कोठारी, फोन नं. 8980690773, ई-मेल आईडीः Kushal@auctiontiger.net श्री रिकिन, मो. नं. 09978591888, ई-मेलः rikin@auctiontiger.net अधिक विवरणों के लिये सम्पर्क करें: श्री शैलेश रंजन, प्रमुख प्रबंधक, मोबाईल नं. 8800447600, श्री दिनेश कालरा, उप प्रबंधक, मोबाईल नं. 8826922884

यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. सम्पत्तियों, आरक्षित मूल्य तथा ईएमडी का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	सम्पत्ति सं. 51 (माप 90 वर्ग मी.), पॉकेट 5, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110085 में फ्रीहोल्ड निर्मित प्रथम तल	रु. 73,50,000/- (रुपए तिहत्तर लाख पचास हजार मात्र) ईएमडीः 7, 35,000/- (रुपए सात लाख पैंतीस हजार मात्र)

सम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जायेगी।

2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकते हैं।
4. ईएमडी का भुगतान 3.9.2019 तक **रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III दिल्ली** के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा मुहरबंद लिफाफे में किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/ अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, **रिकवरी अधिकारी I, डीआरटी-III, नई दिल्ली** के पास जमा की जायेगी।
6. सफल बोलीदाता को अगले **बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक** ऊपर पैरा में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद **अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा।**
7. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से **रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली** के पक्ष में डीडी के माध्यम से **रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली** के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
8. **संभावित बोलीदाता 30.8.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 4 बजे अप. तक सम्पत्ति** का निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण के लिये संभावित बोलीदाता उपरोक्त प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
10. संपत्ति की बिक्री **'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है'** आधार पर की जा रही है।
11. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।
12. इस समय अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में सम्पत्ति पर राजस्व/अधिभारों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। लेकिन, संभावित बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि ईएमडी जमा करने से पूर्व अपने स्वयं के हित में बिजली/पानी/मकान कर के बिलों के बकाये अथवा किसी अन्य अधिभारों के विषय में अपना स्वयं का ड्यू डिलिजेन्स कर लें।
13. असफल बोलीदाता/ओं को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिये आरसी की सुनवाई की आगामी निर्धारित तिथि या उससे पूर्व डीआरटी-III के रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें जो तदनुसार, आरसी की सुनवाई की निर्धारित/परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जायेगी।
14. सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि यहां दिये गये विवरणों की प्रमाणिकता की जांच कर लें।

(मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर 20 जून, 2019 को दी गई)

(अनिल कुमार यादव)
रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली

एलआईसी हाउसिंग फाइनांस लि.
बैक ऑफिसः लक्ष्मी इंस्युरैन्स बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002

कब्जा सूचना (चल/अचल सम्पत्तियों के लिए)
[(परिशिष्ट-IV) देखें नियम 8 (1)]

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्या 3) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एलआईसी हाउसिंग फाइनांस लि. ने प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि तालिका में नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा उस पर ब्याज के लिए **एलआईसी हाउसिंग फाइनांस लि.** के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार हैः

चल/अचल सम्पत्ति का विवरण

क्रम सं.	ऋणधारकों एवं गारन्टरों का नाम	गिरवी रखी गई/चार्ज्ड सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि	13 (2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	**ऋण खाता सं.** 310300004247 **ऋणधारक: श्री कृष्ण कन्हैया लाल श्रीवास्तव**	फ्लैट नं. जीएफ-4, भूतल, एलआईजी टाइप, बैक साइड, प्लॉट नं. एनकेपी-25, न्याय खंड-I, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	23.9.2017	26.7.2019	रु. 21,44,937.26/- 23.09.2017 को तथा उसके साथ उस पर आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज
2.	**ऋण खाता सं.** 310300002092 **ऋणधारक: सुश्री प्रीति**	फ्लैट नं. जीएफ-3, भूतल, एलआईजी टाइप, बैक साइड, प्लॉट नं. एनकेपी-74, न्याय खंड-I, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	23.9.2017	26.7.2019	रु. 15,78,589.92/- 23.09.2017 को तथा उसके साथ उस पर आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज
3.	**ऋण खाता सं.** 310300004019 **ऋणधारक: श्री अमित कुमार**	फ्लैट नं. जीएफ-4, भूतल, प्लॉट नं. 57, न्यायखंड-1, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010	23.5.2019	26.7.2018	रु. 28,18,453.48/- 23.05.2019 को तथा उसके साथ उस पर आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज
4.	**ऋण खाता सं.** 310300005658 **ऋणधारक: श्री नीतेन्द्र गुप्ता**	सम्पूर्ण भूतल, प्लॉट नं. डी-917, इन्द्र प्रस्थ आवास योजना, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102	23.5.2019	26.7.2018	रु. 17,82,492.84/- 23.09.2019 को तथा उसके साथ उस पर आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज
5.	**ऋण खाता सं.** 310300004737 **ऋणधारक: श्री नितिन मित्तल/ सुश्री ज्योति रानी सिंघल**	फ्लैट नं. जी-4, भू तल, प्लॉट नं. बी-72, शालीमार गार्डन एक्स्टें.-2, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201005	23.5.2019	26.7.2018	रु. 3032859.75 23.05.2019 को तथा उसके साथ उस पर आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज
6.	**ऋण खाता सं.** 310300004946 **ऋणधारक: सुश्री नीतू सिंह**	फ्लैट नं. 62 बी, जनता फ्लैट्स, दूसरा तल, सेक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201010	23.5.2019	26.7.2018	रु. 1562423.36 23.05.2019 को तथा उसके साथ उस पर आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज
7.	**ऋण खाता सं.** 310300004691 **ऋणधारक: श्री सुशील चौहन/ सुश्री नेहा चौहान**	फ्लैट नं. एस-1, 2रा तल, प्लॉट नं. 536, शालीमार गार्डन एक्स्टें.-1, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201005	23.5.2019	26.7.2018	रु. 22,53,438.84 23.05.2019 को तथा उसके साथ उस पर आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज
8.	**ऋण खाता सं.** 310300002071 **ऋणधारक: श्री अनिल कुमार शर्मा**	सम्पूर्ण प्रथम तल, प्लॉट नं. 1018, शक्ति खंड-4, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201010	23.5.2019	26.7.2018	रु. 20,66,100.22 23.05.2019 को तथा उसके साथ उस पर आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज
9.	**ऋण खाता सं.** 310300003539 **ऋणधारक: सुश्री शशि प्रभा मिश्रा/ श्री धीरज कुमार**	फ्लैट नं. एसएफ-2, दूसरा तल, प्लॉट नं. 23/33, केशव कुंज, गोविन्द पुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201005	23.5.2019	26.7.2018	रु. 18,40,067.45 23.05.2019 को तथा उसके साथ उस पर आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की उप-धारा 13 के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

स्थानः गाजियाबाद
तिथिः 26.07.2019

प्राधिकृत अधिकारी
एलआईसी हाउसिंग फाइनांस लि.

इंग्लैंड की निगाहें दोहरी सफलता, आस्ट्रेलिया की इतिहास रचने पर

बर्मिंघम, 31 जुलाई (एएफपी)।

विश्व कप में जीत के बाद इंग्लैंड गुरुवार से यहां आस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही एशेज टैस्ट श्रृंखला भी जीतकर घरेलू सत्र का अंत दोहरी सफलता के साथ करना चाहेगा।

विश्व कप अगर 50 ओवर के प्रारूप की शीर्ष प्रतियोगिता है तो टैस्ट क्रिकेट में आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए एशेज से बढ़कर कुछ नहीं है।पिछले कई वर्षों में यह इंग्लैंड के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण घरेलू सत्र है और उसने इसकी शुरुआत पहली बार विश्व कप जीतकर की। विश्व कप जीत से इंग्लैंड में क्रिकेट के समर्थकों की संख्या में इजाफा हुआ है और एशेज में जीत इन नए समर्थकों को जोड़े रखने में महत्वपूर्ण होगी।

दूसरी तरफ टिम पेन के नेतृत्व में आस्ट्रेलिया एशेज श्रृंखला जीतकर दक्षिण अफ्रीका में पिछले साल गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण को पीछे छोड़ने का प्रयास करेगा जिसके कारण पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बेनक्राफ्ट को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था। एजबस्टन में इन तीनों बल्लेबाजों के खेलने की उम्मीद है और बेनक्राफ्ट को उसी

एशेज

तरह की हूटिंग का सामना करना पड़ सकता है जैसी विश्व कप के दौरान वार्नर और स्मिथ को झेलनी पड़ी थी।

आस्ट्रेलियाई टीम 19 साल से इंग्लैंड में एशेज श्रृंखला जीतने में नाकाम रही और उसके बल्लेबाजों को सीम गेंदबाजी की अनुकूल पिचों पर ड्यूक गेंद के सामने जूझना पड़ा है। आस्ट्रेलियाई टीम इसके बावजूद पहले टैस्ट में कोई प्रथम श्रेणी मैच खेले बिना उतरेगी। बेनक्राफ्ट जैसे खिलाड़ियों को हालांकि स्थानीय हालात का अनुभव है जो काउंटी टीम डरहम की कप्तानी करते हैं।विश्व कप के स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी वाली इंग्लैंड की टीम को पिछले हफ्ते आयरलैंड ने लाड्र्स पर एकमात्र टैस्ट की पहली पारी में सिर्फ 85 रन पर ढेर कर दिया था जिससे टीम के शीर्ष क्रम की कमजोरी उजागर होती है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की दोबारा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने की योजना है जिससे कि सरे के रोरी बर्न्स और जेसन राय की नई सलामी जोड़ी की मौजूदगी वाले शीर्ष क्रम को मजबूत मिल सके। आस्ट्रेलिया को तेज गेंदबाजों जेम्स पेटिनसन और पैट कमिंस की मौजूदगी वाले अपने गेंदबाजी आक्रमण से काफी उम्मीदें हैं।इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण की कमान एक बार फिर जेम्स एंडरसन के हाथों में होगी जो अब एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलते। टीम को इसके अलावा दोबारा उप कप्तानी हासिल करने वाले बेन स्टोक्स से प्रभावी प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

टिम पेन | जो रूट

खबर कोना

अमेरिका की माटेक सैंड्स अमेरिका की वीनस विलियम्स को गेंद रिटर्न करती हुई।

माटेक सैंड्स ने वीनस विलियम्स को हराया

लास एंजिलिस, 31 जुलाई (एएफपी)।

आस्ट्रेलियाई ओपन के बाद अपना पहला डब्ल्यूटीए एकल मैच खेल रहीं बेथानी माटेक सैंड्स ने कैलिफोर्निया के सैन जोस में हार्डकोर्ट टेनिस टूर्नामेंट में वीनस विलियम्स को 6-7 (4/7), 6-3, 6-1 से हराया। 34 साल की माटेक सैंड्स की फ्रेंच ओपन 2018 के बाद एकल में यह पहली जीत है। उन्होंने मंगलवार को तीसरे और निर्णायक सेट के शुरू में अपनी सर्विस गंवा दी थी लेकिन इसके बाद लगातार छह गेम जीतकर दूसरे दौर में प्रवेश किया जहां उनका सामना स्पेन की आठवीं वरीय कार्ला सुआरेज नवारो से होगा। पहले दौर के एक अन्य मैच में विश्व की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने फ्रांसीसी क्वालीफायर हार्मोनी टैन 6-2, 6-4 से पराजित किया।

कप्तानी मिलने से हैरान हुआ, जिम्मेदारी संभालने को तैयार : हरमनप्रीत

बंगलुरु, 31 जुलाई (भाषा)।

भारतीय ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह ने बुधवार को कहा कि कप्तान बनाए जाने की घोषणा से उन्हें हैरानी हुई लेकिन वे आगामी ओलंपिक टैस्ट टूर्नामेंट में मिलने वाली चुनौती से निटपने के लिए तैयार हैं।

नियमित कप्तान मनप्रीत सिंह की अनुपस्थिति में हरमनप्रीत 17 अगस्त से शुरू होने वाली इस टैस्ट प्रतियोगिता में टीम की कमान संभालेंगे जिसमें भारत के अलावा मलेशिया, न्यूजीलैंड और मेजबान जापान शिरकत करेंगे। हरमनप्रीत 2016 में जूनियर विश्व

कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्होंने कहा, 'जब मुझे बताया गया कि मैं टीम की अगुआई करूंगा तो यह मेरे लिए हैरानी भरा था। यह एक सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उत्साहित हूं और इस चुनौती को बखूबी निभाने के लिए तैयार हूं।' वे 2016 रियो ओलंपिक में खेलने वाली भारतीय टीम के सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक थे और उन्होंने इस महासमर से कुछ महीने पहले लंदन में हुई एफआइएच चैम्पियस ट्रॉफी में यादगार प्रदर्शन से टीम में स्थान सुनिश्चित किया था।

सिंधू विश्व रैंकिंग में पांचवें, साइना आठवें स्थान पर बरकरार

नई दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा)।

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू और साइना नेहवाल हाल में जारी विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्लूएफ) की नवीनतम रैंकिंग में क्रमशः पांचवें और आठवें स्थान पर बरकरार हैं। महिला एकल में मुग्धा अग्रे छह और ऋतुपर्णा दास एक स्थान के फायदे से क्रमशः 62वें और 65वें स्थान पर हैं।पुरुष एकल खिलाड़ियों में किदांबी श्रीकांत और समीर वर्मा मंगलवार को जारी रैंकिंग में क्रमशः 10वीं और 13वीं रैंकिंग पर बरकरार हैं।

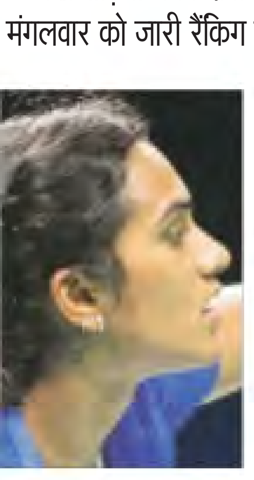

पिछले हफ्ते जापान ओपन सेमीफाइनल में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी केंटो मोमोटा के खिलाफ शिकस्त झेलने वाले बी साई प्रणीत चार स्थान के फायदे से 20वें नंबर पर पहुंच गए हैं। एचएस प्रणय (31वें), पारूपल्ली कश्यप (35वें), शुभंकर दे (41वें), सौरभ वर्मा (44वें) सभी को पुरुष एकल रैंकिंग में फायदा हुआ है। अन्य भारतीयों पुरुष एकल खिलाड़ियों में अजय जयराम 67वें जबकि लक्ष्य सेन 69वें स्थान पर हैं। पुरुष युगल में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी दो स्थान के फायदे से 16वें पायदान पर पहुंच गए हैं। मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी 25वें पायदान पर बरकरार है।

साइना नेहवाल और श्रीकांत अगले दौर में

बैंकाक, 31 जुलाई (भाषा)।

थाईलैंड ओपन

स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने बुधवार को यहां थाईलैंड ओपन के महिला एकल वर्ग के दूसरे दौर में स्थानीय दावेदार फिटायापोर्न चाइवान पर सीधे गेम में जीत दर्ज करते हुए शानदार तरीके से कोर्ट पर वापसी की।

करीब दो महीने बाद कोर्ट पर वापसी कर रही साइना ने अपने शुरुआती दौर के मुकाबले में चाइवान को 21-17 21-19 से पराजित किया। साइना चोट के कारण इंडोनेशिया ओपन और पिछले सप्ताह जापान ओपन में नहीं खेल पाई थी।

सातवीं वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी अब जापान की सयाका ताकाहाशी और इंडोनेशिया की रूसेली हार्टावान के बीच होने वाले पहले दौर के मुकाबले की विजेता से भिड़ेंगी।

पुरुष एकल में भी भारतीय खिलाड़ियों के लिये अच्छी खबर रही जिसमें किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणय, पारूपल्ली कश्यप और शुभंकर दे ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को शिकस्त देकर अगले दौर में प्रवेश किया।

पांचवें वरीय किदाम्बी श्रीकांत को चीन के क्वालीफायर रेन पेंग बो को हराने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस भारतीय ने एक घंटे सात मिनट तक चले मुकाबले में पेंग बो को 21-13 17-21 21-19 से मात दी। श्रीकांत का सामना अब दूसरे दौर में थाईलैंड के खोसित फेतप्रदाब से होगा। प्रणय ने हांगकांग के वोंग विंग कि विन्सेंट को 21-16 22-20 से जबकि कश्यप ने इजरायल के मिशा जिल्बरमैन को 18-21 21-8 21-14 से पराजित किया। प्रणय और कश्यप को दूसरे दौर में कड़े प्रतिद्वंद्वियों से भिड़ना है। प्रणय जापान के छठे वरीय केंटा निशिमोटो और कश्यप ताइपे के तीसरे वरीय चोऊ टिएन चेन के सामने होंगे।

शुभंकर दे भाग्यशाली रहे, उन्हें शुरुआती दौर के मुकाबले में शीर्ष वरीय और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जापान के केंटो मोमोटा से वाकओवर मिला। हालांकि सौरभ वर्मा का सफर पहले ही दौर में समाप्त हो गया। उन्होंने सातवें वरीय जापान के कांटा सुनेयामा के खिलाफ 64 मिनट तक कड़ी मशक्कत की लेकिन 21-23 21-19 5-21 से पराजित हो गए। इससे पहले सात्विसाईराज रंकीरेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने पहले दौर में चान पेंग सून और गोह लियू यिंग की ओलंपिक रजत पदकधारी जोड़ी को शिकस्त दी जो उनके करिअर की सबसे बड़ी जीत में से एक थी।

भारत की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी ने एक घंटे दो मिनट तक चले मुकाबले में मलेशिया के सून और यिंग की पांचवीं वरीय जोड़ी को 21-18 18-21 21-17 से पराजित किया। यह दूसरी बार है जब पोनप्पा और रंकीरेड्डी की दुनिया की 23वीं रैंकिंग की जोड़ी ने सून और यिंग को मात दी जिनकी विश्व रैंकिंग पांच है। भारतीय जोड़ी ने पिछले साल गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों की मिश्रित टीम स्पर्धा में इस मलेशियाई जोड़ी को हराया था।अब पोनप्पा और रंकीरेड्डी का सामना दूसरे दौर में अलफियान एको प्रासेत्या और मार्शेला गिशा इस्लामी की इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा।

राजपूत ने भारत के मुख्य कोच पद के लिए आवेदन किया

मुंबई, 31 जुलाई (भाषा)।

पूर्व मैनेजर लालचंद राजपूत ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद के लिए दावेदारी पेश की है। राजपूत अभी जिबाब्वे क्रिकेट टीम के कोच हैं लेकिन आइसीसी के सरकारी हस्तक्षेप के कारण जिंबाब्वे क्रिकेट को निलंबित किए के बाद उन्होंने भारत का मुख्य कोच बनने में रुचि दिखाई है।

पता चला है कि दक्षिण अफ्रीका में 2007 में पहला टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के मैनेजर रहे राजपूत ने बीसीसीआइ को निर्धारित समय सीमा खत्म होने से पूर्व दुबई हवाई अड्डे से आवेदन भेजा जबकि वे कनाडा जा रहे थे। बीसीसीआई ने मुख्य कोच, बल्लेबाजी कोच और गेंदबाजी कोच सहित अन्य पदों के लिए आवेदन मंगाए हैं और इसके लिए अंतिम तारीख 30 जुलाई थी।

मुंबई के पूर्व सलामी बल्लेबाज राजपूत ने भारत का भी प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने अफगानिस्तान के अलावा असम को प्रशिक्षण दिया है जबकि दो साल के लिए टी20 मुंबई लीग की टीम के भी प्रशिक्षक रहे।

राजपूत के करीबी सूत्र ने बताया है कि उन्होंने मुख्य कोच के लिए अपने नाम पर विचार नहीं होने की स्थिति में बीसीसीआइ से आग्रह किया है कि बल्लेबाजी कोच के लिए उनके नाम पर विचार किया जाए।

ओवरथ्रो के चार रन हटाने को नहीं कहा : स्टोक्स

लंदन, 31 जुलाई (भाषा)।

इंग्लैंड के विश्व कप हीरो बेन स्टोक्स ने कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक विश्व कप फाइनल के दौरान उन्होंने अंपायरों से कभी ओवरथ्रो के चार रन इंग्लैंड के स्कोर से हटाने के लिए नहीं कहा।

लाड्र्स पर 14 जुलाई को खेले गए फाइनल का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट ट्रेंट बोल्ट के अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर ओवरथ्रो रहा। दूसरा रन पूरा करने की कोशिश में स्टोक्स कूद गए और डीप मिडविकेट से फेंकी गई गेंद उनके बल्ले से टकराकर थर्ड मैन बाउंड्री पर चार रन के लिए चली गई।

स्टोक्स ने बीबीसी के शो 'टफर्स एंड वान' पर कहा, 'मैंने सब कुछ देखा। मैं स्वयं से पूछा रहा था, क्या मैंने ऐसा कहा था? लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं अंपायरों के पास नहीं गया और अंपायरों से ऐसा कुछ नहीं कहा।' स्टोक्स इंग्लैंड की पारी में 84 रन बनाकर नाबाद रहे और फिर सुपर ओवर में दोबारा बल्लेबाजी के लिए उतरे।

इस आलराउंडर ने कहा कि जब गेंद बाउंड्री के लिए गई तो उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और विकेटकीपर टॉम लैथम से माफी मांगी। स्टोक्स ने कहा, 'मैं सीधे टॉम लैथम के पास गया और कहा 'दोस्त, माफ करना'। इसके बाद केन को देखा और कहा 'मुझे माफ करना'।'

Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2019.

(₹ in Crore)

Particulars	Standalone			Consolidated		
	Quarter ended June 30, 2019 Un-Audited	Quarter ended June 30, 2018 Un-Audited	Year ended March 31, 2019 Audited	Quarter ended June 30, 2019 Un-Audited	Quarter ended June 30, 2018 Un-Audited	Year ended March 31, 2019 Audited
1. Total Income	8,249.10	8,925.55	34,341.79	8,410.41	9,030.52	34,658.96
2. Net Profit for the period before tax (before Exceptional item #)	1,136.35	1,342.74	5,010.73	1,152.41	1,363.22	5,104.30
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional item #)	1,873.83	1,342.74	5,010.73	1,889.89	1,363.22	5,104.30
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional item #)	1,257.34	909.17	3,384.87	1,256.69	924.74	3,466.35
5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	1,249.49	905.99	3,367.06	1,244.98	924.44	3,451.37
6. Equity Share Capital (face value ₹2/- per share)	39.95	39.94	39.95	39.95	39.94	39.95
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	12,817.17	-	-	13,080.46
8. Earnings per share on net profit after tax - face value ₹2/- each (In Rupee)						
a) Basic	62.95	45.52	169.48	62.92	46.30	172.45
b) Diluted	62.95	45.52	169.47	62.92	46.30	172.44
# Refer note 2 for Exceptional item						

Notes:-

1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Company's website www.heromotocorp.com and also on stock exchange websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com
2. The Company had deposited and created provision for "National Calamity Contingent Duty" ('NCCD') including applicable cess in its Haridwar plant during prior years, while contesting the same on the ground that NCCD is in nature of excise duty and should be covered by Area based exemption. Pursuant to favourable order from Hon'ble Supreme Court, the provision of ₹737.48 crore has been reversed as exceptional item in the current quarter and necessary refund applications already filed with the department.
3. With effect from April 1, 2019, the Company has adopted IND AS-116 using the modified simplified approach and accordingly previous period information has not been reinstated. Under this approach, the Company has recognised lease liabilities and corresponding equivalent right-of-use assets.
In the statement of profit and loss for the current quarter, operating lease expenses which were recognised as other expenses in previous periods is now recognised as depreciation expense for the right-of-use asset and finance cost for interest accrued on lease liability. The application of IND AS-116 did not have any significant impact in the financial results of the Company.
4. Based on the guiding principles given in Ind AS-108 on 'Operating Segments', the Company's business activity fall within a single operating segment, namely automotive segment. Accordingly, the disclosure requirements of Ind AS 108 are not applicable.
5. The above results for the quarter ended June 30, 2019 have been reviewed and recommended by the Audit Committee meeting held on July 29, 2019 and approved by the Board of Directors in their meeting held on July 30, 2019.

For and on behalf of the Board of Directors

New Delhi
30/07/2019

PAWAN MUNJAL
Chairman, Managing Director & CEO
DIN: 00004223

Hero MotoCorp Ltd. - Regd. Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057, India.
Email: secretarialho@heromotocorp.com I Telephone no: 011-46044100 I Fax no: 011-26143321 I CIN: L35911DL1984PLC017354 I Visit: www.HeroMotoCorp.com

L&K | SAATCHI & SAATCHI

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 256, *हवाई शुल्कः* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।